

Friday,

16<sup>th</sup> December, 2022

25 Agrahayana, 1944 (Saka)

### PARLIAMENTARY DEBATES

# **RAJYA SABHA**

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

### **CONTENTS**

Papers Laid on the Table (pages 1 - 17)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment - Laid on the Table (pages 17 - 18)

Report of study visit of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes - Laid on the Table (page 18)

Statement of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes - Laid on the Table (page 18)

[P.T.O



Statements by Ministers —

Status of implementation of recommendations/observations contained in

the Forty-First Report of the Department-related Parliamentary Standing

Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing -

Laid on the Table (pages 18 - 19)

Status of implementation of recommendations contained in the Three

Hundred and Fourteenth Report of the Department-related Parliamentary

Standing Committee on Industry - Laid on the Table (page 19)

Status of implementation of recommendations contained in the One

Hundred and Sixty-Eighth Report of the Department-related

Parliamentary Standing Committee on Commerce - Laid on the Table

(page 19)

Status of implementation of recommendations/observation contained in the

Thirty Second and Thirty Third Reports of the Department-related

Parliamentary Standing Committee on Communications and Information

Technology - Laid on the Table (pages 19 - 20)

Statement regarding Government Business (pages 20 - 21)

Regarding notices under Rule 267 (pages 21 - 25)

Matters raised with Permission —

Need to connect Shahjahanpur at NH-24 with Agra Expressway (pages 25 -

26)

Frauds by digital lending apps charging higher rate of interest (pages 26 -

31)

Need to remove silt in the mainstream of the Ganga, Yamuna and Ghagra

rivers in Uttar Pradesh (pages 31 -33)

Website: <a href="http://rajyasabha.nic.in">http://rajyasabha.nic.in</a>

http://parliamentofindia.nic.in

E-mail: rsedit-e@sansad.nic.in

Financial difficulties being faced by Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi, Jharkhand (pages 33 - 34)

Oral Answers to Questions (pages 34 - 80)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise]

Private Members' Resolution - *Under consideration*Setting up of Agarwood Board of India (pages 81 - 136)

Recommendations of the Business Advisory Committee (page 136)

Special Mentions —

Need to declare Assamese language as a classical language of India (pages 137 - 138)

Need to establish a Central Tribal University at Rairangpur in Mayurbhanj District of Odisha (page 138)

Need to strengthen the Pre-Legislative Consultation Policy (pages 139 - 140)

Need for sympathetic consideration to allow an extra attempt to UPSC aspirants in relaxation of rules (pages 140 - 141)

Air Pollution in Ramgarh District of Jharkhand (pages 141 - 143)

Need to start Oral History Project in the Universities in the country (pages 143 - 144)

Need to set up Agro-industries related to paddy in Chandauli district of Uttar Pradesh (pages 144)

### **RAJYA SABHA**

Friday, the 16th December, 2022 / 25 Agrahayana, 1944 (Saka)

The House met at eleven of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table.

- I. Report and Accounts (2020-21) of NMPPB, New Delhi and related papers
- II. Report and Accounts (2021-22) of NIFTEM, Kundli, Haryana and related papers

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- I. (a) Annual Report and Accounts of the National Meat and Poultry Processing Board (NMPPB), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government on the working of the above Board.
  - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 7715/17/22]

- II. (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM), Kundli, Haryana, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Performance Review of the above Institute, for the year 2021-22.

[Placed in Library. See No. L.T. 7714/17/22]

### Notifications of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V.

MURALEEDHARAN): Respected Deputy Chairman, Sir, with your permission, on behalf of my colleague, Shri Ashwini Kumar Choubey, I lay on the Table, under subsection (4) of Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs):-

(1) G.S.R. 648 (E), dated the 22<sup>nd</sup> August, 2022 publishing the Legal Metrology (Packaged Commodities) (Third Amendment) Rules, 2022.

[Placed in Library. See No. L.T. 7810/17/22]

(2) G.S.R. 747 (E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2022, publishing the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment (Amendment) Rules, 2022.

[Placed in Library. See No. L.T. 7811/17/22]

(3) G.S.R. 763 (E), dated the 4<sup>th</sup> October, 2022, publishing the Legal Metrology (General) Amendment Rules, 2022.

[Placed in Library. See No. L.T. 7812/17/22]

- I. Notifications of the Ministry of Railways
- II. Reports and Accounts (2021-22) of various organisations and related papers

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Railways, under Section 199 of the Railways Act, 1989:-
  - (1) G.S.R. 218 (E), dated the 23<sup>rd</sup> March, 2022, publishing the Railways (Punitive Charges for Overloading of Wagon) (Amendment) Rules, 2022, along with a Delay Statement.
  - (2) G.S.R. 731 (E), dated the 27<sup>th</sup> September, 2022, publishing the Railways Red Tariff (Amendment) Rules, 2022.
  - (3) G.S.R. 744 (E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2022, publishing the Railways

Red Tariff (Second Amendment) Rules, 2022.

[Placed in Library. For (1) to (3) See No. L.T. 7817/17/22]

- II. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—
  - (i) (a) Annual Report and Accounts of the Braithwaite & Co. Ltd. (BCL), Kolkata, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
    - (b) Performance Review of the above Corporation, for the year 2021-22. [Placed in Library. See No. L.T. 7818/17/22]
  - (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
    - (b) Performance Review of the above Corporation, for the year 2021-22.

      [Placed in Library. See No. L.T. 7821/17/22]
  - (iii) (a) Thirty-fifth Annual Report and Accounts of the Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
    - (b) Performance Review of the above Corporation, for the year 2021-22. [Placed in Library. See No. L.T. 7820/17/22]
  - (iv) (a) Annual Report and Accounts of the Konkan Railway Corporation Ltd. (KRCL), Navi Mumbai, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
    - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

      [Placed in Library. See No. L.T. 7819/17/22]
  - (v) (a) Annual Report and Accounts of the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited (MRVC), Mumbai, for the year 2021-22, together with the Auditor's

- Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Performance Review of the above Corporation, for the year 2021-22. [Placed in Library. See No. L.T. 7823/17/22]
- (vi) (a) 22<sup>nd</sup> Annual Report and Accounts of the RailTel Corporation of India Limited (RAILTEL), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

    [Placed in Library. See No. L.T. 7824/17/22]
- (vii) (a) Annual Report and Accounts of the Rites Limited (RITES), Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Performance Review of the above Corporation, for the year 2021-22. [Placed in Library. See No. L.T. 7825/17/22]
- (viii) (a) Annual Report and Accounts of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited (HMRDC), Bengaluru, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

    [Placed in Library. See No. L.T. 7826/17/22]
  - (B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -
  - (i) (a) Annual Report and Accounts of the Madhepura Electric Locomotive Private Limited (MELPL), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
    - (b) Performance Review of the above Corporation, for the year 2021-22. 
      [Placed in Library. See No. L.T. 7822/17/22]
  - (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Wabtec Locomotive Private Limited

- (WLPL), for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Performance Review of the above Corporation, for the year 2021-22.

  [Placed in Library. See No. L.T. 7827/17/22]
- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Railway Welfare Organisation (IRWO), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Performance Review of the above Organisation, for the year 2021-22. [Placed in Library. See No. L.T. 7828/17/22]
- (iv) (a) Annual Report and Accounts of the Rail Land Development Authority (RLDA), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Performance Review of the above Authority, for the year 2021-22.

    [Placed in Library. See No. L.T. 7829/17/22]
- I. Notifications of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
- II. Reports and Accounts (2021-22) of FCI, New Delhi and CWC, New Delhi and related papers

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- I. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution), under Section 52 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007:-
  - (1) G.S.R. 287 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2022, publishing the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2022, along with Delay Statement.

(2) G.S.R. 788 (E), dated the 25<sup>th</sup> October, 2022, publishing the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Second Amendment) Rules, 2022.

[Placed in Library. For (1) and (2) See No. L.T. 7830/17/22]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) Notification No. EP.1(4)/2016, dated the 3<sup>rd</sup> August, 2022, publishing the Food Corporation of India (Staff) Third Amendment) Regulations, 2022, under sub-section (5) of Section 45 of the Food Corporations Act, 1964.

[Placed in Library. See No. L.T. 7835/17/22]

- (iii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution), issued under Section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007:-
  - (1) S.O. 3071 (E), dated the 6<sup>th</sup> July, 2022, determining that the non-agricultural commodities, specified therein, shall be stored in a registered warehouse and shall comply with the qualitative specifications or standards of the Bureau of Indian Standards,.
  - (2) S.O. 3132 (E), dated the 8<sup>th</sup> July, 2022, determining that the agricultural commodities, specified therein, shall be stored in a registered warehouse and shall comply with the qualitative specifications or standards of the Bureau of Indian Standards or AGMARK or Food Safety and Standards Authority of India.
  - (3) S.O. 3133 (E), dated the 8<sup>th</sup> July, 2022, amending the Principal Notification No. S.O. 196 (E), dated the 31<sup>st</sup> January, 2011, by omitting certain entries in that Notification.
  - (4) S.O. 3134 (E), dated the 8<sup>th</sup> July, 2022, amending the Principal Notification No. S.O. 817 (E), dated the 22<sup>nd</sup> March, 2013, by omitting certain entries in that Notification.

[Placed in Library. For (1) to (4) See No. L.T. 7831/17/22]

- II. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection (2) of Section 35 of the Food Corporation Act, 1964:—
  - (a) Annual Report and Accounts of the Food Corporation of India (FCI), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 7832/17/22]

- (ii) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (11) of Section 31 of the Warehousing Corporation Act, 1962:—
  - (a) Sixty-fifth Annual Report and Accounts of the Central Warehousing Corporation (CWC), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 7833/17/22]

# Reports and Accounts (2021-22) of ECGC Ltd., Mumbai; CSEZA, Cochin; and VSEZA, Visakhapatnam and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA SINGH PATEL): Sir, I lay on the Table—

- (i) A copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
  - (a) Sixty-fourth Annual Report and Accounts of the ECGC Ltd., Mumbai, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

    [Placed in Library. See No. L.T. 8156/17/22]
- (ii) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection (4) of Section 37 and sub-section (3) of Section 39 of the Special Economic

Zones Act, 2005:—

(a) Annual Report and Accounts of the Cochin Special Economic Zone Authority (CSEZA), Cochin, Kerala for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L.T. 7837/17/22]

- (b) Administrative Report and Accounts of the Visakhapatnam Special Economic Zone Authority (VSEZA), Visakhapatnam, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (c) Statement by Government accepting the above Reports.

[Placed in Library. See No. L.T. 7838/17/22]

- I. Notification of the Ministry of Electronics and Information Technology
- II. Reports and Accounts (2020-21 & 2021-22) of various Societies, Centres and Corporation and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Electronics and Information Technology Notification No. GSR 794(E), dated the 28<sup>th</sup> October, 2022, publishing the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2022, under sub-section (3) of Section 87 of the Information Technology Act, 2000.

[Placed in Library. See No. L.T. 8158/17/22]

- II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:
- (i) (a) Annual Report and Accounts of the Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government on the working of the above Society.
  - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 7601/17/22]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Software Technology Parks of India (STPI), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government on the working of the above Society.
  - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 7602/17/22]

- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Pune, Maharashtra for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government on the working of the above Centre.
  - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 7603/17/22]

- (iv) (a) Annual Report and Accounts of the Centre for Materials for Electronics Technology (C-MET), Pune, Maharashtra for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government on the working of the above Centre.
  - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 7600/17/22]

- (v) (a) Annual Report and Accounts of the Digital India Corporation (Formerly, Media Lab Asia) New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 8159/17/22]

- Notifications of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
- II. Reports and Accounts of various Agro Industries Corporations Limited and KCDC Limited, Mangaluru for various years and related papers

### III. Report and Accounts (2021-22) of MANAGE, Hyderabad and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE): Sir, I lay on the Table —

- I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare), issued under sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914:-
  - (1) S.O. 3456 (E), dated the 27<sup>th</sup> July, 2022, publishing the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Second Amendment) Order, 2022.
  - (2) S.O. 3777 (E), dated the 12<sup>th</sup> August, 2022, publishing the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Third Amendment) Order, 2022.
  - (3) S.O. 4551 (E), dated the 26<sup>th</sup> September, 2022, publishing the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fourth Amendment) Order, 2022.
  - (4) S.O. 4871 (E), dated the 13<sup>th</sup> October, 2022, publishing the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fifth Amendment) Order, 2022.
  - (5) S.O. 5167 (E), dated the 7<sup>th</sup> November, 2022, publishing the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Sixth Amendment) Order, 2022.
  - (6) S.O. 5401 (E), dated the 21<sup>st</sup> November, 2022, publishing the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Seventh Amendment) Order, 2022.

[Placed in Library. For (1) to (6) See No. L.T. 8048/17/22]

- II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -
  - (i) (a) Fifty-fourth Annual Report and Accounts of the Bihar State Agro Industries Development Corporation Limited, Patna, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
    - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 7738/17/22]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Haryana Agro Industries Corporation Limited, Panchkula, Haryana for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 7734/17/22]

- (iii) (a) Forty-eighth Annual Report and Accounts of the Kerala Agro Industries Corporation Limited, Thirvananthapuram, for the year 2015-16, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 7736/17/22]

- (iv) (a) Fiftieth Annual Report and Accounts of the Madhya Pradesh Agro Industries Development Corporation Limited, Bhopal, for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 7737/17/22]

- (v) (a) Forty-sixth Annual Report and Accounts of the Jammu and Kashmir State Agro Industries Development Corporation Limited, Srinagar, for the year 2015-16, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 7731/17/22]

- (vi) (a) Forty-seventh Annual Report and Accounts of the Jammu and Kashmir State Agro Industries Development Corporation Limited, Srinagar, for the year 2016-17, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 7735/17/22]

- (vii) (a) Forty-eighth Annual Report and Accounts of the Jammu and Kashmir State Agro Industries Development Corporation Limited, Srinagar, for the year 2017-18, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation

    [Placed in Library. See No. L.T. 7732/17/22]
- (viii) (a) Forty-ninth Annual Report and Accounts of the Jammu and Kashmir State Agro Industries Development Corporation Limited, Srinagar, for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

    [Placed in Library. See No. L.T. 7733/17/22]
- (ix) (a) Fifty-ninth Annual Report and Accounts of the Odisha Agro Industries Corporation Limited, Bhubaneshwar, Odisha for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

    [Placed in Library. See No. L.T. 7730/17/22]
- (x) (a) Forty-fourth Annual Report and Accounts of the Karnataka Cashew Development Corporation (KCDC) Limited, Mangaluru, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

    [Placed in Library. See No. L.T. 8050/17/22]
- (2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a) to (ix) (a) above.
  - III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:
  - (a) Annual Report of the National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad, Telangana for the year 2021-22.

- (b) Annual Accounts of the National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad, Telangana for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 7729/17/22]

Reports and Accounts (2020-21 and 2021-22) of BJEL, Kolkata; NJMC, Kolkata; and SVPISTM, Coimbatore and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I lay on the Table -

- I. (A) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—
  - (i) (a) Annual Report and Accounts of the Birds Jute and Exports Limited (BJEL), Kolkata, West Bengal, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
    - (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 7605/17/22]

- (ii) (a) Forty-first Annual Report and Accounts of the National Jute Manufactures Corporation Limited, (NJMC), Kolkata, West Bengal for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.
- (2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a) and (ii)(a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 7839/17/22]

- (B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:
- (a) Annual Report and Accounts of the Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles and Management (SVPISTM), Coimbatore, Tamil Nadu,

for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institution.

[Placed in Library. See No. L.T. 8163/17/22]

- I. Notifications of the Ministry of Commerce and Industry
- II. Report (2020-21) of CGPDTM, Mumbai and related papers
- III. Reports and Accounts (2021-22) of IRMRA, Thane; QCI, Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I lay on the Table—

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) Notification No. S.O. 4091(E), dated the 1<sup>st</sup> September, 2022, issued under sub-section (1) of Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, appointing the persons mentioned therein to be the members and the Secretary of the Development Council for Pulp, Paper and Allied Industries.

[Placed in Library. See No. L.T. 8179/17/22]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) Notification No. S.O. 5282 (E), dated the 14<sup>th</sup> November, 2022, issued under sub-section (2) of Section 14 of the Explosives Act, 1884, exempting the Indian Space Research Organization from the operation of all the provisions of the Explosive Rules, 2008 for manufacturing, storage, use and transportation of Solid Propellant for Space Rockets falling under UN Class 1 (Explosives) subject to the condition mentioned therein.

[Placed in Library. See No. L.T. 8171/17/22]

- II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 155 of the Patents Act, 1970:—
  - (a) Annual Report of the Office of the Controller General of Patents, Designs, Trademarks and Geographical Indications (CGPDTM), Mumbai, for the year 2020-21.
  - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 7843/17/22]

- (2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) above.
  - III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-
  - (i) (a) Sixty-Third Annual Report and Accounts of the Indian Rubber Manufacturers Research Association (IRMRA), Thane, Maharashtra, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Account.
    - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 7842/17/22]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Quality Council of India (QCI), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government on the working of the above Council.

[Placed in Library. See No. L.T. 8181/17/22]

- I. Notification of the Ministry of Communications
- II. Reports and Accounts (2021-22) of ITI Limited, Bengaluru; TCIL, New Delhi and C-DOT, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications) Notification No. GSR 635(E), dated the 18<sup>th</sup> August, 2022, publishing the Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2022, under subsection (5) of Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885.

[Placed in Library. See No. L.T. 8183/17/22]

- II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—
  - (i) (a) Seventy-second Annual Report and Accounts of the ITI Limited, Bengaluru, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and

the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Performance Review of the above Company, for the year 2021-22.

[Placed in Library. See No. L.T. 8185/17/22]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Telecommunications Consultants India Limited (TCIL), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 8184/17/22]

- (iii) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:
  - (a) Annual Report and Accounts of the Centre for Development of Telematics (C-DOT), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 8183/17/22]

### Report and Accounts (2021-22) of NAAS, New Delhi and related papers

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (a) Annual Report and Accounts of the National Academy of Agricultural Sciences (NAAS), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Academy.

[Placed in Library. See No. L.T. 7741/17/22]

### Notifications of the Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन

## सभा पटल पर रखता हूँ:—

- (1) Notification No. 42/2022-Central Excise dated 15.12.2022 seeking to amend Notification No. 18/2022-Central Excise, dated the 19<sup>th</sup> July, 2022 to reduce the Special Additional Excise Duty on production of petroleum Crude and export of Aviation Turbine Fuel, under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944.
- (2) Notification No. 43/2022-Central Excise dated 15.12.2022 seeking to further amend Notification No. 04/2022-Central Excise, dated the 30<sup>th</sup> June, 2022 to reduce the Special Additional Excise Duty on Diesel, under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944.
- (3) Notification No. 01/2022-Service Tax to the effect that the service tax payable under Section 66B of the Finance Act, 1994, on the "light-dues" collected by the Directorate General of Lighthouses and Lightships under the Lighthouse Act, 1927, in the period commencing on and from the 1<sup>st</sup> day of July, 2012 and ending with the 30<sup>th</sup> day of June, 2017, shall not be required to be paid, under Section 38 of Central Excise Act, 1944.

[Placed in Library. For (1) to (3) See No. L.T. 8289/17/22]

# REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

श्रीमती रिमलाबेन बेचारभाई बारा (गुजरात): महोदय, मैं विभाग-संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी सिमति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (i) Forty-second Report on 'Review of the functioning of National Institutes established for different types of disabilities' pertaining to the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Empowerment of Persons with Disabilities); and
- (ii) Forty-third Report on action taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Thirty-first Report of the Committee (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23)'

pertaining to the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment).

# REPORT OF STUDY VISIT OF THE COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के दिनांक 18 अगस्त, 2022 से 24 अगस्त, 2022 तक मसूरी, हैदराबाद और ऊटी के अध्ययन दौरे के प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूँ।

# STATEMENT OF THE COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'प्रसार भारती के विशेष संदर्भ सिहत सरकारी सेवाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों में निजीकरण, कार्य के आउटसोर्स और संविदागत रोजगार के आलोक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तौर-तरीके' विषय पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी सिमिति के चौथे प्रतिवेदन (सत्त्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सिमिति के बारहवें प्रतिवेदन के अध्याय-। (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई अंतिव करने के अध्याय-। (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूँ।

#### STATEMENTS BY MINISTERS

Status of implementation of recommendations/observations contained in the Forty-First Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture,
Animal Husbandry and Food Processing

जलशक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल): महोदय, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों (2022-23) के संबंध में

विभाग संबंधित कृषि, पशु पालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

Status of implementation of recommendations contained in the Three Hundred and Fourteenth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of my colleague, Shri Krishan Pal, I lay a statement regarding Status of implementation of recommendations contained in the Three Hundred and Fourteenth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in its Three Hundred and Seventh Report pertaining to the Ministry of Heavy Industries.

Status of implementation of recommendations contained in the One Hundred and Sixty-Eighth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I lay a statement regarding Status of implementation of recommendations contained in the One Hundred and Sixty-eighth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2022-23) (Demand No. 11) pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

Status of implementation of recommendations/observations contained in the Thirty Second and Thirty Third Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH

CHAUHAN): Sir, I lay the following statements regarding:

- (i) Status of implementation of recommendations/observations contained in the Thirty second Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications.
- (ii) Status of implementation of recommendations/observations contained in the Thirty third Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications.

### STATEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Statement regarding Government Business; Shri V. Muraleedharan.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business for the week commencing Monday, the 19<sup>th</sup> of December, 2022, will consist of:-

- 1. Consideration and return of the following Bills, as passed by Lok Sabha:-
  - (i) The Appropriation (No.5) Bill, 2022; and
  - (ii) The Appropriation (No.4) Bill, 2022.
- 2. Consideration and passing of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2022, as passed by Lok Sabha.
- 3. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Lok Sabha:-

- (i) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022;
- (ii) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022;
- (iii) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022.
- (iv) The Anti-Maritime Piracy Bill, 2019; and
- (v) The Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022;
- 4. Consideration and passing of the Repealing and Amending Bill, 2022, *after it is introduced*, *considered and passed by Lok Sabha*.

#### **REGARDING NOTICES UNDER RULE 267**

श्री उपसभापति : माननीय एलओपी, क्या आप कृछ कहना चाहते हैं?

विपक्ष के नेता (श्री मिल्लकार्जुन खरगे): जी सर, इसीलिए मैंने आपकी परिमशन भी ली है। सर, मुझे यहां एक क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी पड़ रहा है और यह सुनने लायक भी है। महोदय, मैं सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं।

आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज़ इन्कर्शन जैसे बहुत गम्भीर मुद्दे को सांसद उठा रहे हैं। हमारी सेना बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला कर रही है।

यह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बेहद गम्भीर मुद्दा है और इस पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें लगी हैं। लीडर ऑफ द अपोज़िशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना मेरी ज़िम्मेदारी बनती है।

इसी कारण 14 दिसम्बर, 2022 को मैंने सदन में इस मसले पर हस्तक्षेप किया। माननीय उपसभापित महोदय, आपने कहा था कि मैं इस मामले को इसिलए नहीं उठा सकता, क्योंकि इस बारे में मैंने कोई नोटिस नहीं दिया है। मीडिया के एक हिस्से में यह बात इस तरह रिपोर्ट हुई है कि जैसे मुझे नोटिस न देने के कारण टोका गया है। इम्प्रेशन हकीकत से दूर है और इससे मुझे तकलीफ भी पहुंची है। मैं इस संदर्भ में 9 दिसंबर, 2022 को किए गए ऑब्ज़र्वेशन का हवाला देता हूं, जो इन प्रोसिडिंग्स में है और मैंने उसकी कॉपी बना ली है। सर, उस दिन चेयरमैन साहब ने कहा कि "We have two very distinguished people in this House by way of their designation, the Leader of the House, the Leader of the Opposition. We have the former Prime Minister. I have declared on the floor of this House that these three hon. gentlemen, -- one of them is not here, Dr. Manmohan Singh -- if they rise, I will not look at the Rules Book. I said so

in your presence, and all of you have access to them. My ears will be open to most difficult situation coming from this side, this side or from them." These are the words by the Chairman. मैंने इस वक्तव्य को माननीय सभापति के एक वायदे के रूप में ग्रहण किया और महसूस किया कि यह पूरे सदन के लिए एक डायरेक्शन है, इसलिए मैंने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहा था, लेकिन मुझे अनुमित नहीं मिली। मैं इस तथ्य से सदन को अवगत कराना चाहता हूं और इस विषय में स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूं कि इस सदन में चेयरमैन ने जो कहा, क्या यह सत्य है या असत्य है? क्या मुझे आपने पहले स्वीकार किया कि आप, हाउस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी भी बात कर सकते हैं और अपने प्वाइंट को रेज़ कर सकते हैं?...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय एलओपी, आप मुझे बोलने का मौका देंगे?...(व्यवधान)...

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: मुझे बोलने क्यों नहीं दिया गया?...(व्यवधान)... यह तो देश से जुड़ा हुआ मामला है।...(व्यवधान)... देश की रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। आपने पहले कहा कि मुझे खड़े होने की इजाज़त है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपने अपना पक्ष रखा, प्लीज़।...(व्यवधान)...

श्री म**ल्लिकार्जुन खरगे** : लेकिन \*...(व्यवधान)... \*

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, माननीय एलओपी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, उनको देखकर मैं उन पर रिस्पाँड करूंगा। जहां तक मुझे स्मरण है कि रूल 267 का नोटिस माननीय एलओपी का था और मैंने नोटिस पढ़ने की इजाज़त भी दी। माननीय एलओपी ने लगभग पूरा नोटिस पढ़ा, ...(व्यवधान)... जो नोटिस बहस के लिए स्वीकृत नहीं था। नियमत: आप इसका ध्यान रखें। प्लीज़, प्लीज़, ...(व्यवधान)... मैंने यह कहा कि मैं रिकॉर्ड्स चेक करके पुन: आपको बताऊंगा। आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए माननीय चेयरमैन ने आप जैसे वरिष्ठ लोगों, माननीय एक्स प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ दि हाउस के लिए जो भी भावना व्यक्त की है, उसका पूरा सम्मान करते हुए मैं हमेशा मौका देता हूं, लेकिन मेरी आपसे यह गुज़ारिश है कि जो नोटिस स्वीकृत नहीं था, उस पर भी मैंने आपको बोलने की इजाज़त दी। आपको भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। दूसरी, चीज़ यह ...(व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़.. ...(व्यवधान).... आप मुझे भी बोलने नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं। दूसरी चीज़ यह है कि वह नोटिस जिस दिन था, माननीय रक्षा मंत्री ने उस पर बयान दिया और उनके बयान के बाद स्पष्टीकरण के संबंध में चर्चा भी हुई। मैंने यह स्पष्ट किया कि स्पष्टीकरण पर इस सदन की पहले की क्या स्थित रही है, किन मुद्दों पर सदन ने अपनी क्या राय

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair.

रखी है, उसके बारे में मैंने आपको क्वोट करके बताया कि ऐसे मुद्दों पर पहले कब बहस नहीं हुई है। यह देश का अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और मैंने स्थिति स्पष्ट की। इसलिए आपके प्रति पूरा आदर रखते हुए आपने जो मुद्दे उठाए हैं, मैं डेट वाइज़ उनको और स्पष्ट करूंगा। आप जब भी खड़े हुए हैं, तो आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए चेयर ने मौका दिया।...(व्यवधान)...

Hon. Members, I have received eight notices ...(Interruptions)... कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(व्यवधान)... आप आगे प्रोसिडिंग्स चलने दें। Hon. Members, I have received eight notices under Rule 267 from Shri Randeep Singh Surjewala, Shrimati Jebi Mather, Shri Syed Nasir Hussain, Shri Raghav Chadha, ...(Interruptions)...

SHRI RAGHAV CHADHA (Punjab): Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No point of order, I am reading it now.

Shri Pramod Tiwari, Dr. L. Hanumanthaiah, Shrimati Ranjeet Ranjan and Shri Kumar Ketkar on subjects related to concern over the current situation on LAC, misuse of Government agencies against political opponents and rising unemployment.

Yesterday only, I had given my ruling on this subject. If you want I can reiterate it. Hon. Chairman on 8th December, 2022, while considering the notices received under Rule 267 observed that the notice submitted under the said Rule has to refer to relevant rule that is required to be suspended. As per practice, the ruling which is given last by the Chairman is final and binding. I will read what the ruling is and this is Mr. Chairman's ruling: "Hon. Members, notices have been received under Rule 267. I have carefully gone through the Rule. I have gone through all the notices. I would invite attention of this House to the Rule as such: The Rule is carefully worded. The Rule requires certain things to be indicated and duly spelt out. The Rule does say, 'It can be raised with the consent of the Chairman', and that part is complied with for the reason it has been put to me. And, it says, 'any rule may be suspended.' In not a single notice, there is a reflection as to which rule is sought to be suspended. Now, this House has to emanate a signal to everyone and other theatres. We must engage, at least, in minimum compliance. I must get assistance as to which rule the Member wants to be suspended. Number two, the premise on which the rule is required to be suspended by the Member. Further, hon. Members, a rule which you have generated, the proviso says, 'Provided further that this Rule shall not apply.' This is a mandate to me from you where specific provision already

exists for suspension of a rule under a particular chapter of the rules. I would, therefore, call upon you that while inviting my attention to act in a particular manner as you deem expedient under Rule 267, please engage into full compliance with respect to the first part and also give exhaustively, according to your own perception, that there is no other rule where the issue can be raised by seeking separate suspension." I am coming on Raghav Chadhaji's notice.

Except the notice of Shri Raghav Chadha, all the other notices received today under Rule 267, none of the other notices have referred about the rules which are required to be suspended. Further, even if this technical requirement of mentioning the relevant rule is fulfilled, the consent of hon. Chairman is required for raising the issue in the House. Even Rule 29 which has been mentioned by Shri Raghav Chadha requires the permission of hon. Chairman for suspension. Further, these notices are under the consideration of hon. Chairman. Therefore, I would request hon. Members to kindly cooperate and allow the House to proceed with the listed Business. ... (Interruptions)...

Now, Zero Hour mentions. Shri Mohammed Nadimul Haque....(Interruptions)...

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I would like to draw the attention regarding unethical practices of digital lending Apps. ...(Interruptions)... They are inflicting financial harm, the economically weaker borrowers of the country. ...(Interruptions)... Complaints have been received against banks and NBFCs relating to digital lending applications. As per an answer given in Lok Sabha ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, वैल में न आएं। आप लोग वापस अपनी सीट्स पर जाएं। ...(व्यवधान)... वैल में आने वालों के नाम नोट करें। ...(व्यवधान)...

DR. AMEE YAJNIK: Sir, there is so much chaos and the House is not in order. I want to raise a very important issue. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak. ...(Interruptions)... माननीय सदस्यगण, वैल में न आएं। आप लोग अपनी सीट्स पर जाएं। ...(व्यवधान)... डा. अमी याज्ञिक, आप बोलिए। ...(व्यवधान)... आप बोलिए, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जायेगी। ...(व्यवधान)...

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I want to raise a very important issue. ... (Interruptions)... My issue is this. There is no implementation of plastic waste

management. ...(Interruptions)... I want to speak ...(Interruptions)... Sir, kindly put the House in order. This is not the way. The whole world is watching. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Mithlesh Kumar. ... (Interruptions)... Please speak. श्री मिथलेश कुमार। ... (व्यवधान)...

#### MATTERS RAISED WITH PERMISSION

### Need to connect Shahjahanpur at NH-24 with Agra Expressway

श्री मिथलेश कुमार (उत्तर प्रदेश): उपसभापित महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। ...(व्यवधान)... मैं सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि शाहजहांपुर एनएच-24 से जलालाबाद, फर्रुखाबाद, छिबरामऊ होते हुए सौरिख तक का रास्ता आगरा एक्सप्रेस वे फोर लेन से जुड़ जाने पर शाहजहांपुर और आगरा के बीच की दूरी कम रह जायेगी, जिससे इस क्षेत्र को व्यावसायिक गित मिल जायेगी। ...(व्यवधान)... आम जनता के लिए आगरा एक्सप्रेस वे से एनएच-24 के जुड़ जाने से शाहजहांपुर तक आने-जाने के लिए प्रमुख मार्ग बन जायेगा। शाहजहांपुर तथा आगरा, उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शहर तथा पर्यटक केन्द्र होने के नाते इन दोनों शहरों के बीच रास्ता सुगम होना अति आवश्यक है। ...(व्यवधान)... तथा इस बीच में फर्रुखाबाद में पिवत्र मां गंगा का घटिया घाट स्थान भी है, जो कि आस्था का प्रतीक है ...(व्यवधान)... जिसमें श्रद्धालु हर अमावस्या तथा हर पूर्णिमा को स्नान करने के लिए आते हैं, जिनकी संख्या हजारों में होती है। ...(व्यवधान)... उनको खराब मार्ग का सामना करना पड़ता है। ...(व्यवधान)...

अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक महत्व के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु दोनों नगरों को जोड़ने से जनिहत में शाहजहांपुर एनएच-24 से जलालाबाद फर्रुखाबाद, छिबरामऊ होते हुए सौरिख तक का रास्ता आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे तक फोर लेन बनवाने हेतु प्राक्कलन मंगवाकर उसको स्वीकृति प्रदान कर बनवाने की कृपा करें, जिससे इस पूरे क्षेत्र के व्यावसायिक तथा कृषि कार्य के साथ-साथ आम जनता को आने-जाने में सुविधा मिल सकेगी। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the concern expressed by the hon. Member.

श्री उपसभापति : धन्यवाद। श्री मोहम्मद नदीमुल हक जी। ...(व्यवधान)...

### Frauds by digital lending apps charging higher rate of interest

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I would like to draw your attention regarding unethical practices of digital lending apps inflicting financial harm on the economically weaker borrowers of our country. There is a huge number of complaints received against banks and NBFCs relating to digital lending apps. As per the answer given in the Lok Saba, during the period April 1, 2021 and November 30, 2022, 12,903 complaints have been received against the digital lending apps and against recovery agents under the Integrated Ombudsman Scheme. Digital lending apps charge far higher rates of interest than traditional banks. ... (Interruptions)... These are becoming extortionate, and their processing fee is as high as 1.1 per cent to 5.3 per cent, and they are charging interest from 14.5 per cent to 38.5 per cent per annum which is very much higher than traditional banks. ... (Interruptions)... The RBI has tweaked the guidelines and recently, on 1st December, 2022, they have given fresh guidelines aiming to smoothen the lending process, but there are many things which are still unclear. ...(Interruptions)... The stakeholders are still awaiting clarity on many aspects, especially, the First Loss Default Guarantee System (FLDG) and there are many illegal lending apps which are not under the ambit of RBI. Out of 1,100 apps, as many as 600 apps are illegal and I have to share with the House that most of these apps are Chinese apps. ...(Interruptions)...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, Sir ... (Interruptions)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (राजस्थान): सर, लीडर ऑफ द अपोजिशन बोलने के लिए खड़े हैं। ...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): सर, एलओपी की बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... सर, एलओपी को सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: They offer small loans without much paper work and then they bully the customers who are unable to repay the loans on time. Things came to such an extent that in November, 2020, one person, Shri Sai Aravind, on a small

loan of Rs. 3,000, committed suicide because most of these Apps require users to grant them access to their texts, images, contacts as well as camera. *Interruptions*)... Then, these Apps copy contact list and photos and use them to harass the victims. ...(*Interruptions*)... Hence, Sir, I appeal to the hon. Finance Minister to take stringent action against these Apps and direct the RBI to issue proper guidelines, so that such Apps can be controlled. Thank you. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI DHANANJAY BHIMRAO MAHADIK (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRIMATI MAUSAM NOOR (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, the issue that the hon. Member has raised about Chinese Apps and how common people are being harassed and cheated by some of these Apps and, therefore, some action has to be taken up seriously... ... (Interruptions)... I would like to, through you, inform the august House that in the last 6-7 months I have had personal meetings with the representatives of the RBI and also with my Secretaries in the Ministry. Action from the RBI's side and our side, including the Ministry of Corporate Affairs, has been initiated in this. Sir, a lot of such Apps which are badly misusing have also been brought to the attention of Meity. So, there is a coordinated effort to contain such Apps and also to take action against those who are misusing such Apps... (Interruptions)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: उपसभापति जी, आपके पास चाइनीज़ ऐप्स के बारे में सुनने का समय है, लेकिन चीन ने जो किया है,..(व्यवधान).. उसके बारे में सुनने का समय नहीं है। ..(व्यवधान).. ऐप्स के बारे में सुनने का समय है।..(व्यवधान)..

श्रीमती निर्मला सीतारमण: कांग्रेस पार्टी इससे क्या साबित कर रही है कि कॉमन मैन की प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम नहीं है! This is a common man's problem on which we have taken action. ...(Interruptions)... Hon. Prime Minister, Shri Modi, is concerned about the small borrowers who are getting cheated by Apps. ...(Interruptions)... Sir, the Congress Party has clearly betrayed and they have lack of concern for common man. ...(Interruptions)... So, here, we have taken concerted efforts. ...(Interruptions)... Sir,

RBI, MeitY, MCA and the Ministry of Finance are working to ensure that common man is not cheated by any Apps. Thank you. ... (Interruptions)...

श्री सैयद नासिर हुसैन (कर्नाटक): माननीय उपसभापति जी..(व्यवधान)..

श्री प्रमोद तिवारी : सर, यह क्या है? ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : प्रमोद जी, आप पहले बैठिए।..(व्यवधान)..प्लीज़ एक मिनट। ..(व्यवधान)..

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): उपसभापति जी, हम बोलने के लिए खड़े हैं।..(व्यवधान)..

श्री सैयद नासिर हुसैन : आप हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं देते हैं। ..(व्यवधान)..

श्री राघव चड्ढा (पंजाब): सर, आप हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं।..(व्यवधान)..

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: चीन जो कर रहा है, उसके लिए समय नहीं है।..(व्यवधान)..

श्री सैयद नासिर हुसैन : उपसभापति जी, माननीय एलओपी खड़े हैं। ..(व्यवधान)..वे कुछ कहना चाहते हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : मैंने अभी माननीय एलओपी को बोलने की अनुमति दी थी।..(व्यवधान).. मैंने उनको बोलने की अनुमति दी थी। ..(व्यवधान)..

श्री सैयद नासिर हसैन : उपसभापति जी, आप हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : माननीय श्री सैयद नासिर हुसैन जी ..(व्यवधान).. राघव जी, प्लीज़ बैठ जाइए। ..(व्यवधान)..रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, प्लीज़ सुनिए। ..(व्यवधान).. आप एक मिनट बैठिए।..(व्यवधान).. मैं चेयर से खड़ा होकर आपसे आग्रह कर रहा हूं।

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, I am on a point of order. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Raghavji, please take your seat.

श्री राघव चड्ढा : सर, आप हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापित: राघव जी, मैं आपकी ही की तरफ देख रहा हूं और बता रहा हूं। प्लीज़ एक बार सीट पर बैठ जाइए। ..(व्यवधान)..माननीय सदस्यगण, मैंने सुबह आते ही माननीय एलओपी को विस्तार से बोलने का मौका दिया था। ..(व्यवधान).. पुन: रूल 267 के अंतर्गत जितने नोटिस आए थे, इन्क्लूडिंग माननीय राघव चड्डा जी, आपका भी, वह स्थिति मैंने स्पष्ट की थी। हाउस लिस्टेड बिज़नेस के अनुसार चलता है, अगर लिस्टेड बिज़नेस की किसी चीज़ में कोई बदलाव होता है तो चेयरमैन के कंसेन्ट से होता है और मैंने वह स्पष्ट किया है कि रूल 267 की क्या स्थिति है। अगर आप में से कोई सदस्य किसी वक्त कुछ कहना चाहे, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाइए। आप जो रूल्स बनाते हैं, मैं उसके तहत फंक्शन करता हूं। आपने जो रूल्स बनाए हैं, जो डेली का बिज़नेस है, मैं उसके तहत चलूंगा। अगर ज़ीरो ऑवर चल रहा है और हर आदमी खड़ा हो जाए, तो मैं इजाज़त नहीं दे सकता हूं।..(व्यवधान)..माननीय एलओपी कुछ कह रहे हैं।..(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य : इसी रूल के तहत बात कर रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: उपसभापित जी, हमारे सदस्य, जो इधर के मेम्बर्स हैं, जब कोई भी सवाल उठाते हैं या चर्चा की डिमांड करते हैं, तो \* आप हमें मौका ही नहीं देते हैं। आप बार-बार पूछते हैं कौन-से रूल्स में? मैं बताता हूं, Rule 266 - 'residuary powers' says, "All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Chairman may from time to time direct". It means that you can direct. You can suspend the rules. You can allow us. This is a very important matter. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat now. ... (Interruptions)...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, the Chinese incursion is an important matter. How they are ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please refrain from allegations against the Chair. ...(Interruptions)... No, please...(Interruptions)... Hon. LoP, please... (Interruptions)...

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, I have a point of order. ... (Interruptions)...

<sup>\*</sup>Expunged as ordered by the Chair.

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, "All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Chairman may from time to time direct". ...(Interruptions)...माननीय एल.ओ.पी., प्लीज़। माननीय एल.ओ.पी. को मैंने सुबह बोलने का मौका दिया, पुनः माननीय एल.ओ.पी. रूल क्वोट करने के लिए खड़े हुए तो मैंने उन्हें बोलने का मौका दिया। माननीय सदस्यगण, अब आप मुझे यह बतायें, जिस रूल का इन्होंने उल्लेख किया, उस रूल में कहा जा रहा है कि ...(व्यवधान)...

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, I am also raising a point of order. ... (Interruptions)...

श्री उपसभापति : चेयरमैन की जो डायरेक्शन है, मैंने उसी के तहत आपको रूल 267 में स्पष्ट किया कि नोटिस नहीं है।...(व्यवधान)... रूल्स के तहत आज का जो बिज़नेस है, मैं उसी के तहत जाऊंगा। कोई व्यक्ति अगर बिज़नेस को चेंज करना चाहे तो उसकी एक प्रक्रिया है।...(व्यवधान)... मैं अपेक्षा करता हूं कि आप उस प्रक्रिया का पालन करें।...(व्यवधान)... उस प्रक्रिया के तहत, उन रूल्स के तहत आप नोटिसेज़ दें और उन पर बहस की मांग करें।...(व्यवधान)...श्री बाबू राम निषाद जी।

# Need to remove silt in the mainstream of the Ganga, Yamuna and Ghagra rivers in Uttar Pradesh

श्री बाबू राम निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश और सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय श्री बाबू राम निषाद जी की बात के अलावा और कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।...(व्यवधान)...

श्री बाबू राम निषाद: महोदय, कालांतर में घटता हुआ भूगर्भ जलस्तर, दूषित, सिमटती और विषेली होती निदयां, सिकुड़ते ग्लेशियर राष्ट्रीय चिंतन के विषय हैं। ...(व्यवधान)... आज तक देश की किसी भी नदी में डीसिल्टिंग का काम नहीं किया गया है।...(व्यवधान)... पहले देश की निदयां अविरल बहती थीं और बहती हुई निदयों में खुद को साफ रखने और गहराई बनाए रखने की क्षमता होती थी। समय बदला और निदयां भौतिक समृद्धि का शिकार हुईं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया ज़ीरो ऑवर चलने दें। माननीय श्री बाबू राम निषाद की बात के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(व्यवधान)...

श्री बाबू राम निषाद : पहाड़ों में बड़ी मात्रा में हाइड्रो पावर प्लांट बनाए गये तो मैदानी भागों में सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर बांध बना दिये गये, जिससे नदियों का अविरल बहाव रुक गया।...(व्यवधान)... नदियां रुकीं तो मानो पूरी पारिस्थितिकी ही रुक गई और नदियों में सिल्ट जमा होने लगी।...(व्यवधान)... सिल्ट जमा हो जाने का सबसे बड़ा उदाहरण गंगा नदी पर बना फरक्का बैराज है, जिसके कारण पहले सिल्ट के ढेर बने और फिर वे पर्वताकार पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो गए, जिससे गंगा नदी का पानी फैल कर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल की भूमि को निगलता जा रहा है ...(व्यवधान)...और वर्तमान में राजमहल से लेकर मालदा तक का बड़ा क्षेत्र आज विश्व के सबसे बड़े कटान क्षेत्र में सम्मिलित हो गया है।...(व्यवधान)... बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज से लेकर गाजीपुर, बिलया तक सैकड़ों गांव आज कटान के दंश को झेल रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्लीज़ बैठ जाइये, ज़ीरो ऑवर चलने दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री बाबू राम निषाद : इसी तरह घाघरा नदी में भी अनेकों गांव व शहर कटान के कारण उजड़ते जा रहे हैं।...(व्यवधान)... सच्चाई तो यह है कि मनुष्य जहां-जहां भी अपनी भोगवादी जीवनशैली का हस्तक्षेप करता रहा है, वहां-वहां विष बीज का वमन होता जा रहा है।...(व्यवधान)... हम आप प्रत्यक्षदर्शी हैं कि प्रकृति समय-समय पर भूकम्प, भूस्खलन, घटते भूगर्भ जलस्तर, ओज़ोन परत क्षरण, सूखा, बाढ़ इत्यादि के रूप में मनुष्य की क्रूरता का शिकार हुई है।...(व्यवधान)... समग्र राष्ट्र बूंद-बूंद जल संकट से जूझ रहा है। एक तरफ नदियों से सिल्ट की सफाई न होने के कारण अधिकांश नदियां लुप्तप्राय होती जा रही हैं...(व्यवधान)... तो दूसरी तरफ सिल्ट जमा होने की वजह से नदियों के माध्यम से जिस पानी को भूगर्भ के जलस्तर को बनाए रखना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है, जिससे पीने के पानी व सिंचाई की भयंकर समस्या खड़ी हो गई है।...(व्यवधान)... नदियों में जल की सर्व उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए कुछ प्रमुख बातों को हम ध्यान में रखकर जल व नदियों को बचा सकते हैं।...(व्यवधान)... जैसे हम समय-समय पर देश-प्रदेश की नदियों से रेत (सिल्ट) को हटाते रहें, जिससे नदियाँ अपने मुख्य स्वरूप में बनी रहें।...(व्यवधान)... ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति : आपका समय समाप्त हो गया है। ...(व्यवधान)...

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member. ... (Interruptions)...

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member. ... (Interruptions)...

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member. ... (Interruptions)...

श्री उपसभापति : श्रीमती महुआ माजी। ...(व्यवधान)...

## Financial difficulties being faced by Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi, Jharkhand

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड): माननीय उपसभापित महोदय, आज कई दिनों के प्रयास के बाद मुझे यह अवसर दिया गया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)... मैं हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जो झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, उसके बारे में कहना चाहती हूँ कि आज उसकी स्थित बहुत ही बुरी हो गई है। ...(व्यवधान)... वह बहुत ही जर्जर स्थिति में है। ...(व्यवधान)... वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो ठेकेदार हैं, जो श्रीमक हैं, उनको पिछले 12 महीने से सैलेरी नहीं मिली है। ...(व्यवधान)... उनके परिवार भृखमरी की कगार पर खड़े हैं। ...(व्यवधान)... वह इतना प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप अपने माननीय सदस्यों को बैठाइए, मैं आपको मौका देता हूँ। ...(व्यवधान)...

श्रीमती महुआ माजी: उसने मदर इंडस्ट्री के रूप में अपनी पहचान बनाई है। ...(व्यवधान)... एचईसी ने मदर इंडस्ट्री के रूप में अपनी पहचान बनाई है। ...(व्यवधान)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at thirty-six minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at twelve of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

#### **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q.No.106, Shri Abir Ranjan Biswas.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, he is unwell. That is why he is not present.

\*106. [The questioner was absent.]

# Inclusion of cotton in Essential Commodities Act

- \*106. SHRI ABIR RANJAN BISWAS: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:
- (a) the yearly increase in the export of cotton yarn/fabric since 2019, year-wise details thereof;
- (b) the price of a kilogram of raw cotton compared to the price of a kilogram of garment exported with value addition fetched in the international market, the details thereof;

- (c) whether Government is considering including cotton in the Essential Commodities Act, considering the dominant position of cotton and the shortage of raw cotton in textile industry, if so, the details thereof; and
- (d) whether Government is considering to remove basic Custom Duty and Agriculture Infrastructure Development Cess levied on the import of cotton?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

- (a) The detail of yearly percentage increase in the export of cotton yarn/fabric is annexed.
- (b) There is no such information available with the Ministry.
- (c) There is no such proposal at present. There is adequate availability of cotton in the country as the estimated cotton production is 341.91 lakh bales and consumption is 311 lakh bales.
- (d) As of now there is no such proposal.

#### **Annexure**

# EXPORT OF COTTON YARN (Including Sewing Thread)

YEAR	Qty (Mn tonne)
2018-2019	1.26
2019-2020	0.96
2020-2021	1.011
2021-2022	1.39

YEAR	Qty (Mn Sqm.)
2018-2019	1739.61
2019-2020	1877.04
2020-2021	1770.37

2374.48

# **Export of Cotton Fabrics**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Any supplementaries?

2021-2022

श्री अनिल बलूनी: माननीय उपसभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो निर्यात में वृद्धि हुई है, वह सरकार के प्रयासों से हुई है। ...(व्यवधान)...

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: सर, आप इतने इम्पॉर्टेंट इश्यू पर चर्चा की अनुमित दें ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापित : माननीय मेम्बर्स, हाउस के जो रूल्स हैं, उन रूल्स के अनुसार जो रोज़ का लिस्टेड बिज़नेस होता है, हाउस उसके अनुसार चलता है, यदि आप उसमें बदलाव चाहते हैं, तो आप उसके लिए नोटिस दीजिए, वह प्रॉपरली चेयरमैन साहब से स्वीकृत होगा। आप अपने आपसे चाहते हैं कि जो मैं कहूं, उस पर तुरंत बहस हो जाए, तो आप ऐसा नियम बनाइये। जो निर्धारित नियम हैं, सदन उन्हीं के अनुसार चलेगा।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल किया है, उन्होंने कहा है कि कपास के उत्पादन के कारण एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा है? मैं बताना चाहती हूं कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने यह तय किया है कि कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्रीज़ आदि इन सभी को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने योजना बनाई है। खासकर पिछले दिनों कॉटन की क्वालिटी अच्छी हो जाए, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, आधुनिक उपकरणों के साथ उसकी गुणवत्ता के मूल्यांकन के साथ हमने उसका प्रोडक्शन बढ़ाया है, जिससे कि अच्छा रॉ-मैटिरियल मिलने से रेडिमेड गारमेंट्स और जो अन्य कॉटन आधारित चीजें बनती हैं, उनको बढ़ावा मिले।

श्री प्रेम चंद गुप्ता: उपसभापित महोदय, सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं, यदि हम उन्हें देखते हैं तो कॉटन यार्न और कॉटन फैब्रिक्स का जो एक्सपोर्ट हुआ है, उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्वांटिटीवाइज़, 2021-22 में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से सारी दुनिया में कॉटन फेब्रिक्स और कॉटन गारमेंट्स के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हम इसमें बहुत

पीछे हैं। आज के दिन जो हमारा कॉटन गारमेंट्स और फैब्रिक्स के एक्सपोर्ट का पूरा बिज़नेस है, यह बंगलादेश की तरफ जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में आप कोई ऐसा स्टेप उठा रही हैं कि हमारा जो बिज़नेस उधर जा रहा है, उसे हम वापस लायें और इसको आगे बढ़ायें।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: महोदय, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तीन-चार सेक्टर्स के ऊपर टिकी हुई है। हमारा देश कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ था और जिस तरह से कॉटन का प्रोडक्शन होता था, पूरी दुनिया मैन-मेड फाइबर को यूज़ करती है। इसके लिए हमारा वहां 25 परसेंट स्टेक ही था और हम जो कॉटन और इसके द्वारा निर्मित चीजों का प्रोडक्शन करते थे, उनका यूज़ इंडिया में ही होता था। परंतु जिस तरह से आपने कॉटन रेडिमेड गारमेंट्स के बारे में बताया, तो एक स्कीम के माध्यम से फेब्रिक्स,मैन-मेड फाइबर और टेक्निकल टैक्सटाइल्स - इन तीनों कम्पोनेंट्स पर हम एक पीएलआई स्कीम लाये, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया और यहां 47 कंपनियों ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया, जिसके कारण आत्मिनर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए उस प्रोडक्शन में हमने बढ़ोतरी की है।

वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : महोदय, श्री प्रेम चंद जी की बात में बहुत तर्क है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कहूं। माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, यह बात सच है कि गत कुछ वर्षों में बंगलादेश और वियतनाम - इन दोनों देशों ने कॉटन टेक्सटाइल और कॉटन गारमेंटस के क्षेत्र में काफी बढत की है, लेकिन इसकी गहराई में जाना आवश्यक है। बंगलादेश अभी भी (एल.डी.सी.) लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है और 2026 तक वह एल.डी.सी. रहेगा, जिसके कारण उसको पूरी दुनिया के बाजारों में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है। सिमिलरली वियतनाम के द्वारा यूरोपियन यूनियन, जो सबसे बडी मार्केट है, उनके साथ एफटीए करने से उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है। साधारणतः हमारे गारमेंट्स के ऊपर यूरोप में 9, 10 और 12 परसेंट ड्यूटी लगती है, जिसके कारण बंगलादेश और वियतनाम को लाभ हुआ और हम उसका लाभ ले नहीं पाये, क्योंकि 2013 में जो एफटीए की चर्चा यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही थी और अलग-अलग देशों के साथ बातचीत हो रही थी, उसको अबॉर्ट कर दिया गया था, छोड दिया गया था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो गत वर्षों में भारत का वर्चस्व बनाया है, पूरे विश्व में आज भारत एक ताकत के रूप में जो उभर रहा है, उसके कारण आज पुनः पूरे विश्व में सबकी इच्छा है कि भारत के साथ वे अपने ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स बढ़ाएँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करें। आपके माध्यम से मुझे आप सबको सूचित करते हुए बड़ी खुशी होती है कि एक ही वर्ष में दो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के साथ एग्रीमेंट हुआ। यू.ए.ई. के साथ पहली मई से, the FTA has entered into force. साइन तो पहले ही हो गया था, but it has entered into force in a record time. ऑस्ट्रेलिया के साथ, 29 दिसम्बर से, the FTA will enter into force. इसके अलावा ७ के ७ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों से बात चल रही है, यूरोपियन यूनियन से एफटीए की बात चल रही है, कनाडा से एफटीए की बात चल रही है, यू.के. से एफटीए की बात चल रही है। यह दिखाता

है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और उसको दिख रहा है कि भारत आगे चल कर एक विश्वसनीय पार्टनर, ट्रस्टेड पार्टनर होगा। इसी की वजह से हमारे कृषि मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय, दोनों ने मिल कर एक टेक्सटाइल एडवाइज़री ग्रुप में फ्रॉम फार्म टू फॉरेन - जो माननीय प्रधान मंत्री जी कई बार फाइव-एफ्स कहते हैं - फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। ये जो फाइव-एफ्स हैं, इनकी पूरी वेल्यू चेन को एक साथ जोड़ा गया है। कृषि मंत्रालय भी हमारी बहुत मदद कर रहा है कि कॉटन की जो उत्पादकता है, प्रोडिक्टिविटी है, उसको कैसे भारत में बढ़ाया जाए।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, कृपया ब्रीफली बोलिए।

श्री पीयूष गोयल: मैं इसमें थोड़ी लास्ट जानकारी दे देता हूँ। कल ही, वाराणसी में जो 'काशी तमिल संगमम्' हो रहा है, जिसमें तमिलनाडु और काशी का जुड़ाव और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके तहत देश भर के कॉटन टेक्सटाइल के लोग फ्रॉम फार्मर्स टू एक्सपोर्टर्स, सब इकट्ठे हुए थे, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और सबने संतुष्टि व्यक्त की है कि जिस प्रकार से तेज गित से कॉटन पर काम चल रहा है, आगे का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। माननीय श्री रविचंद्र वद्दीराज्।

श्री रिवचंद्र वहीराजू: सर, हमारे तेलंगाना में हमारे केसीआर जी के नेतृत्व में, इस देश में जो कहीं भी इम्प्लिमेंट नहीं है, फार्मर्स और वीवर्स को सपोर्ट करते हुए राइथु बंधु स्कीम में 10,000 रुपये देने और 24 X 7 बिजली और पानी देने के कारण बहुत सारी क्रॉप्स आ गयी हैं, पैडी और कॉटन भी आयी हैं।

**श्री उपसभापति** : आप सवाल पूछिए।

श्री रिवचंद्र वहीराजू: सर, यह क्वेश्चन ही है, आंसर नहीं है। मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ। कॉटन का प्राइस बढ़ाने के लिए, 6,080 से लेकर 12,000 एमएसपी करने के लिए - हमारे यहाँ वीवर्स कम्युनिटी में लाखों लोग हैं, टेक्सटाइल के लिए 5 परसेंट जीएसटी है।

श्री उपसभापति : आप प्लीज़ सवाल पूछिए।

श्री रिवचंद्र वहीराजू: सर, उसको हटाने के लिए लाखों पोस्टकार्ड्स दिये गये हैं। इसको भी थोड़ा देख लीजिए। जीएसटी खत्म करने के लिए लिखा गया है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप सवाल पृष्ठिए। ...(व्यवधान)...

श्री रिवचंद्र वद्दीराजू: सर, उसको हटाने के लिए और एमएसपी बढ़ाने के लिए ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप अपना सवाल पूछिए।...(व्यवधान)...

श्री रिवचंद्र वद्दीराजू: सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूँ। ...(व्यवधान)...

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: सर, जीएसटी के लिए जो भी बात होती है, वह फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करती है, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा किसानों की आय दोगुना करने के लिए जो बोला है, तो कॉटन का सबसे ज्यादा पैसा, एमएसपी से ज्यादा पैसा इस समय मिला है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 107.

# Merger of BBNL with BSNL

\*107. SHRI K. R. SURESH REDDY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

- (a) whether Government is planning to merge Bharat Broadband Network Limited (BBNL) with Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) to fast track its ambitious BharatNet project, which aims to connect 6,00,000 villages with high speed internet;
- (b) if so, the details thereof; and
- (c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

(a) to (c) The Union Cabinet in the meeting held on 27.07.2022 approved the merger of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) with Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) for expediting the roll-out of BharatNet network across about 6 lakhs villages. BharatNet would continue to be funded by Universal Service Obligation Fund (USOF) and its

infrastructure will remain a National asset owned by USOF and accessible on a non-discriminatory basis to all Service Providers. The merger of BBNL with BSNL will provide end-to-end connectivity leading to better uptime and utilization of BharatNet.

SHRI K. R. SURESH REDDY: Sir, the Minister's reply looks quite promising but the agony is that BBNL, which has been constituted in 2012, even after spending almost Rs. 42,000 crores so far, has failed to fulfill its objective. My question to the hon. Minister is now that you are trying to merge BSNL with BBNL, what is the Government's year-wise schedule to ensure that all the six lakh villages in our country are covered by broadband? Sir, 'work from home' has become a new norm today, and, today, millions of youngsters are working in remote villages. So, till broadband reaches them, it will remain a difficult scenario. Since BBNL has been a failure, I want to know as to what are the steps that the Minister is going to take. Please give us a year-wise schedule.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Deputy Chairman, Sir, I would like to correct the hon. Member. BBNL is being merged with BSNL not because BBNL is a failure. It is because ...(Interruptions)...

DR. K. KESHAVA RAO: It is his perception. ... (Interruptions)...

SHRI ASHWINI VAISHNAW: It is a wrong statement, Sir. I would like to very clearly place on record that BBNL did a very good work in expanding the network. Now, the point is, between BSNL and BBNL, there was a little bit of friction. The bandwidth comes from international bandwidth. That comes with BSNL. Beyond that, it was being given to BBNL and then BBNL was giving it to the villages. In between, to reduce whatever cost friction was there and to make sure that a very harmonized development of broadband happens, both these organizations have been merged, and the network which was created by BBNL has been already handed over to BSNL. The results are very good. The combined network of BSNL and BBNL today is adding more than one lakh household connections every month. Now, imagine, Sir, in rural areas, more than one lakh household connections every month providing good bandwidth, providing good connectivity. Today, the data consumption in these connections is close to 120 GB per month. So, this new model where we have taken the local village entrepreneurs onboard

and where we are making sure that the village economy grows using the infrastructure which is being provided, I think, this model is very good. It is progressing very rapidly, and I am sure, in coming months, hon. Member will see the results.

SHRI K.R. SURESH REDDY: I wish the hon. Minister very best in his endeavour. But what we see on the field looks a little different. For example, now the entire country, in the private sector of telecom, is on 5G, whereas your BSNL is still under 3G. So, this is a case of worry where most of the connections are very limited in BSNL. So, my question is regarding something very important. The call drops has been an area of concern. None other than the Prime Minister has said, 'अगर किसी की एक कॉल ड्रॉप होती है, तो उसके खाते में एक रुपया जमा करना चाहिए' - यह बात प्रधान मंत्री जी ने पाँच साल पहले कही थी। So, these are the areas of concern. The Minister is doing his best. I wish him all the best. But the point is...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question, please.

SHRI K.R. SURESH REDDY: The question is: When will BSNL come up from 3G to 5G?

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय उपसभापित महोदय, माननीय सांसद ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। कई बार मुँह न खोलें, तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अब इन्होंने पूछ ही लिया है, तो बोलना ही पड़ेगा। सर, बीएसएनएल एक बहुत ही हेल्दी कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी। एमटीएनएल भी बहुत हेल्दी कंपनी थी। 2004 से 2014 वाला जो पीरियड था, उस पीरियड में इन दोनों कंपनियों पर जिस तरह का अत्याचार हुआ...(व्यवधान)... कुछ लोगों ने इन दोनों कंपनियों को कैश काउ मान कर ट्रीट किया, जो आज अपोजिशन बैंचेज़ में बैठे हैं। इस तरीके से इन कंपनियों को एक-एक करके सिस्टमैटिक तरीके से खराब किया, अगर एग्ज़ाम्पल देंगे, तो दस एग्ज़ाम्पल्स निकलेंगे।...(व्यवधान)...

डा. के. केशव राव: यहाँ से भी एग्ज़ाम्पल देंगे, तो सौ एग्ज़ाम्पल्स निकलेंगे।...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति** : प्लीज़, प्लीज़।

श्री अश्वनी वैष्णव: ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2019 में बीएसएनएल को पहला पैकेज करीब-करीब 70 हजार करोड़ रुपए का दिया। उसके बाद बीएसएनएल एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया और अभी पिछली जुलाई में पीएम साहब ने बीएसएनएल के फर्दर रिवाइवल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश अब तक जिस सेक्टर में हमेशा बाहर के देशों पर डिपेंडेंट होता था, उस सेक्टर में एन्ड टू एन्ड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक डेवलप करने का जिम्मा लिया और आज 4जी और 5जी का वह टेक्नोलॉजी स्टैक बन कर रेडी है। अब बहुत जल्दी बीएसएनएन और एमटीएनएल में इसका रोलआउट चालू होगा और देश का ही बना, देश का ही डेवलप्ड 5जी आएगा। वे परिस्थितियाँ गईं, जब अच्छे पीएसयूज़ को आप लोग एक अलग ही तरीके से देखते थे। आज उनको डेवलप करके ग्रो करने के लिए काम किया जा रहा है।...(व्यवधान)...

DR. AMEE YAJNIK: Sir, I have looked at the reply given by the hon. Minister. Further objectives are very laudable. I would like to ask one question only. The principle of asset monetisation seems to have failed. Have you looked into the failures why asset monetisation of the BBNL could not be done? Now it has been merged with the BSNL by a Cabinet meeting in July 2022. I would just like to ask this. Only 77,000 villages have been given this facility. Will all the six lakh villages be connected, and in what timeframe?

श्री अश्वनी वैष्णव: सर, बीबीएनएल के पूरे के पूरे नेटवर्क को बीएसएनएल को दिया गया है, और इसका कारण है, इसके पीछे लॉजिक है। मैंने पहले क्वेश्चन के आन्सर में भी जवाब दिया था कि बीएसएनएल अपने आप में करीब-करीब साढ़े आठ लाख किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क मेन्टेन करता है। बीबीएनएल ने करीब-करीब साढ़े छः लाख किलोमीटर का नेटवर्क बनाया है। साढ़े आठ लाख और साढ़े छः लाख, करीब 15 लाख किलोमीटर का एक यूनिफाइड नेटवर्क देश को मिल सके, इसी कारण से, instead of having an asset monetisation, इस पूरे के पूरे नेटवर्क को बीएसएनएल को दिया गया है, तो यह एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इस स्टेप से जो बेनिफिट हुआ, वह मैंने भी बताया कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को एक लाख से ज्यादा कनेक्शंस मिल रहे हैं। जिस तरह से यह डेवलप हुआ है, जितने ज्यादा लोग अब इससे जुड़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेट्ली यह बहुत तेजी से बढ़ेगा। खास तौर से, अगर आप गुजरात की बात पूछें, तो प्रॉबेबली गुजरात पूरे देश में पहला स्टेट है, जहाँ हरेक गाँव तक ऑलरेडी फाइबर पहुंच चुका है।

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK: Sir, the North-East, with its difficult and challenging terrain and settlements and habitations being in far-flung areas, faces communication problem. Will the North-East be covered under the Bharat Net Project, and tentatively when?

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, it is an excellent question. Hon. Prime Minister's commitment towards providing excellent connectivity to the North-East has been demonstrated through multiple projects. First, a project worth about Rs.800 crore was taken up for providing connectivity along the highways. Recently, for the entire North-Eastern villages, which are uncovered so far, a complete 4G saturation package has been approved. This package is worth Rs.26,000 crore. This entire package is going to cover close to 24,000-25,000 villages which were yet to get complete, adequate 4G coverage. In fact, States like Odisha which has a significant part of the State uncovered, North-Eastern part, parts of Himachal, parts of Jammu and Kashmir, and all the farflung areas are getting covered under the saturation programme and it is progressing very well.

SHRIMATI RAJANI ASHOKRAO PATIL: Sir, through you, I would like to know this from the hon. Minister. Why didn't the Government give 4G to the BSNL, and by when will you give 5G?

श्री अश्वनी वैष्णव: सर, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। कभी-कभी अपनी गिरेबां में भी झांकना चाहिए कि जब स्पेक्ट्रम देने की बात आई थी या वीजीएफ देने की बात आई थी, तब आपकी पार्टी की सरकार ने क्या फैसला लिया था? ...(व्यवधान)... तब क्या फैसला लिया था? ...(व्यवधान)... वह भी देखना चाहिए। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please address the Chair.

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय उपसभापित महोदय, हम इनकी तरह काम करने वाले लोग नहीं हैं। ...(व्यवधान)... मोदी जी ने एकदम स्पष्ट कहा है कि भारत में बना, भारत में डेवलप हुआ 4जी और 5जी कंप्लीट टेक्नोलॉजी स्टैक बीएसएनएल में लगेगा और दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि होगी। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या १०८. माननीय घनश्याम तिवाड़ी।

#### Implementation of PM-KISAN yojana in Rajasthan

\*108. SHRI GHANSHYAM TIWARI: Will the Minister of AGRICULTURE AND

Original notice of the question was received in Hindi.

# FARMERS WELFARE be pleased to state:

- (a) the details of schemes launched by Government for the welfare of farmers during the last three years;
- (b) whether it is fact that funds under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) yojana are being deposited directly into the account of the farmers; and
- (c) if so, the details of funds transferred to the farmers of the State of Rajasthan under this yojana during the last three years, district-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI KAILASH CHOUDHARY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

- (a) Department of Agriculture and Farmers Welfare (DA&FW), Government of India is committed to the welfare of farmers in the country and it is implementing many schemes for farmers' welfare. The details of the schemes/programms launched by the DA&FW during the last three years are given in **Annexure-I**.
- (b) Yes Sir. Funds under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) yojana are deposited directly into the account of the farmers through Direct Benefit Transfer (DBT).
- (c) The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM-KISAN) aims at providing financial assistance to landholding farmer families across the countryto enable them tofulfill the expenses/needs related to agriculture. Under the Scheme, an amount of Rs. 6000/- per year is transferred in three 4-monthly installments of Rs.2000/-. District-wise details of fund transferred to the farmers of Rajasthan so far under PM-KISAN are at Annexure-II.

Annexure-I

# Schemes/Programms launched by Department of Agriculture & Farmers Welfare during last three years

S.No.	Name of the scheme/Programms	
1	Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM-KISAN)	
2	Pradhan Kisan Mantri Maan Dhan Yojana (PM-KMY)	
3	Agriculture Infrastructure Fund (AIF)	
4	National Beekeeping and Honey Mission (NBHM)	
5	Formation and promotion of 10,000 FPOs	
6	National Mission on Edible Oils — Oil Palm (NMEO-OP)	
7	National Mission on Natural Farming	
8	Minimum Support Price (MSP)	

# Annexure -II

District-wise details of funds transferred to the farmers of Rajasthan so far under PM-KISAN

Name of the district	No. of Beneficiaries	Amount (Rs Crores)
AJMER	2,88,395	529.14
ALWAR	4,24,533	753.41
BANSWARA	2,10,450	402.48
BARAN	2,06,933	405.29
BARMER	4,10,064	749.49
BHARATPUR	2,78,737	542.93
BHILWARA	3,69,257	746.8
BIKANER	1,80,622	319.43
BUNDI	1,75,562	349.59
CHITTORGARH	2,37,826	462.47
CHURU	2,57,949	499.71
DAUSA	2,03,839	379.58
DHOLPUR	1,45,461	271.8

DUNGARPUR	2,25,631	365.61
GANGANAGAR	1,56,632	300.11
HANUMANGARH	2,15,510	421.98
JAIPUR	4,49,969	822.61
JAISALMER	72,356	116.17
JALORE	2,93,978	479.37
JHALAWAR	2,64,369	545.64
JHUNJHUNU	2,31,079	444.89
JODHPUR	3,54,086	642.11
KARAULI	1,44,549	268.78
KOTA	1,93,820	342.31
NAGAUR	4,14,259	762.21
PALI	2,86,367	470.05
PRATAPGARH	1,17,799	197.78
RAJSAMAND	1,52,562	275.27
SAWAI MADHOPUR	1,64,565	330.76
SIKAR	2,68,665	512.55
SIROHI	87,457	157.12
TONK	2,66,705	512.31
UDAIPUR	2,67,183	469.07
Total	80,17,169	14848.77

श्री घनश्याम तिवाड़ी: माननीय उपसभापित महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने 'प्रधान मंत्री सम्मान निधि' में राजस्थान को 14,848.77 करोड़ रुपया दिया है। सर, मेरा प्रश्न यह है कि पिछले आठ वर्षों में कृषि के बजट में सरकार ने कितनी बढ़ोतरी की है, पीएम-किसान योजना में किसानों को अब तक कितनी राशि मुहैया कराई गई है और एफपीओ से किसानों को किस प्रकार लाभ होगा? यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री कैलाश चौधरी: माननीय महोदय, हम सब जानते हैं कि देश में किसानों की आबादी लगभग 70 प्रतिशत है। जहाँ तक बजट की बात है, तो वर्ष 2013 में जो कृषि का बजट था, वह लगभग 23,000 करोड़ के आस-पास था, लेकिन में माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि कृषि का इस वर्ष का जो बजट है, वह 1,32,000 करोड़ से भी अधिक है। उसमें से लगभग आधे से अधिक, जो लगभग 65,000 करोड़ रुपये हैं, वे किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पहुँचते हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा लगभग 11.50 करोड़ किसानों को गया है। इस प्रकार, कुल मिलाकर 2,24,000 करोड़ रुपये देश के किसानों के अकाउंट्स में किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुँचे हैं।

महोदय, मैं दूसरी बात यह बताना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधान मंत्री ने किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर बजट को बढ़ाया। किसान खेत में तो जीत जाता था, वहाँ वह अपनी फसल को पैदा कर लेता था, लेकिन जब वह मार्केट में जाता था, तो वहाँ जाते-जाते वह हार जाता था। इसलिए इस चीज़ पर विचार किया गया कि मार्केट में उसकी फसल की अधिक वैल्यू कैसे मिले, उसको अधिक रेट कैसे मिले। इसको लेकर आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने एक स्कीम, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन प्रारंभ की, जिसको हम एफपीओ के नाम से जानते हैं। इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन के माध्यम से आज देश भर में लगभग 10,000 एफपीओज़ बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंदर लगभग सभी एलोकेट हो गए हैं। उनमें से 4,031 एफपीओज़ का रजिस्ट्रेशन देश भर में हो चुका है। इन्हीं एफपीओज़ के माध्यम से किसान अपने आपको मार्केट से डायरेक्ट लिंक कर पाएगा और अपनी लागत में भी कमी कर पाएगा, क्योंकि एफपीओ कम्पनी एक्ट में भी बन रहा है और कोऑपरेटिव एक्ट में भी है। कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर 300 से अधिक किसानों का एक समूह बनेगा। जब उन छोटे-छोटे किसानों का समूह बनेगा, तो उनमें बार्गेनिंग क्षमता भी बढ़ेगी और जब वे एक साथ परचेज़ करेंगे, तो उनकी लागत में भी कमी आएगी तथा टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होगा।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप संक्षिप्त जवाब दें।

श्री कैलाश चौधरी: इसके लिए एक सीबीओ का गठन किया गया है, जो उनको मार्केट से लिंक करवाएगा। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। आज पूरे देश के अंदर किसानों में एफपीओ के प्रति जागरूकता बढ़ी है, उसके प्रति उनका विश्वास भी जगा है और वे उसके प्रति आकर्षित भी हैं। इस प्रकार, आने वाले समय में एफपीओ के माध्यम से किसान को टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, वह बिज़नेस भी कर पाएगा और वह खुद की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग की यूनिट भी लगा पाएगा।

श्री उपसभापति : जो माननीय सदस्य सवाल पूछ रहे हैं, उनसे और माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि अगर वे दोनों अपनी बात संक्षिप्त रखें, तो बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा। तिवाड़ी जी, आप सेकंड सप्लिमेंटरी पूछिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सर, जिस प्रकार माला में मनकों की संख्या 108 होती है, उसी तरह इस क्वेश्चन का नम्बर भी 108 है, इसीलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है। ...(व्यवधान)...

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पीएम-किसान योजना में किसान बड़ी संख्या में 'स्वयं' पोर्टल पर पंजीकरण कराते हैं। राजस्थान में ऐसे कितने किसानों की स्वीकृति अभी राज्य सरकार के स्तर पर पेंडिंग है तथा इसके क्या कारण हैं? श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापित महोदय, किसान सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाता है और इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। राज्य सरकारें किसानों के नाम और उनके अकाउंट्स भारत सरकार के पास भेजती हैं, जिसके बाद किसानों के अकाउंट्स में पैसा पहुँचता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। राजस्थान में जिन किसानों ने 'स्वयं' पोर्टल पर अपने नाम दर्ज करवाए थे, उनकी संख्या लगभग 15 लाख थी, जिनमें से 8 लाख, 65 हज़ार किसानों को मंजूरी मिल गई है। उनमें से दो लाख किसान ऐसे थे, जो इनकम टैक्स पेयी थे या इसके पात्र नहीं थे, जिसके कारण उनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अभी तक ऐसे 4 लाख, 25 हज़ार किसान हैं, जिनके नाम पोर्टल पर हैं और वे पेंडिंग हैं। उसके लिए हमने राज्य सरकार को बता दिया है कि राज्य सरकार उनको तुरंत प्रभाव से वेरिफाई करे। अगर वे उस पोर्टल पर चढ़ाएंगे, तो किसानों तक 'किसान सम्मान निधि' का पैसा पहुंच जाएगा। ये राज्य सरकार के पास पेंडेंसी में हैं। निश्चित रूप से जैसे ही वे नाम हमारे पास आएंगे, वैसे ही हम उन सभी किसानों को दो हज़ार रुपये की किस्त रिलीज़ करना प्रारम्भ कर देंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: उपसभापित महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के मुताबिक कुल किसानों की संख्या 14 करोड़, 50 लाख है, किन्तु पीएम किसान निधि की राशि केवल 10 करोड़, 45 लाख लोगों को ही 11वीं किस्त के रूप में दी गई, यानी 4 करोड़ कम लोगों को दी गई? महोदय, 10 करोड़, 45 लाख किसानों को 11वीं किस्त दी गई। 12वीं किस्त उसमें से कम होकर केवल 8 करोड़, 42 लाख किसानों को ही मिली है, यानी 2 करोड़ लोग और घट गए। यह 4 करोड़ लोगों को कम क्यों दी जा रही थी और 11वीं और 12वीं किस्त में 2 करोड़ किसान और क्यों कम हो गए? क्या सरकार का लक्ष्य किसानों को फायदा देना है या पीएम किसान निधि को धीरे-धीरे खत्म करना है?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापित महोदय, प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने यह महत्वपूर्ण स्कीम प्रारम्भ की। यह स्कीम पहली बार प्रारम्भ हुई। प्रधान मंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। यह इसी उद्देश्य से प्रारम्भ की गई। आपने देखा होगा कि लगातार आंकड़े भी बढ़े और प्रारम्भ में सभी किसानों को किसान सम्मान निधि देना प्रारम्भ किया गया, क्योंकि उस समय हमें डेटा लेना था, एक साथ एक स्कीम को प्रारम्भ करना था, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार कुछ ऐसे किसान थे जो इनकम टैक्स पेयी हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं या कोई राजनीतिक क्षेत्र में बड़े पद पर हैं, तो ऐसे किसान जो अपात्र थे, उन अपात्र किसानों के नाम को कम करने का काम किया, जिसकी वजह से कुछ नाम कम हुए। अभी किसानों के लिए एक पोर्टल ओपन है, वह पोर्टल हमेशा ओपन रहता है। राज्य सरकार अगर किसी भी पात्र किसान का नाम लिखकर भारत सरकार को भेजती है तो हमारी यह मानसिकता है कि किसान को वह पैसा मिले, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है या उनके साथ मीटिंग भी

करते हैं कि इस पोर्टल पर अधिक से अधिक पात्र किसानों के नाम चढ़ाए जाएं, जिससे कि अधिक किसानों को लाभ मिले। इस दिशा में काम किया जा रहा है।

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, the Minister is not answering, 6 करोड़ किसान कैसे कम हो गए?...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)... कृपया आपस में बात न करें। Please address the Chair. ...(Interruptions)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, मंत्री जी प्वाइंटेड सवाल का प्वाइंटेड जबाव दें।

श्री कैलाश चौधरी: सर, राज्य सरकार जिन किसानों के नाम भेजेगी, उनको हम निश्चित रूप से किसान सम्मान निधि का पैसा देंगे।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय सुरजेवाला जी, आपने अपना सवाल पूछ लिया है। ...(व्यवधान)... माननीय राजेन्द्र गहलोत जी।

श्री राजेन्द्र गहलोत: माननीय उपसभापित महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची में बाजरा, धान आदि रखा गया है। राजस्थान सरकार बाजरा उगाने वाले किसानों को लाभ न देने के कारण उनसे बाजरा नहीं खरीद रही है।

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य, आप सवाल पूछें।

श्री राजेन्द्र गहलोत: मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे बाजरे की खरीद करने के लिए राजस्थान सरकार पर दबाव डालें।

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापित महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। एमएसपी को लागत से डेढ़ गुना करने का निर्णय माननीय प्रधान मंत्री जी ने लिया है, उसके बाद से एमएसपी के अंदर लगातार खरीद में वृद्धि हो रही है। मुझे यह बात ज़रूर कहनी है कि बाजरे के उत्पादन में राजस्थान देश के अंदर अग्रणी प्रदेशों के अंदर आता है। अधिकतर किसान वहां बाजरे का उत्पादन करते हैं, लेकिन राजस्थान के किसानों के बाजरे के लिए एमएसपी के ऊपर जो खरीद होनी चाहिए, उसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार के पास कोई प्रपोज़ल नहीं आया है। अगर राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से प्रपोज़ल भेजेगी तो भारत सरकार भी निश्चित रूप से बाजरा

खरीदने के लिए तैयार है। अगर वे पीडीएस के अंदर देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से भारत सरकार तैयार है, लेकिन यह राज्य सरकार के ऊपर है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri S Niranjan Reddy. The question relates to PM Kisan Yojana in Rajasthan.

SHRI S NIRANJAN REDDY: Sir, the only question, which would also cover Rajasthan, is that the 2020 Standing Committee Report on Chemicals and Fertilizers suggested that a switchover be made to direct subsidy to farmers instead of indirect subsidy on fertilizers. The question I wanted to ask the hon. Minister is, does the Government intend to move in that direction?

श्री कैलाश चोधरी: उपसभापित महोदय, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सब्सिडी के तौर पर चाहे खाद में यूरिया या डीएपी के अंदर जितना परचेज़ करते हैं, आज यूरिया के एक बैग का रेट लगभग 2,200 या 1,700 के आस-पास है, लेकिन वही बैग किसानों को 600 और 700 रुपये के अंदर दिया जा रहा है। 3,500 रुपये के आस-पास डीएपी की खरीद है, लेकिन वही डीएपी का कट्टा किसान को 1,350 रुपये में दिया जा रहा है। लगभग दोगुने से अधिक या जिसमें भारत सरकार सब्सिडी के तौर पर पैसा देती है, उसकी वजह से किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेट बढ़ गए थे। हालांकि इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसके बावजूद किसानों के ऊपर भार नहीं आने दिया गया, इसी वजह से भारत सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी के तौर पर लाभ दिया जा रहा है।

श्री उपसभापति : थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 109. श्री मोहम्मद नदीमुल हक।

## Need of more IPM centres in the country

\*109. SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

- (a) the number of Integrated Pest Management (IPM) centres in the country, Statewise;
- (b) the details of various schemes and programmes that are disseminating the IPM approach at National and State-levels;

- (c) whether Government acknowledges the fact that the country is in dire need of moreIPM centres and whether any steps have been taken in this regard;
- (d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and
- (e) whether Government is planning to incorporate alternative methods of pestmanagement like Pheromone Trap, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI KAILASH CHOUDHARY): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

- (a) There are 36 Central Integrated Pest Management Centers (CIPMCs) in different States and UTs in India. The state wise details of CIPMCs are enclosed in Annexure I.
- (b) (i) Central Integrated Pest Management Centers (CIPMCs) in collaboration with the State Agriculture Departments conduct various training programmes such as Farmers' Field Schools (FFS), two/five days Human Resource Development (HRD) programmes, Kisan Goshthis, Integrated Pest Management (IPM) Exhibitions and Seed Treatment Campaigns to sensitize farmers about safe and judicious use of pesticides. During 2021-22, the 36 CIPMCs conducted 282 FFSs and 80 HRD programmes in which 14238 farmers, pesticide dealers NGOsand State Government functionaries received training.
- (ii) Government of India is also implementing various schemes such as Krishi VigyanKendras (KVKs), Agricultural Technology Management Agency (ATMA) and National Food Security Mission (NFSM) under which IPM approach is disseminated to farmers in the State. Under the Rashtriya Krishi VikasYojana (RKVY) funds are released to the State Governments for implementing various approved projects including relating to IPM. The KVKs conducted 3919 demonstrations on IPM at farmers' fields and trained 160396 farmers on various aspects of plant protection including IPM approach.
- (iii) ICAR-National Centre for Integrated Pest Management (NCIPM) is engaged in development and validation of Integrated Pest Management (IPM) modules for different crops in region specific manner for minimizing pesticide use by the farmers.

ICAR-NCIPM has conducted 43programmes including FFS, field days, HRD trainings, awareness programmes, exposure visits etc. during 2022.

- (c) and (d) CIPMCs in collaboration with State agriculture institutions disseminate theIPM approach. At present there is at-least one CIPMC in most of the States. In some states like Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Jammu and Kashmir there is more than one CIPMC. The request by States for setting up of CIPMCs is considered as required.
- (e) The CIPMCs disseminate knowledge about various integrated practices for pest management which includes use of pheromone traps.

Annexure-I
State-wise Central Integrated Pest ManagementCentres (CIPMCs)

Sr. No.	Name of State/UT	No. of CIPMCs	Located at
1.	Haryana	01	Faridabad
2.	Himachal Pradesh	01	Solan
3.	Jammu and Kashmir	02	Jammu and Srinagar
4.	Punjab	01	Jalandhar
5.	Rajasthan	02	Jaipur and Sriganganagar
6.	Uttar Pradesh	03	Lucknow, Agra and Gorakhpur
7.	Uttarakhand	01	Dehradun
8.	West Bengal	01	Kolkata
9.	Odisha	01	Bhubaneswar
10.	Bihar	01	Patna
11.	Jharkhand	01	Ranchi
12.	Andaman and Nicobar	01	Port Blair
13.	Assam	01	Guwahati
14.	Arunachal Pradesh	01	Itanagar
15.	Meghalaya	01	Shillong
16.	Manipur	01	Imphal
17.	Mizoram	01	Aizawl

18.	Nagaland	01	Dimapur
19.	Tripura	01	Agartala
20.	Sikkim	01	Gangtok
21.	Karnataka	01	Bengaluru
22.	Telangana	01	Hyderabad
23.	Andhra Pradesh	01	Vijayawada
24.	Kerala	01	Ernakulum
25.	Tamil Nadu	01	Trichy
26.	Maharashtra	02	Nagpur and Nasik
27.	Madhya Pradesh	02	Indore and Morena
28.	Gujarat	01	Vadodara
29.	Goa	01	Madgaon
30.	Chhattisgarh	01	Raipur
	Total	36	

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, the farmers' population in India is around 146 million as per the Agriculture Census. But, the number of Farmer Field Schools through which IPM activities are propagated are only 70 and only 20 Human Resource Development Programmes were conducted where 3,350 farmers were trained in IPM activities.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, I want to know from the Minister as to why training activities by IPM are disproportionate to the number of farmers.

श्री कैलाश चौधरी: उपसभापित महोदय, इंटिग्रेटेड पैस्ट मैनेजमेंट निश्चित रूप से देश के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर में हमारे 36 ऐसे केंद्र हैं, जहां पर किसानों को सर्वेक्षण देना, एडवाइज़री देना, किसी पैस्ट के बारे में जानकारी देना और उनको प्रशिक्षित करने के विषय को लेकर ये स्थापित किए गए हैं। वहां पर इसके बारे में किसानों को फॉर्मर स्कूल के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या हमारी जो दूसरी संस्थाएं या अन्य इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी उसके साथ जोड़ा जाता है और वे यह पता लगाते हैं कि किस जगह पर पैस्ट आया है। उसके बाद यदि कोई स्पेसिफिक स्थान है, जहां पर वह आया है, तो उसको टारगेट करके वहां पर जाते हैं। इसके अंदर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर

राज्य को कहीं पर लगता है कि उसके यहां पैस्ट आया है, या कोई कीड़ा लग गया, तो वे तुरंत उसकी जानकारी दे सकते हैं और वहां जाकर हमारे सांइटिस्ट्स पैस्ट की जानकारी लेकर उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। इसमें यदि कोई स्टेट आरकेवीवाई योजना के अंदर है, एनएफएसएम की योजना या 'आत्मा' योजना के अंदर अपना प्रपोज़ल बनाकर भेजते हैं, तो निश्चित रूप से इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसमें राज्य अपनी स्कीम के तहत भी भेज सकते हैं और इसके अंदर इसका समाधान किया जा सकता है।

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: The Ministry's website quotes that "Relevance of IPM practices are more important in vegetable and fruit crops because of their unique mode of consumption. So, my question is, has any Farmer Field School been conducting training with an aim to reduce pesticide residue in fruits and vegetables so far?

श्री कैलाश चौधरी: उपसभापित महोदय, इसके अंदर सब्जी हो, क्रॉप, फल या कोई भी फसल हो, यदि किसी के अंदर भी इस चीज़ की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार सीआईपीएमसी को वहां से प्रपोज़ल या जानकारी देती है, तो निश्चित रूप से गांव में जाकर किसानों को ट्रेनिंग देनी होती है, एडवाइज़री देकर उनको जानकारी दी जाती है, जिसकी वजह से काफी समाधान भी हुआ है, क्योंकि जब पैस्ट आता है, तो उसके लिए उसमें pheromone trap या बायो एजेंट है, ऐसा भी अगर कोई आ जाता है, तो उसके लिए उनको तुरंत बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि आप इस तरह से करें, जैसे अगर उसके अंदर कीड़ा आ जाता है, तो मादा या नर को किस तरह से मिलाकर, उसको कैसे खत्म करें, इस दिशा में भी लगातार प्रयास किए जाते हैं। उसकी वजह से देश में जब ऐसी कोई बीमारी आ जाती है, तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से किया जाता है और उसका परिणाम यह है कि किसान को तुरंत इसका समाधान भी मिलता है।

श्री विजय पाल सिंह तोमर: मान्यवर, वैसे तो अभी मंत्री जी ने बताया कि 36 केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र हैं और उनका प्रचार-प्रसार भी हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी ग्लाइकोसाइड जैसी प्रतिबंधित कीटनाशक दवाएं बाजार में आती हैं। इससे आए दिन किसानों की मौत होती है। इस तरह की बातें हर प्रदेश से सामने आती हैं, जो कि कुछ प्रदेशों में ज्यादा हैं और कुछ में कम हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसको कम करने के लिए आप क्या विकल्प तैयार कर रहे हैं?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापित जी, इसको लेकर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए हम ड्रोन ट्रेक्नोलॉजी का उपयोग करें, जिसमें सेन्सर लगे होते हैं। उस सेन्सर के अंदर अगर कोई भी कीड़ा किसी पेड़, पौधे या फसल के अंदर है, तो वह स्पेसिफिक उसी के ऊपर अटैक करेगा और जहां पर कीड़ा नहीं है या बीमारी नहीं है, उस जगह पर ड्रोन का जो सेन्सर है, वह उस स्थान को छोड़ देगा, उससे पैस्टिसाइड्स की बचत होगी और मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि हम उसको लेकर प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनिक खेती की बात करें, तो देश के अंदर इसका रकबा भी निश्चित रूप से बढ़ रहा है और नैचुरल फार्मिंग का रकबा भी बढ़ रहा है। 'नमामि गंगे' के तहत गंगा के किनारे पर भी प्राकृतिक खेती की जा रही है। हम उस समस्या को कैसे हल करें - एक तो प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से अगर लगातार देखा जाए, तो मैं बताना चाहूंगा कि पैस्टिसाइड्स का उपयोग भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। देश में 2017 के अंदर 63,496 मीट्रिक टन पैस्टिसाइड का उपयोग हो रहा था, लेकिन अब वह घटकर 58,720 मीट्रिक टन रह गया है। धीरे-धीरे ये प्रयास किए जा रहे हैं कि पैस्टिसाइड्स का उपयोग कम हो और जहां उपयोग नहीं है, वहां पर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो। इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है।

श्री उपसभापति : माननीय कृषि मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय उपसभापित जी, माननीय सदस्य ने बड़ी अच्छी बात कही और नकली पैस्टिसाइड्स के बारे में सभी को चिंता होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि इस मामले में केंद्र सरकार राज्य सरकार के संपर्क में रहती है और जब ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है, तब राज्य सरकारों के माध्यम से इस प्रकार के लोगों पर रेड करके उन पर कार्रवाई की जाती है। सरकार की यह भी कोशिश है कि किसान का नुकसान फसल के समय और फसल के उपरांत भी बचाया जा सके। इसके लिए भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए भारत सरकार डिजिटल एग्रीस्टैक बना रही है और हमने इसरो के साथ भी अभी कुछ दिन पहले एमओयू किया है। इसके साथ निश्चित रूप से ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी इसीलिए भारत सरकार ने जल्दी अपूव किया कि कुल मिलाकर मानव शरीर पर पैस्टिसाइड्स के जो दुष्प्रभाव होते हैं, उनसे किसान बचें और ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पैस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र को खेत में छिड़कें, जिससे कि उनकी बचत भी होगी और मानव शरीर पर जो दुष्प्रभाव होते हैं, उससे भी बचा जा सकेगा।

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Sir, I thank you for allowing me to ask a supplementary question on Q. No. 109. What are the steps taken by the Union Government to promote the usage of natural insecticides and what are the steps taken to reduce the usage of chemical pesticides?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापित जी, जैसा मैंने पहले बताया और अभी माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसान के पास नई टेक्नोलॉजी पहुंचे। अगर किसान के पास नई टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, तो उससे किसान को लाभ होगा। किसान के लिए सेन्सर सिस्टम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के माध्यम से रकबा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, नैचुरल फार्मिंग के ऊपर भी काम किया जा रहा है। देश भर में जैसा हम जानते हैं कि जहां पर किसान कैमिकल का अधिक उपयोग करता है, वहां उसका असर मानव जीवन के ऊपर भी पड़ता है। हम आने वाले वक्त में नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए देश भर में प्रयास कर रहे हैं। हमारे जितने साइंटिस्ट्स हैं, लगभग 457 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, जिनको हमने प्रशिक्षित किया है कि वे जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत के माध्यम से या ऑर्गेनिक खेती करें तथा किसानों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि किसान भी यदि नैचुरल फार्मिंग के माध्यम से, प्राकृतिक खेती के माध्यम से ऑर्गेनिक उत्पादन करेंगे, तो मानव जीवन के ऊपर भी कम प्रभाव पड़ेगा।

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया: उपसभापित जी, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों का सम्मान बढ़ाया है तथा ऐसी कई योजनाएं हैं जिनमें किसानों की आय कैसे बढ़े, उसके लिए कदम उठाये गए हैं।

श्री उपसभापति : माननीय दिनेशचंद्र जी, आप केवल सवाल पूछिए।

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया: माननीय उपसभापित जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापित महोदय, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, किसानों को डायरेक्ट सपोर्ट मिले और उनको ट्रेनिंग भी मिले, इसके लिए 50 हजार रुपये किसान को पर हेक्टर देना एक योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जिसमें लगभग 31 हजार रुपये उसको पूरे मिलते हैं तथा जो 18 हजार रुपये हैं, वे उसको दूसरे कम्पोनेंट के अंदर दिये जाते हैं, तािक किसान उसकी ओर आकर्षित हो। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार यह प्रयास किया जा रहा है तथा हमारी एक पीकेवाई योजना है, परम्परागत कृषि विकास योजना है, जिसके माध्यम से यदि कोई भी उसको करना चाहता है या राज्य सरकार भी उस प्रोजेक्ट को करना चाहती है, तो राज्य सरकार भी पीकेवाई योजना के अंदर कार्यक्रम को लेकर अपने प्रदेश के अंदर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत कर सकती है और काम भी कर सकती है।

श्री उपसभापतिः प्रश्न संख्या ११०.

# Fixing of MSP

\*110. DR. SASMIT PATRA: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

- (a) by when Government is planning to increase the Minimum Support Price (MSP) to 1.5 times of the C2 value, as per Swaminathan Commission Report recommendations;
- (b) the reasons for Government taking the value of A2+FL, instead of C2, when fixing the MSP earlier; and
- (c) by when would the C2 value be considered for increasing the MSP to 1.5 times of C2 value, as proposed by Prof. M.S. Swaminathan in his report?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

(a) to (c) The National Commission on Farmers (NCF) was constituted under the Chairmanship of Prof. M.S. Swaminathan, in November 2004, with a mandate to examine the various issues which include a medium-term strategy for food and nutrition security, enhancing productivity, profitability and sustainability, policy reform for flow of rural credit, cost competitiveness of farm commodities, among other. The Commission submitted its final report in 2006. It also prepared the Draft National Policy for Farmers, which was subsequently approved by Government as National Policy for Farmers (NPF), 2007. However, one of the recommendations of NCF relating to Agricultural Price Policy -Minimum Support Price (MSP) should be at least 50 percent more than the weighted average cost of production- was not included in NPF.

To give recognition to one of the important recommendations of NCF on Price Policy, Government in its Union Budget for 2018-19 had made an historical announcement to keep MSP at a level of one and half times of the cost of production as a pre-determined principle. Accordingly, MSPs for all mandated Kharif, Rabi and other commercial crops has been fixed with a return of at least 50 per cent over all India weighted average cost of production since the year 2018-19.

While recommending MSP, CACP considers important factors like overall demand-supply conditions, cost of production, domestic and international prices, intercrop price parity, terms of trade between agricultural and non-agricultural sectors, the likely effect on the rest of the economy, besides ensuring rational utilization of land, water and other production resources and a minimum of 50 percent as the margin over cost of production. The Cost of production, being an important factor in the determination of MSP, CACP projects cost for current year on the basis of actual paid out costs such as those incurred on account of hired human labour, bullock labour/machine labour, rent paid for leased in land, expenses incurred in cash and kind on the use of material inputs like seeds, fertilizers, manures, irrigation charges, depreciation on implements and farm buildings, interest on working capital, diesel/electricity for operation of pump sets etc., miscellaneous expenses and imputed value of family labour.

The Government extends price support to paddy and wheat through the Food Corporation of India (FCI) and State Agencies. Under this policy, whatever food grains are offered by farmers, within the stipulated period and conforming to the specifications prescribed by Government are purchased at MSP by the State Government agencies including FCI for Central Pool. Further, oilseeds, pulses and copra of Fair Average Quality (FAQ) are procured from registered farmers under Price Support Scheme under Umbrella Scheme of Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan (PM-AASHA), as per its prescribed guidelines at MSP in consultation with the concerned State Government as and when market price of these produce fall below the MSP. Government's price policy is to ensure remunerative prices to farmers by offering to procure their produce at MSP. However, farmers are free to sell their produce to the Government procurement agencies at MSP or in the open market whichever is advantageous to them.

Government has adopted and implemented several policies, reforms, developmental programmes and schemes for achieving higher incomes for the farmers directly or indirectly. These include:

#### 1. Unprecedented enhancement in budget allocation

In the year 2015-16, the Budget allocation for Ministry of Agriculture and FW (including DARE, DAH&F) was only  $\stackrel{?}{_{\sim}}$  25460.51 crore. This has increased by more than 5.44 times to  $\stackrel{?}{_{\sim}}$  1,38,550.93 crore in 2022-23.

## 2. Income support to farmers through PM KISAN

Launch of PM-KISAN in 2019 -an income support scheme providing ₹ 6000 per year in 3 equal installments. More than ₹ 2.2 lakh crores has been released so far to approximately 11.3 crore eligible farmer families.

#### 3. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

PMFBY which was launched in 2016 to address problems of high premium rates for farmers and reduction in sum insured due to capping. In past 6 Years of implementation 38 crore farmer applications have been enrolled and over 11.73 crores (Provisional) farmer applicants have received claims. During this period, nearly ₹ 25,185 crores were paid by farmers as their share of premium against which claims of over ₹ 1,24,223 crore (Provisional) have been paid to them. Thus, for every 100 rupees of premium paid by farmers, they have received about ₹ 493 as claims.

# 4. Institutional credit for agriculture sector

- i. Increased from ₹ 8.5 lakh crore in 2015-16 with a target to reach ₹ 18.5 lakh crore in 2022-23.
- ii. Benefit of concessional institutional credit through KCC at 4% interest per annum has also now been extended to Animal Husbandry and Fisheries farmers for meeting their short-term working capital needs.
- iii. A special drive has been undertaken since February 2020 to provide concessional institutional credit with focus on covering all PM-KISAN beneficiaries through Kisan Credit Cards (KCC). As on 11.11.2022, 376.97 lakh new KCC applications have been sanctioned with a sanctioned credit limit of ₹ 4,33,426 crore as part of the drive.

#### 5. Promotion of organic farming in the country

i. Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) was initiated in 2015-16 to promote organic farming in the country. 32384 clusters have been formed and an area of 6.53 lakh hectare has been covered, benefitting 16.19 lakh farmers. In addition, Under Namami Gange Programme, 123620 hectare area covered and under natural farming 4.09 lakh hectare area covered. Farmers in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar and Jharkhand have taken-

- up organic farming on either side of the river Ganga to control river water pollution as well as to fetch additional income to farmers.
- ii. Government also proposes to promote sustainable natural farming systems through the scheme Bhartiya Prakratik Krishi Padhati (BPKP). The proposed scheme aims at cutting down cost of cultivation, enhancing farmer's income and ensuring resource conservation and, safe and healthy soils, environment and food.
- iii. Mission Organic Value Chain Development in North East Region (MOVCDNER) has been launched. 379 Farmer Producer Companies have been formed comprising of 189039 farmers and covering 172966 hectares area.

#### 6. Per Drop More Crop

Per Drop More Crop (PDMC) scheme was launched in the year 2015-16 which aims to increase water use efficiency, reducing cost of inputs and increasing productivity at the farm level through Micro Irrigation technologies i.e. drip and sprinkler irrigation systems. So far, an area of 69.55 lakh hectare has been covered under Micro irrigation through the PDMC scheme from the year 2015-16.

#### 7. Micro Irrigation Fund

A Micro Irrigation Fund of initial corpus ₹ 5000 crore has been created with NABARD. In the Budget Announcement for 2021-22, the corpus of the fund is to be increased to ₹10000 crores. Projects worth ₹ 4710.96 crores covering 17.09 lakh hectares have been approved.

#### 8. Promotion of Farmer Producer Organizations (FPOs)

- To bring scales of economy to agricultural operations a new Central Sector Scheme for Formation & Promotion of new 10,000 FPOs was launched by Hon'ble Prime Minister on 29<sup>th</sup> February, 2020 with budget outlay of ₹ 6865 crore till 2027-28.
- ii. As on 31.10.2022, 3855 number of FPOs have been registered under new FPO scheme.

9. A National Beekeeping and Honey Mission (NBHM) has been launched in 2020 as part of the Atma Nirbhar Bharat Abhiyan to increase productivity of crops through pollination and increase in honey production as an additional source of income. ₹ 500 crore for the period 2020-2021 to 2022-2023 has been allocated for beekeeping sector. 114 projects for assistance of about ₹ 139.23 crores, approved/ sanctioned for funding under NBHM during 2020-21 & 2021-22 till date.

## 10. Agricultural Mechanization

Agricultural mechanization is an extremely vital to modernize agriculture and reduce drudgery of farming operations. During the period from 2014-15 to March, 2022 an amount of ₹5490.82 crores has been allocated for agricultural mechanization. 13,88,314 numbers of machines and equipments have been provided to farmers on subsidy basis. 18,824 custom hiring centers, 403 high-tech hubs and 16,791 farm machinery banks have been established to make available agricultural machines and equipments to the farmers on rental basis. During the current year i.e. 2022-23, so far, an amount of ₹ 504.43 crores has been released for distribution of around 65302 machines on subsidy, establishment of 2804 CHCs, 12 Hi-tech hubs and 1260 Village Level Farm Machinery Banks.

#### 11. Providing Soil Health Cards to farmers

Soil Health Card Scheme was introduced in the year 2014-15 to optimize usage of nutrients. The following numbers of cards have been issued to farmers;

- i. Cycle-I (2015 to 2017) 10.74 crore
- ii. Cycle-II (2017 to 2019) 11.97 crore
- iii. Model Village Programme (2019-20)- 19.64 lakh

#### 12. Setting up of National Agriculture Market (e-NAM) extension Platform

- 1260 mandis of 22 States and 03 UTs have been integrated to e-NAM platform.
- ii. As on 31.10.2022, more than 1.74 crore Farmers & 2.36 Lakh traders have been registered on e-NAM portal.
- iii. Total volume of 6.5 crore MT & 19.24 crore numbers (bamboo, betel leaves, coconut, lemon & sweet corn) collectively worth approximately ₹

2.22 lakh crore of trade has been recorded on e-NAM platform as on 31.10.2022.

13. Launch of the National Mission for Edible Oils — Oil Palm - NMEO has been approved with a total outlay of ₹ 11,040 crore. This will bring an additional area of 6.5 lakh hectare under Oil Palm plantation with 3.28 lakh hectare in the northeastern states and 3.22 lakh hectare in the rest of India in the next 5 years. The major focus of the Mission is to provide Viability Prices of fresh fruit bunches (FFBs) to the farmers linked with assured procurement by industry with a simpler price fixing formula. The Central Government will compensate farmers through a viability gap payment if price paid by industry is below the viability price up to October, 2037.

#### 14. Agri Infrastructure Fund (AIF)

Since inception of AIF in the year 2020, the scheme has sanctioned an amount of ₹13681 crore worth agriculture infrastructure in the country for more than 18133 projects. With the support of the scheme, various agriculture infrastructures were created and some of the infrastructure are at the final stage of completion. These infrastructures include 8076 warehouses, 2788 primary processing units, 1860 custom hiring centres, 937 sorting & grading units, 696 cold store projects, 163 assaying units and around 3613 other kinds of post-harvest management projects and community farming assets.

#### 15. Improvement in farm produce logistics, Introduction of Kisan Rail.

Kisan Rail has been launched by Ministry of Railways to exclusively cater to movement of perishable agrihorti commodities. First Kisan Rail was started in July 2020. Till 31<sup>st</sup> October, 2022, 2359 services on 167 routes have been operated.

#### 16. MIDH - Cluster Development Programme:

The Cluster Development Programme (CDP) is designed to leverage geographical specialisation of horticulture clusters and promote integrated and market-led development of pre-production, production, post-harvest, logistics,

branding, and marketing activities. DA&FW has identified 55 horticulture clusters, of which 12 have been selected for the pilot phase of the CDP.

# 17. Creation of a Start-up Eco system in agriculture and allied sector

So far, 1055 Startups during FY 2019-20 to 2022-23 have been finally selected by different knowledge partners and agribusiness incubators of DA&FW. A total of ₹ 6317.91 lakhs grants-in-aid has been released for funding to these Startups to the respective Knowledge Partners (KPs) & RKVY RAFTAAR Agri Business Incubator (R-ABIs) as grants-in-aid support by DA&FW.

# 18. Achievement in Export of Agri and Allied Agri- Commodities

The country has witnessed emphatic growth in export of agri and allied commodities. As compared to the year 2015-16, the Agri and allied export has increased from 32.81 billion USD in 2015-16 to 50.24 billion USD in 2021-22 i.e. an increase of 53.1%.

The efforts of Government at positive implementation of these schemes have yielded remarkable results towards augmenting the income of the farmers as part of the 'Azadi ka Amrit Mahotsav', Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has released a book, which contains compilation of success stories of 75,000 farmers out of innumerable successful farmers who have increased their income more than two times.

डा. सिस्तित पात्रा: माननीय उपसभापित महोदय, जब भी एमएसपी का ज़िक्र आता है, यह बहुत सेंसिटिव रहता है। किसानों के हक में तथा किसानों के विकास के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, वह एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। मैं ओडिशा से आता हूं और मैं अपनी बात को संक्षेप में रखूंगा। ओडिशा में धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, पैडी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि धान के लिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में और कितनी वृद्धि की जा सकती है, जिससे किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और उनका बेहतर विकास हो सके।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय उपसभापित जी, माननीय सदस्य ने ओडिशा के धान के बारे में पूछा है। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि भारत सरकार वर्ष में दो बार रबी और खरीफ का अलग-अलग एमएसपी घोषित करती है। उसमें धान भी है, गेहूं भी है, दलहन भी है, तिलहन भी है और बाकी सभी लगभग 22 फसलें हैं, जिनका एमएसपी घोषित किया जाता है। जहां तक धान का सवाल है, तो धान का एमएसपी भी धान की फसल में घोषित किया जाता है। मैं समझता हूं कि जब से प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लागत में 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर एमएसपी में घोषित करने का निर्णय किया है, तब से लगातार सभी 22 फसलों पर एमएसपी बढ़ाकर एमएसपी घोषित किया जा रहा है।

डा. सस्मित पात्रा: माननीय उपसभापित जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का ज़िक्र किया है, हालांकि प्रश्न एमएसपी पर था, क्योंकि यह उत्तर में दिया गया है, इसिलए मैं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के बारे में एक संक्षिप्त प्रश्न पूछने का अवसर लेना चाहूंगा। किसानों के विकास के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत इम्पॉटैंट प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम को हम और कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कैसे इसको और बेहतर बना सकते हैं कि किसानों के पास फसल बीमा की जो राशि है, जिसको वे क्लेम से एक्सपेक्ट करते रहते हैं, उसको और स्ट्रीमलाइन और स्मूथली कैसे कर सकते हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय उपसभापित जी, फसल बीमा योजना काफी पहले, जब वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे, तो एक छोटे स्वरूप में बनाई गई थी। तब से लगातार फसल बीमा के मामले में प्रश्न उठते रहे हैं। महोदय, 2014-15 में, जब माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी थी, तब इस पर बातचीत हुई थी। इसको परिवर्तित करके 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' के स्वरूप में लागू किया गया। महोदय, उसके बाद भी प्रश्न निरंतर खड़े होते रहे, अतः इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई और लोगों के, किसानों के जो सुझाव थे, उन सुझावों के आधार पर 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' को सुरक्षित भी बनाया गया एवं उसे और पारदर्शी बनाने की दृष्टि से भी कोशिश की गई। वर्तमान में यह योजना पूरे देश में ठीक प्रकार से चल रही है और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक किसानों का जहाँ नुक़सान हुआ है, वहाँ 1 लाख, 24 हज़ार करोड़ रुपये देकर उनके नुक़सान की भरपाई की गई है। इसके बावजूद भी किसी योजना को अमल में लाने का विचार करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। यदि माननीय सदस्य का कोई सुझाव हो, तो वे उसको जरूर हम तक पहुंचाएं।

श्री उपसभापति : माननीय प्रफुल्ल पटेल जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री प्रफुल्ल पटेल: उपसभापित महोदय, एमएसपी को लेकर एक ज्वलंत प्रश्न हमेशा बना रहता है कि किसानों को क्या मुआवजा मिलना चाहिए? महोदय, धान और गेहूँ खास कर प्रमुख उत्पादन फसलें हैं, जिनके माध्यम से किसानों को जो भी आय होती है, खास कर पंजाब, हरियाणा, वैस्टर्न यू.पी. और बहुत सारे ऐसे राज्यों में, मैं उस संदर्भ में यह बताना चाहता हूं कि अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है, उसके आधार पर हम सी टू या बाकी चीज़ों को लेकर एक रेट निर्धारित करते हैं। यह एक ठीक बात है कि उसमें हर साल लगातार कुछ न कुछ वृद्धि भी होती है।

महोदय, हरियाणा, पंजाब और वैस्टर्न यू.पी. के किसानों के उत्पादन की जो कीमत आती है, जैसी वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जैसे हवा, जमीन, पानी आदि हैं, ये कुछ अलग होती हैं। ये कुछ इस तरह से हैं कि वहाँ की उपजाऊ जमीन ज्यादा है। अब यही उत्पादन - जैसे अभी हमारे मित्र ने ओडिशा के बारे में कहा है, इनमें ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिमी बंगाल है, बिहार है, झारखंड है और हमारे महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है, यहाँ पर भी धान की फसल का उत्पादन होता है। गेहूँ मध्य प्रदेश में होता है एवं और भी कई राज्यों में होता है। मेरे प्रश्न पूछने का कारण यह है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ का पानी, यहाँ की फसल में अंतर है। वहाँ पंजाब, हरियाणा में तीन-तीन फसलें होती हैं, लेकिन यहाँ निसर्ग के आधार पर, बारिश के आधार पर एक फसल की पैदावार होती है। यदि जमीन कम है, तो कीमत या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्क होता है। आप हमारे पंजाब में आइए, हरियाणा में आइए एवं और भी जगहों पर आइए, आपको उसमें फर्क दिखेगा। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : धन्यवाद। ..(व्यवधान)..

श्री प्रफूल पटेल: नहीं, आप सुनिए। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आपने विस्तार से बताया है, सूना है मैंने।

श्री प्रफुल्ल पटेल: जवाब इतने लंबे आते हैं, जितना प्रश्न लंबा है और हम आपसे बार-बार पूछते नहीं हैं। मेरी आपसे इस बारे में कई बार बहस हो चुकी है, इसलिए आप कृपा करके मुझे एक मिनट में अपना सवाल पूरा करने दीजिए। ..(व्यवधान)..

**श्री उपसभापति** : जी।

श्री प्रफुल्ल पटेल : उपसभापति जी, मेरा यह कहना है कि जैसे कई राज्यों में, जहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग आती है - इनमें कई राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है ..(व्यवधान)..

**श्री उपसभापति** : आपने बता दिया है।

श्री प्रफुल्ल पटेल: उपसभापति जी, कई राज्यों में बोनस भी दिया जाता है, जो कि उन किसानों का ओवर एंड अबव एमएसपी है। यदि यह दिया जाता है, तो क्यों न हम एक ऐसी नीति लागू करें कि इन राज्यों में उत्पादन के जो खर्चे हैं और बाकी राज्यों में जो उत्पादन के खर्चे हैं, इसका अलग से कहीं पर एक अंदाज़ा बनाया जाए और उस अंदाज़े पर इन तीन राज्यों को छोड़कर जो एमएसपी है.. ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : धन्यवाद। आप दूसरे लोगों को भी मौका दीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय उपसभापित जी, एमएसपी पूरे देश के लिए एक ही होता है। इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया वर्ष भर फसलों के लिए काम करती रहती है। यह देश भर की यूनिवर्सिटीज़ और राज्य सरकारों के संपर्क में रहती है। महोदय, सीएसीपी सारा विचार-विमर्श करने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। जैसा कि प्रफुल्ल जी बता रहे थे कि यह बात सच है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जलवायु है, वहाँ की प्रकृति अलग है, इसलिए निश्चित रूप से वहाँ का उत्पादन, वहाँ की उत्पादकता और बाकी चीज़ें, जैसे जमीन के रेट्स हैं, उनमें भी निश्चित रूप से अंतर आता है। इन्हीं सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए, 2004 में स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था। उन्होंने अपनी अंतिम रिकमंडेशन्स 2006 में केंद्र सरकार को सब्मिट की थी। उस समय उन्होंने बहुत सारी रिकमंडेशन्स दी थीं। केंद्र सरकार ने सिमित बनाकर ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, आपसे आग्रह है कि आपस में बात न करें, यहाँ बहुत महत्वूर्ण चर्चा हो रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: एक समिति बनाकर 201 रिकमंडेशन्स पर काम करें। यह सरकार ने तय किया था, उसमें जो रिकमंडेशन्स की गई थीं, उनमें से एक रिकमंडेशन्स यह भी थी कि जो लागत किसान की आती है, उस पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर हमें एम.एस.पी. घोषित करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से यह उस समय में सम्मिलित नहीं हो पाया। हमने अपने जवाब में भी इस बात को कहा है, लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस स्वामीनाथन आयोग की रिकमंडेशन्स को स्वीकार किया और आज एम.एस.पी. लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाता है। पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कुल मिलाकर अगर हम 2014-15 को देखेंगे तो उस समय जो खरीद की स्थिति थी, वह खरीद की स्थिति भी बढ़ी है। उस समय 281 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाता था, जो अब 433 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाता है। लाभान्वित किसानों...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, यह सही है कि सवाल बड़ा लम्बा था, लेकिन जवाब संक्षिप्त होगा तो दूसरों को बोलने का मौका मिलेगा।...(व्यवधान)...

# श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : मैं एक मिनट में खत्म करता हूं।

माननीय उपसभापति महोदय, उस समय 1,06,000 करोड़ रुपया खरीद पर खर्च किया जाता था, आज 2,75,000 करोड़ रुपया खरीद पर खर्च किया जाता है और उसका लाभ किसानों को दिन-पर-दिन मिल रहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: माननीय उपसभापित जी, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में फसल बीमा योजना का जिक्र किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या फसल बीमा योजना को कुछ राज्यों ने पहले लागू किया था, लेकिन अब वे लागू नहीं कर रहे हैं? ऐसे राज्यों की संख्या क्या है और क्या ऐसे राज्यों से बातचीत करके दोबारा से फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार कोई प्रयास कर रही है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय उपसभापित जी, वैसे तो यह फसल बीमा योजना का प्रश्न नहीं है, लेकिन फसल बीमा योजना इसमें प्रवेश कर गई है। मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का जब परिमार्जित स्वरूप आया तो राज्यों और किसानों, दोनों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे इस योजना में रहें अथवा इसके बाहर रहें। इसलिए कुछ राज्य अपनी अलग-अलग स्कीम्स भी चलाते हैं, लेकिन हम लोग लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि सभी राज्य इसमें आयें। अभी काफी दिन से बातचीत चल रही थी और आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे फिर से जॉइन किया है और हमारी कोशिश है कि बाकी राज्य सरकारें भी इसे जॉइन करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुडा: सर, एम.एस.पी. को लेकर जैसा कि सदन जानता है, देश जानता है कि देश में एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ, 750 किसानों की जानें भी कुरबान हुईं। उसके बाद सरकार से एम.एस.पी. गारंटी को लेकर एक समझौता हुआ, जिसे लेकर सरकार ने एक कमेटी भी बनाई, लेकिन सभी किसान संगठनों ने उस कमेटी का बहिष्कार किया। उन्होंने वजह बताई कि एक तो उसमें जो सदस्य हैं, ज्यादातर ऐसे हैं, जो सार्वजिनक रूप से उन कानूनों के हक में थे और किसान आन्दोलन के खिलाफ थे। दूसरे, सब्जेक्ट मैटर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और नैचुरल फार्मिंग जोड़ दिया गया, जबिक आन्दोलन का यह विषय नहीं था। तीसरे, जो उसके चेयरमैन हैं, वे वही एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने तीन कानून बनाये और आज के दिन वे ऐज़ मैनेजर एक मल्टीनेशनल कम्पनी में काम कर रहे हैं। आज के दिन वे रिटायर हो चुके हैं और मल्टीनेशनल कम्पनी में काम कर रहे हैं। वे देश के किसान का भविष्य निर्धारित करेंगे?

मैं सरकार से उन 750 किसानों को श्रृद्धांजिल देते हुए पूछना चाहता हूं कि उस समझौते को सरकार कब तक लागू करेगी? मैं पूछना चाहता हूं कि एम.एस.पी. पर गारंटी के समझौते को सरकार कब तक लागू करेगी? वे जो चेयरमैन हैं, जो मल्टीनेशनल कम्पनी में नौकरी करते हैं, वे किसानों के एम.एस.पी. को निर्धारित करेंगे, यह मैं पूछना चाहता हूं? ...(व्यवधान)...

श्री विक्रमजीत सिंह साहनी : एम.एस.पी. कमेटी में कोई भी पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: उपसभापित महोदय, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों पर झूठी राजनीति करती रही है। इसी के कारण पूरे देश में किसानों को दुर्दशा का शिकार होना पड़ा। किसान आन्दोलन के समय भी कांग्रेस पार्टी ने दोहरा चरित्र अपनाया। ...(व्यवधान)...जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हए

कहती थी और वह जिन कानूनों की वकालत करती थी, हमने उन कानूनों को बनाया और बाद में ये किसानों को उकसाने के लिए पहुंच गये।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय उपसभापित महोदय, माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों को आश्वस्त करते समय कहा था कि मैं कृषि सुधारों के लिए समिति बनाऊँगा। ...(व्यवधान)... उस समिति में वैज्ञानिक भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, राज्य सरकार के अधिकारी भी होंगे और किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे। ...(व्यवधान)... वह समिति बन गई है ...(व्यवधान)... और वह समिति विचार कर रही है। ...(व्यवधान)... उसमें जो किसान प्रतिनिधि हैं, वे किसान यूनियनों के प्रतिनिधि हैं। ...(व्यवधान)... उन किसान यूनियनों को इस प्रकार से लांछित करना और उनके बारे में यह कहना बिल्कुल ही गलत है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Question No. 111. Dr. Ashok Kumar Mittal. ... (Interruptions)...

## Proposals for Food Parks in Punjab

- \*111. DR. ASHOK KUMAR MITTAL: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:
- (a) whether Government proposes to establish new food processing units and Food Parks in the country especially in Punjab during the period 2022-23;
- (b) if so, the details thereof along with the current status of such units, State-wise especially in Punjab;
- (c) whether Government has selected some districts/ regions for these units/ Food Parks, if so, the details of the selected regions; and
- (d) whether Government has earmarked any budget for the said project, if so, the details of the budget earmarked therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI PRAHALAD SINGH PATEL): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

(a) to (c) The Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) does not set up projects on its own. The project proposals are approved based on the proposals received against Expression of Interest (EoI) floated by the Ministry from time to time. In FY 2022-23, MoFPI has so far approved 120 food processing units across the country, including the State of Punjab, under Creation/ Expansion of Food Processing and Preservation Capacities (CEFPPC) Scheme which is one of the sub-schemes under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY). The details of State-wise/District-wise approved projects along with their implementation status are at **Annexure**.

Mega Food Parks Scheme has been discontinued w.e.f. 01.04.2021.

(d) For implementation of projects under CEFPPC scheme during the 15<sup>th</sup> Finance Commission Cycle period (2021-22 to 2025-26), Rs.1292 crore (Rs. 650 crore for setting up of new projects and Rs. 642 crore towards liability for ongoing projects) has been approved. For FY 2022-23, an amount of Rs. 282.80 crore has been allocated for the Scheme at BE stage.

**Annexure** 

Details of State-wise / District-wise approved projects along with their implementation status under CEFPPC sub-scheme so far during the FY 2022-23

Sr. No.	Name of Project Implementing Agency	District	State	Sector	Date of Approval	Project Cost (Rs. in Cr.)	Grants- in-aid approv ed (Rs. in Cr.)	Grants- in-aid Released Amount (Rs. In Cr.)	Status
1	M/s Podaran Foods India Private Limited	Chittoor	Andhra Pradesh	F&V processing	05.12.2022	19.06	5.00	0.00	Ongoing
2	M/s Rongoge Animal Feed Plant	Papum Pare	Arunachal Pradesh	Grain Milling (Animal Feed)	19.05.2022	15.7959	5.00	0.00	Ongoing
3	M/s Kan Dried Products	Papum Pare	Arunachal Pradesh	F&V processing	19.05.2022	12.754	4.26	0.00	Ongoing
4	M/s J M Apesha Group	Papum Pare	Arunachal Pradesh	Consumer Products	19.05.2022	14.0211	5.00	0.00	Ongoing
5	M/s N R Enterprise	Papum Pare	Arunachal Pradesh	Consumer Products	23.05.2022	6.0859	2.40	0.00	Ongoing
6	M/s River Valley Foods Pvt. Ltd	Nalbari	Assam	F&V processing	19.05.2022	9.53	3.03	0.00	Ongoing
7	M/s Subh Karan Food Park(178)	Kamrup	Assam	Grain Milling (Animal Feed)	19.05.2022	11.4985	5.00	0.00	Ongoing
8	M/s Subh Karan Food Park(177)	Kamrup	Assam	F&V processing	19.05.2022	9.2575	4.50	0.00	Ongoing
9	M/s Jai Shree Krishna Tea	Tinsukia	Assam	Consumer	19.05.2022	11.5101	5.00	0.00	Ongoing

	Company Unit			Products					
10	M/s JK Spices	Sonitpur	Assam	F&V processing	05.12.2022	3.81	1.31	0.00	Ongoing
11	M/s AFP Manufacturing Company Private Limited	Nalbari	Assam	Consumer Products	05.12.2022	14.35	5.00	0.00	Ongoing
12	M/s Shree Mansa Industries	Kamrup	Assam	Consumer Products	05.12.2022	13.16	5.00	0.00	Ongoing
13	M/s Rolling Spin Flour Mills Private Limited	darrang	Assam	Grain Milling	05.12.2022	26.56	5.00	0.00	Ongoing
14	M/s Repose Bake House Private Limited	darrang	Assam	Consumer Products	05.12.2022	18.49	5.00	0.00	Ongoing
15	M/s Trinity Fructa Private Limited Unit III	darrang	Assam	F&V processing	05.12.2022	42.35	5.00	0.00	Ongoing
16	M/s Megha Agro Foods	Nalbari	Assam	Consumer Products	05.12.2022	13.31	5.00	0.00	Ongoing
17	M/s A A Energy Foods	Kamrup	Assam	Grain Milling	05.12.2022	17.45	5.00	0.00	Ongoing
18	M/s Oja Trade and Industries Ltd	Kamrup	Assam	Grain Milling	05.12.2022	22.71	5.00	0.00	Ongoing
19	M/s SMM Products LLP	Muzaffarpur	Bihar	Consumer Products	05.12.2022	24.46	5.00	0.00	Ongoing
20	M/s Koshi Foods and Beverages	Khagaria	Bihar	Consumer Products	05.12.2022	7.07	1.77	0.00	Ongoing
21	M/s Sindhu Farms Pvt Ltd (516)	Raipur	Chhattisgarh	Milk Processing	05.12.2022	16.31	4.41	0.00	Ongoing
22	M/s Sindhu Farms Pvt Ltd (474)	Raipur	Chhattisgarh	Consumer Products	05.12.2022	4.90	1.71	0.00	Ongoing
23	M/s Ab Mauri India Private Limited	Mehsana	Gujarat	Consumer Products	23.05.2022	23.63	4.68	0.00	Ongoing

24	M/s Aelea Commodities Private Limited	Surat	Gujarat	Consumer Products	23.05.2022	18.5807	5.00	0.00	Ongoing
25	M/s NTM Vegiorganic Products Private Limited	Surat	Gujarat	F&V processing	23.05.2022	11.7235	4.12	0.00	Ongoing
26	M/s Dolphin Corporation	Surat	Gujarat	F&V processing	23.05.2022	12.5952	5.00	0.00	Ongoing
27	M/s Maharaja Dehydration Pvt Ltd	Bhavnagar	Gujarat	F&V processing	05.12.2022	18.09	5.00	0.00	Ongoing
28	M/s Shree Shyam Snacks Food Pvt Ltd	Hisar	Haryana	Consumer Products	05.12.2022	11.83	3.32	0.00	Ongoing
29	M/s Indies Global Foods Industries Pvt Ltd	Sonepat	Haryana	Consumer Products	05.12.2022	11.87	3.40	0.00	Ongoing
30	M/s Parav Milk and Milk Products	Sisra	Haryana	Milk Processing	05.12.2022	3.11	1.05	0.00	Ongoing
31	M/s Great Himalayan Farm Fresh-I,	Kangra	Himachal Pradesh	F&V processing	23.05.2022	9.2726	4.25	0.00	Ongoing
32	M/s Great Himalayan Farm Fresh-III,	Kangra	Himachal Pradesh	F&V processing	23.05.2022	10.6675	4.81	0.00	Ongoing
33	M/s Great Himalayan Farm Fresh-IV,	Kangra	Himachal Pradesh	F&V processing	23.05.2022	10.8529	4.82	0.00	Ongoing
34	M/s Great Himalayan Farm Fresh-V,	Kangra	Himachal Pradesh	Milk Processing	23.05.2022	10.0637	4.54	0.00	Ongoing
35	M/s Agriva Naturals	Una	Himachal Pradesh	F&V processing	19.05.2022	24 <b>.</b> 547 9	5.00	0.00	Ongoing
36	M/s AgromaticNutrifoods Pvt Ltd	Mandya	Karnataka	Meat & Poultry Processing	05.12.2022	11.01	3.14	0.00	Ongoing
37	M/s Yajamana Cashew Industries	Udupi	Karnataka	F&V processing	05.12.2022	11.06	4.34	0.00	Ongoing

38	M/s GroFreshAgrofoods Pvt Ltd	Tumkur	Karnataka	F&V processing	05.12.2022	12.38	4.85	0.00	Ongoing
39	M/s VB Foods	Bengaluru Urban	Karnataka	Grain Milling	05.12.2022	10.12	3.70	0.00	Ongoing
40	M/s SCA Foods Products Pvt Ltd	Palakkad	Kerala	Consumer Products	05.12.2022	10.41	3.02	0.00	Ongoing
41	M/s Eastland Ingredients India LLP	Palakkad	Kerala	Consumer Products	05.12.2022	4.93	1.28	0.00	Ongoing
42	M/s Biorhythm Agro Research Pvt Ltd	Wayanad	Kerala	F&V Processing	05.12.2022	6.13	2.10	0.00	Ongoing
43	M/s Chendayad Granites Private Limited -145	Wayanad	Kerala	Consumer Products	05.12.2022	11.91	<b>4.</b> 27	0.00	Ongoing
44	M/s Chendayad Granites Private Limited - 69	Wayanad	Kerala	F&V Processing	05.12.2022	11.77	4.07	0.00	Ongoing
45	M/s Synthite Industries Pvt Ltds (VI)	Ernakulum	Kerala	Consumer Products	05.12.2022	29.06	5.00	0.00	Ongoing
46	M/s Sijmak Exports Pvt Ltd	Ernakulum	Kerala	Consumer Products	05.12.2022	14.17	4.15	0.00	Ongoing
47	M/s Betul Milk Feast Dairy Private Limited	Betul	Madhya Pradesh	Milk Processing	23.05.2022	11.1919	4.74	0.00	Ongoing
48	M/s Primo Flour Mills	Betul	Madhya Pradesh	Grain Milling	23.05.2022	13.0249	5.00	0.00	Ongoing
49	M/s Prashun Foods Private Limited Unit-I	Dhar	Madhya Pradesh	F&V processing	23.05.2022	11.1342	4.90	0.00	Ongoing
50	M/s Amona Industries Pvt Ltd	Dewas	Madhya Pradesh	F&V processing	05.12.2022	25.15	3.56	0.00	Ongoing
51	M/s Khandelwal Automobiles (Betul) private limited	Betul	Madhya Pradesh	F&V processing	05.12.2022	13.85	5.00	0.00	Ongoing
52	M/s Bharti Agro Cluster Cattle	Betul	Madhya	Grain Milling	05.12.2022	12.30	5.00	0.00	Ongoing

	Feed Unit		Pradesh	(Animal Feed)					
53	M/s Shree Nimar Fruit Products pvt. Ltd.	Barwani	Madhya Pradesh	F&V processing	05.12.2022	13.53	5.00	0.00	Ongoing
54	M/s Sri Rudransh Agro	Barwani	Madhya Pradesh	F&V processing	05.12.2022	13.10	5.00	0.00	Ongoing
55	M/s Shivay Foods	Aurangabad	Maharashtra	F&V Processing	23.05.2022	13.648	4.50	0.00	Ongoing
56	M/s Madhur Food Park LLP (Unit-13- Frozen F&V —IQF Unit)	Dhule	Maharashtra	F&V Processing	23.05.2022	13.0799	5.00	0.00	Ongoing
57	M/s Madhur Food Park LLP (Unit-12- Frozen Snacks — Samosa & Paratha Unit)	Dhule	Maharashtra	F&V Processing	23.05.2022	13.4366	5.00	0.00	Ongoing
58	M/s Madhur Food Park LLP (Unit-11- TuttiFrutti Unit)	Dhule	Maharashtra	F&V Processing	23.05.2022	11.2065	4.32	0.00	Ongoing
59	M/s Madhur Food Park LLP (Unit-14- Tomato Paste, Tomato Ketchup)	Dhule	Maharashtra	F&V Processing	23.05.2022	11.7901	<b>4.</b> 35	0.00	Ongoing
60	M/s Avnivijay Agro Industries Private Limited	Aurangabad	Maharashtra	Consumer Products	05.12.2022	9.98	3.04	0.00	Ongoing
61	M/s VMD Food Industries	Aurangabad	Maharashtra	Consumer Products	05.12.2022	6.76	2.29	0.00	Ongoing
62	M/s Roshita Industries	Satara	Maharashtra	Oil Milling	05.12.2022	19.21	5.00	0.00	Ongoing
63	M/s Sahyadri Farms Post Harvest Care Limited (Unit- VI)	Nashik	Maharashtra	Consumer Products	05.12.2022	19.37	5.00	0.00	Ongoing
64	M/s Sahyadri Farms Post Harvest Care Limited (Unit-VII	Nashik	Maharashtra	F&V processing	05.12.2022	22.53	5.00	0.00	Ongoing
65	M/s Sahyadri Farms Post	Nashik	Maharashtra	F&∨	05.12.2022	18.67	5.00	0.00	Ongoing

	Harvest Care Limited (Unit-			processing					
	VIII)								
66	M/s Sahyadri Farms Post Harvest Care Limited (Unit- IX)	Nashik	Maharashtra	F&V processing	05.12.2022	12.26	4.93	0.00	Ongoing
67	M/s Sahyadri Farms Post Harvest Care Limited (Unit-X)	Nashik	Maharashtra	F&V processing	05.12.2022	26.39	5.00	0.00	Ongoing
68	M/s Baheti Food Processors	Washim	Maharashtra	Consumer Products	05.12.2022	11.11	1.64	0.00	Ongoing
69	M/s PravinMasalewale Unit II	Satara	Maharashtra	Consumer Products	05.12.2022	35.9	5.00	0.00	Ongoing
70	M/s PravinMAsalewale Unit III	Satara	Maharashtra	Consumer Products	05.12.2022	43.79	5.00	0.00	Ongoing
71	M/s PravinMasalewale Unit IV	Satara	Maharashtra	Consumer Products	05.12.2022	34.93	5.00	0.00	Ongoing
72	M/s PravinMasalewale Unit X	Satara	Maharashtra	Grain milling	05.12.2022	29.63	5.00	0.00	Ongoing
73	M/s PravinMasalewale Unit XII	Satara	Maharashtra	Consumer Products	05.12.2022	12.49	3.52	0.00	Ongoing
74	M/s PravinMasalewale Unit XI	Satara	Maharashtra	Consumer Products	05.12.2022	22.17	5.00	0.00	Ongoing
75	M/s Swabhimani Agro Products Producer Company Limited	Kolahpur	Maharashtra	Milk Processing	05.12.2022	10.22	<b>4.</b> 25	0.00	Ongoing
76	M/s Balaji Refinery LLP	Wasim	Maharashtra	Oil Milling	05.12.2022	24.48	5	0.00	Ongoing
77	M/s Chinteshwar Agro Processing Pvt Ltd	Bheed	Maharashtra	Oil Milling	05.12.2022	16.76	5	0.00	Ongoing
78	M/s BVK Foods Pvt Ltd	Aurangabad	Maharashtra	Consumer Products	05.12.2022	12.37	4.84	0.00	Ongoing
79	M/s Shailee Construction	Nagpur	Maharashtra	Oil Milling	05.12.2022	7 <b>.</b> 5	2.31	0.00	Ongoing

80	M/s Sumanraj agro processing pvt ltd	Sangli	Maharashtra	F&V processing	05.12.2022	5.64	2.50	0.00	Ongoing
81	M/s Pratik Foods	Jalgaon	Maharashtra	Consumer Products	05.12.2022	2.59	0.65	0.00	Ongoing
82	M/s Adya herbals	Satara	Maharashtra	Consumer Products	05.12.2022	14.87	<b>4.1</b> 5	0.00	Ongoing
83	M/s Bharati Industries	Nagpur	Maharashtra	Consumer industry	05.12.2022	12.42	3 <b>.</b> 75	0.00	Ongoing
84	M/s TABP Snacks And Beverages Pvt Ltd	Raygada	Odisha	F&V processing	05.12.2022	14.38	5.00	0.00	Ongoing
85	M/s FlaminqoShrimpex (P) Ltd	Khurda	Odisha	Fish & Marine Processing	05.12.2022	35.96	5.00	0.00	Ongoing
86	M/s Big Belly Brothers Gourmet Grounds (60)	Sri Muktsar Sahib	Punjab	F&V processing	23.05.2022	9.7632	3.19	0.00	Ongoing
87	M/s Big Belly Brothers Gourmet Grounds (57)	Sri Muktsar Sahib	Punjab	Milk Processing	23.05.2022	8.7138	2.64	0.00	Ongoing
88	M/s Big Belly Brothers Gourmet Grounds (58)	Sri Muktsar Sahib	Punjab	Consumer Products	23.05.2022	3.9942	1.36	0.00	Ongoing
89	M/s SMS Food Park Unit - II	Jalandhar	Punjab	F&V Processing	23.05.2022	9.31	2.65	0.00	Ongoing
90	M/s Anandkartar Foods LLP	Ludhiana	Punjab	Consumer Products	05.12.2022	14.27	3.47	0.00	Ongoing
91	M/s T.R. Agro Producer LLP	Firozpur	Punjab	Grain Milling	05.12.2022	6.32	1.64	0.00	Ongoing
92	M/s CG Foods India Private Limited (Noodles & Snacks Unit)	Ajmer	Rajasthan	Consumer Products	23.05.2022	10.00	0.77	0.00	Ongoing
93	M/s CG Foods India Private Limited (Fruit & Vegetables Processing)	Ajmer	Rajasthan	F&V processing	23.05.2022	9.64	1.58	0.00	Ongoing

94	M/s Shree Narayan Swamy	Jodhpur	Rajasthan	Consumer	23.05.2022	6.11	1 <b>.</b> 51	0.75	Ongoing
, .	Enterprises	ocanpai	rajaotriari	Products	2010012022	0.11	1.01	0.70	origonig
95	M/s Nokha Guar Gum Industries Pvt Ltd	Bikaner	Rajasthan	Consumer Products	05.12.2022	10.37	4.20	0.00	Ongoing
96	M/s Shivakash Food Industries	Jodhpur	Rajasthan	Consumer Products	05.12.2022	13.17	4.83	0.00	Ongoing
97	M/s Baba Ramdev Agro Industries	Bikaner	Rajasthan	Oil Milling	05.12.2022	12.49	5.00	0.00	Ongoing
98	M/s JFK International (167)	Coimbatore	Tamil Nadu	Consumer Products	19.05.2022	3.1709	1.10	0.00	Ongoing
99	M/s JFK International (168)	Coimbatore	Tamil Nadu	Consumer Products	19.05.2022	10.6492	3.66	0.00	Ongoing
100	M/s JFK International (169)	Coimbatore	Tamil Nadu	Consumer Products	19.05.2022	4.1191	1.42	0.00	Ongoing
101	M/s JFK International (170)	Coimbatore	Tamil Nadu	F&V processing	19.05.2022	5.3121	1.83	0.00	Ongoing
102	M/s JFK International (171)	Coimbatore	Tamil Nadu	Consumer Products	19.05.2022	9.3716	3.20	0.00	Ongoing
103	M/s P DuraisamyMaharajha Rice Mills Pvt Ltd	Tirrupur	Tamil Nadu	Grain Milling (Animal Feed)	05.12.2022	6.12	1.81	0.00	Ongoing
104	M/s P DuraisamyMaharajha Rice Mills Pvt Ltd	Tirrupur	Tamil Nadu	Oil Milling	05.12.2022	10.26	3.08	0.00	Ongoing
105	M/s Delta Instant Foods	Puddukotai	Tamil Nadu	F&V processing	05.12.2022	19.30	5.00	0.00	Ongoing
106	M/s Kakumanu Seeds Unit 2	Siddipet	Telangana	Consumer Products	05.12.2022	14.25	4.15	0.00	Ongoing
107	M/s Kakumanu Seeds Unit 3	Siddipet	Telangana	Consumer Products	05.12.2022	13.58	3.65	0.00	Ongoing
108	M/s Kakumanuseeds Unit 1	Siddipet	Telangana	Consumer	05.12.2022	13.62	3.51	0.00	Ongoing

				Products					
109	M/s RadhaAgri Enterprises	Nalgonda	Telangana	Consumer Products	05.12.2022	18.26	5.00	0.00	Ongoing
110	M/s SarvasiddhiAgrotech Pvt Ltd	West Tripura	Tripura	Grain Milling	05.12.2022	7.79	2.89	0.00	Ongoing
111	M/s Govindgreen Foods Infratech	Kanpur Dehat	Uttar Pradesh	Grain Milling	19.05.2022	8.1553	2.13	0.00	Ongoing
112	M/s Om Cold Storage	Kanpur Dehat	Uttar Pradesh	F&V Processing	19.05.2022	6.6435	2.06	0.00	Ongoing
113	M/s Nutrime India	Kanpur Dehat	Uttar Pradesh	Grain Milling (Animal Feed)	19.05.2022	4.98	1.74	0.00	Ongoing
114	M/s Rura Cold Storage and Ice Factory Pvt. Ltd	Kanpur Dehat	Uttar Pradesh	F&V Processing	19.05.2022	13.36	4.55	0.00	Ongoing
115	M/s Rama Vision	Uddham Singh Nagar	Uttarakhand	Consumer Products	05.12.2022	14.05	4.75	0.00	Ongoing
116	M/s Natturz Bio Kontrol Private Limited	Uddham Singh Nagar	Uttarakhand	Milk Processing	05.12.2022	15.74	5.00	0.00	Ongoing
117	M/s Pal Frozen Foods	Nainital	Uttarakhand	F&V processing	05.12.2022	13.50	5.00	0.00	Ongoing
118	M/s Kaara Naturals	Uddham Singh Nagar	Uttarakhand	F&V processing	05.12.2022	6.70	2.51	0.00	Ongoing
119	M/s Sunanjali Agro Products Pvt Ltd	Udham Singh Nagar	Uttarakhand	Grain Processing	23.05.2022	13.9777	4.05	0.00	Ongoing
120	M/s RYB Frozen Foods Pvt. Ltd	Raipur	Chhattisgarh	F&V Processing	16.06.2022	16.04	4.75	0.00	Ongoing

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, I am on a point of order. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no point of order in Question Hour. ...(Interruptions)... Dr. Ashok Kumar Mittal. ...(Interruptions)... माननीय अशोक मित्तल जी, आप पहला सप्लीमेंटरी पूछिए। ...(व्यवधान)... माननीय अशोक मित्तल। ...(व्यवधान)... There is no point of order in Question Hour. ...(Interruptions)... Dr. Ashok Kumar Mittal. ...(Interruptions)... Please, please. ...(Interruptions)... I am not allowing it. ...(Interruptions)... अशोक मित्तल जी, प्लीज़, आप सप्लीमेंटरी पूछिए, नहीं तो मैं दूसरे माननीय सदस्य को इजाज़त दूँगा। ...(व्यवधान)... अगर आप सप्लीमेंटरी नहीं पूछना चाहते हैं, तो। will move to the next Member. ...(Interruptions)... Please put your question. ...(Interruptions)... There is no point of order in Question Hour. ...(Interruptions)... Please look at the rules. ...(Interruptions)... डा. अशोक मित्तल जी, क्या आप सप्लीमेंटरी नहीं पूछ रहे हैं? ...(व्यवधान)... First supplementary. ...(Interruptions)...

डा. अशोक कुमार मित्तल : सर, माननीय मंत्री जी ने मेगा फूड पार्क के प्रश्न के जवाब में बताया कि भारत सरकार ने 2021 में इस स्कीम को बंद कर दिया था। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपके माननीय सांसद प्रश्न पूछ रहे हैं। ...(व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़। ...(व्यवधान)... आप उन्हें प्रश्न पूछने दें, यह आपके सांसद का सवाल है। ...(व्यवधान)... क्या आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं? ...(व्यवधान)... माननीय सुजीत कुमार। ...(व्यवधान)... Please put your question. ...(Interruptions)...

श्री सुजीत कुमार : सर, अपने जवाब में मंत्री जी ने बताया है कि जो मेगा फूड पार्क स्कीम है ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Deepender Hooda, record will be examined. ...(Interruptions)... It will be examined. ...(Interruptions)... It will be examined. I am telling you. ...(Interruptions)...

श्री सुजीत कुमार: यह जो मेगा फूड पार्क स्कीम है, यह 2021 से डिस्कंटीन्यू हो गई है। ...(व्यवधान)... इसमें 41 मेगा फूड पार्क्स सैंक्शन हुए थे, जिनमें से सिर्फ 22 ऑपरेशनल हैं। ...(व्यवधान)... मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो बाकी मेगा फूड पार्क्स हैं, वे कब ऑपरेशनल होंगे और वे अभी तक ऑपरेशनल क्यों नहीं हुए हैं?

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: उपसभापित महोदय, मैं माननीय सदस्य का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मूलत: यह प्रश्न पंजाब पर था, लेकिन माननीय सदस्य ने जो पूछा है, यह सच है कि यह स्कीम 2008 में शुरू हुई थी। उसके बाद लगातार उसकी कोई गाइडलाइंस नहीं थीं। मोदी जी की सरकार आने के बाद जब 2017 में यूनिट स्कीम शुरू हुई, तो यह कोशिश की गई कि मेगा फूड पार्क्स में यूनिट्स जाएँ। शुरुआती दौर में जो भी मेगा फूड पार्क्स अनुमोदित हुए, उन्होंने पैसे दिए, सरकार ने सब्सडी दी और उनको जो भी कॉमन फैसिलिटीज़ डेवलप करनी थीं, उन्होंने डेवलप कर लीं, लेकिन उनमें नई यूनिट्स नहीं आईं। कंप्लीशन का मतलब है कि जितना भी लैंड एरिया है, या तो वह लीज़ आउट हो या वह 75 परसेंट बेचा जाए और जो 25 परसेंट यूनिट्स हैं, वे ऑपरेशनल होनी चाहिए, तब हम उसको कंप्लीट मानते हैं, अन्यथा हम उसको ऑपरेशनल मानते हैं। इसके लिए सरकार ने लगातार कोशिश की। प्रारंभ में जब योजना शुरू हुई थी, उस समय कोई गाइडलाइंस नहीं थीं। 2017 में भी जब मोदी सरकार के समय यूनिट स्कीम आई, तब यह उनके लिए नहीं थी, लेकिन हमने फोकस करके मेगा फूड पार्क्स के लिए यूनिट स्कीम को प्रपोज़ किया, तािक वे पूरे हो सकें, लेकिन उसके बाद अभी भी उनमें गितरोध है। मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ।

श्री उपसभापति : डा. सुमेर सिंह सोलंकी।

डा. सुमेर सिंह सोलंकी: माननीय उपसभापित महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से एक सवाल है कि क्या सरकार देश के आदिवासी जिलों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए जमीन आवंटन और बैंक के सरलीकरण को लेकर कोई योजना बना रही है?

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: माननीय उपसभापित महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन में है, जो कम्प्लीट हो चुका है और जो हमारी स्कीम्स हैं, मेगा फूड पार्क के अलावा जो अभी सीईएफपीपीसी, कोल्ड चेन की स्कीम्स हैं...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister, Question Hour is over now. The House stands adjourned till 2.30 p.m.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part-I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

\_\_\_

The House reassembled after lunch at thirty minutes past two of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

#### PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

### Setting up of Agarwood Board of India

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, we missed you.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (राजस्थान): सर, हम सबने आपको बड़ा मिस किया। ...(व्यवधान)... आप इधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम सबने आपको बड़ा मिस किया। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : मैंने सबसे पहले इधर ही ध्यान दिया।

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, we terribly missed you. We are so glad that you have come.

MR. CHAIRMAN: Private Members' Resolution.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I have a point of order. This is Rule 165, page No.50. This is about Private Members' Resolution. Rule 165, Repetition of resolution, says, "When a resolution has been moved no resolution or amendment raising substantially the same question shall be moved within one year from the date of the moving of the earlier resolution." In this regard, the Resolution listed at No.1 today was raised in May, 2022 by hon. Member, Shri Rakesh Sinha. On that Resolution, hon. Minister has also given the reply as to the stand of the Government. I do not really know how it is getting listed here, whereas there is another important resolution to discuss about the reservation of women in various Assemblies and the Parliament. It is listed at No.5 now. It was initiated by our Chief Minister, hon. Naveen Patnaik. But I don't get a chance to discuss this Resolution anymore because of these repetitions.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, your point is well taken.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, in fact, the reference being made by the hon. Member is to a Private Member's Bill. That was a Bill. This is a Resolution. So, there is a difference between a Bill and a Resolution, going by the records of the House.

DR. JOHN BRITTAS: The Bill was moved by Shri Rakesh Sinha.

MR. CHAIRMAN: I will examine all aspects. Points have been noted.

Shri Harnath Singh Yadav, to move a Resolution urging the Government, *inter alia*, to formulate a stringent policy and laws to overcome the crisis arisen due to the rise in population. Not present.

Private Member's Resolution No.2, Shri Biplab Kumar Deb, to move a Resolution urging the Government, *inter alia*, to set up Agarwood Board of India and support it; promote scientific efforts for increasing production and productivity of Agarwood; provide adequate welfare measures for Agarwood cultivators; support research and development and provide incentives to young entrepreneurs for holistic development of Agarwood sector.

श्री बिप्नब कुमार देब (त्रिपुरा) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूँ :-"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि :-

- (i) अगरवुड (एक्विलेरिया मालासेनसिस) की सतत खेती और संवर्धन तथा इसके उत्पादों से देश के किसानों का, विशेष रूप से हमारे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, महत्वपूर्ण आर्थिक सशक्तिकरण हो सकता है;
- (ii) अकेले त्रिपुरा राज्य में अगरवुड की क्षमता का इष्टतम दोहन करने से 20 अरब रुपये का उद्योग बनाकर और राज्य की राजधानी अगरतला को देश में अगरवुड की राजधानी बनाकर 'आर्थिक क्रांति' लाने की क्षमता विकसित होती है; तथा
- (iii) प्रबंधन और विकास के लिए कम इनपुट, साइट विशिष्टता की कमी और अंतर-फसल अनुकूलन जैसे अनुकूल कारक अगरवुड को, विशेष रूप से त्रिपुरा जैसे राज्यों में, पसंदीदा नकदी फसल बना सकते हैं जहां अगरवुड भूमि के लिए काफी अनुकूल है,

यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह -

(क) अगरतला, त्रिपुरा में अपने मुख्यालय के साथ अगरवुड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन भारतीय अगरवुड बोर्ड की स्थापना करे:

- (ख) मुद्दों की पहचान करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अगरवुड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सहयोग से काम करने के लिए संघ और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाए;
- (ग) इस क्षेत्र के संवर्धन के लिए हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिए बोर्ड को अपेक्षित समर्थन की उपलब्धता सुनिश्चित करे, उत्पादकों के लिए अगरवुड उगाना और कटाई करना आसान बनाने के लिए नीतियां निर्धारित करे और अगरवुड के औद्योगिक उपयोग को प्रोत्साहित करे;
- (घ) वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (सीआईटीईएस) और भारत सरकार की निर्यात-आयात नीति की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, अगरवुड की गुणवत्ता में सुधार के लिए वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा दे;
- (ङ) अगरवुड की खेती करने वालों, अगरवुड आधारित उत्पादों के उत्पादन में लगे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और एमएसएमई इकाइयों के श्रमिकों के लिए पर्याप्त कल्याणकारी उपायों का उपबंध करे;
- (च) देश में अगरवुड क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य को सहायता प्रदान करे; और
- (छ) भारत को विश्व की निर्यात महाशक्ति बनाने के लिए युवा उद्यमियों को अगरवुड और उसके उत्पादों से संबंधित नवाचार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करे।"

सभापित महोदय, मेरे द्वारा जो रेज़ोल्यूशन लाया गया है, वह अगरवुड के ऊपर है। हो सकता है कि इसके बारे में इस हाउस के बहुत कम लोगों को जानकारी हो। यह भारत की इकोनॉमी को सशक्त करने में बहुत मददगार हो सकता है। मैं इस सदन में इस विषय को विस्तार से रखना चाहता हूँ।

# (उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

महोदय, अगरवुड के जो पौधे हैं, ये बहुत महँगे पौधे हैं और ये त्रिपुरा, असम और कर्णाटक के एक भाग में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इसकी गुणवत्ता और कमिशयल वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। अगरवुड के पौधे सात से आठ साल में मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद उसको इंजेक्ट करने के दो-तीन साल के बाद इसमें फंगस आती है, चिप्स आते हैं और इससे जो तेल निकलता है, उसकी मार्केट में मिनिमम वैल्यू 20 लाख रुपए से 30 लाख रुपए प्रति लीटर है। चूँकि इसका तेल सोने से भी महंगा है, इसलिए इसको सोने का तेल माना जाता है। इसमें कृत्रिम रूप से इंजेक्ट करने के बाद इससे जो तेल निकलता है, वह 20 लाख रुपए से 30 लाख रुपए प्रति लीटर होता है। अगर इसको कृत्रिम रूप से नहीं निकाला जाता है, सिर्फ इंजेक्ट करके छोड़ दिया जाता है, तो उससे जो तेल निकलता है, वह प्योर होता है और वह कम से कम 75 लाख रुपए प्रति लीटर बिकता है। त्रिपुरा में बड़ी मात्रा में अगरवुड के पेड़ हैं।

वहाँ पर इसके एक करोड़, पच्चीस लाख के आस-पास मैच्योर पौधे हैं। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर 'अगर मिशन' बनाया। इसके ऊपर फॉरेस्ट विभाग के बहुत सारे एक्ट्स लगे हुए थे। हम लोगों ने इनको हटाया। त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य में टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की ज्यादा जगह नहीं होती है। वहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं। वहाँ चाय और रबड़ के उद्योग हैं। यह एक ऐसा सेक्टर है, जिससे अगले दो साल में असम, विशेष करके त्रिपुरा और कर्णाटक का एक भाग, दो से ढाई हजार करोड़ रुपए की इकोनॉमी भारत सरकार को दे सकता है। अब यह सवाल उठ सकता है कि जब यह इतनी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, तो यह होता क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि पहले जब पुरानी सरकार थी, तब इसके एक्सपोर्ट पर पाबंदी थी। इसको थाईलैंड, लाओस से लाया जा सकता है, यहाँ पर उस तेल से इत्र बना सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं और इसको बना कर इसको मिडल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज़ में बेच सकते हैं। यह परफ्यूम में लगता है, इसलिए यह त्रिपुरा, असम से अवैध तरीके से मुम्बई तक पहुँचता है और वहाँ से प्रोसेस होकर यह गल्फ कंट्रीज़, दुबई आदि में चला जाता है। चूँकि इसके लिए अवैध तरीके से पैसा जाता है, इसलिए इससे भारत सरकार को सीधे तौर पर कोई लाभ नहीं मिलता है। इसके अंदर कम से कम पाँच हजार करोड़ रुपए की इकोनॉमी बनने की ताकत है।

महोदय, मैंने त्रिपुरा सरकार में रहते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। इस सदन के लीडर, कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी और भूपेन्द्र यादव जी, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, इन दोनों के माध्यम से पहली बार 25 हजार मीट्रिक टन अगरवुड एक्सपोर्ट करने की पहली परमिशन दी गई है। मैंने 21 दिसम्बर को पत्र लिखा था और भारत सरकार ने 3 जनवरी को यह परमिशन दी।

महोदय, अब दस महीने हो चुके हैं, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन हम एक ग्राम अगरवुड भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। इसके कारण क्या हैं? सदन को समझ में आ रहा है कि इसमें अवैध तरीके की बहुत बड़ी इकोनॉमी रुकावट डालती है, तभी तो यह दस महीने में भी नहीं हो रहा है। इस अगरवुड को बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम बनाकर रखा हुआ है, वह इतनी कठिन पद्धित बनाकर रखी है कि करना ही मुश्किल है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह कोई स्पेशल किमटी बनाए। भारत सरकार के चाहने के बावजूद, जब 3 जनवरी, 2022 को मंत्री जी ने लेटर भेज दिया है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो उसके बाद भी यह काम क्यों नहीं हो रहा है? इसकी प्रोसेसिंग में इतनी कठिनाई क्यों? हमने त्रिपुरा सरकार की तरफ से लाओस और थाईलैंड में एक टीम भेजी थी। लाओस में 'अगर' के बहुत पौधे होते हैं और उनकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, इनकी मूल इनकम वही है। उन्होंने इसे एक्सपोर्ट करने के लिए जो तरीका अपनाया है, जो सिस्टम बनाया है, उसी सिस्टम को भारत सरकार भी फॉलो करे, तो हमारे देश की इकोनॉमी में बडी मात्रा में लाभ होगा।

महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि अगरवुड से सिर्फ तेल निकाला जाता है, यह यहीं खत्म नहीं है, बल्कि जो इसके पत्ते हैं, उन्हें भी बॉइल किया जाता है। इस पानी में इम्यूनिटी पावर होती है, मेडिसिनल वैल्यू होती है, इसलिए इसकी एक बॉटल 200 रुपये में बिकती है, मतलब इसका पानी भी 400 रुपये लीटर बिकता है। जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, उसकी वजह से यह लाओस वगैरह से अमेरिकन कंट्रीज़ में भी लिया जाता है और उसे मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। इसे चाइना, जापान और कोरिया की मेडिसिनल फैक्ट्रीज़ में भी बडी मात्रा में यूज़ किया जाता है। चाहे 'अगर' की लकड़ी हो, चाहे उसका तेल हो, चाहे उसकी चिप्स हो, इनके साथ-साथ, जो उसकी रूट है, वह भी बिकती है, क्योंकि उसकी रूट को सुखाने के बाद गल्फ कंट्रीज़ के लोग उसे अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं। उससे जो हल्की-हल्की खुशबु आती है, उनके यहाँ उसे रॉयल माना जाता है। उसका कोई रेट भी नहीं होता है। इंडियन करेंसी में उसकी ऑक्शन मिनिमम पाँच लाख से शुरू होता है और यह पाँच करोड़ भी हो सकता है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। इस तरह से देखें, तो चाहे अगरवुड की लकड़ी हो, चाहे पत्ता हो, चाहे रूट हो, जैसे गाय की हर चीज़ काम आती है, वैसे ही 'अगर' ऐसा पौधा है, जिसका सब कुछ बिक सकता है, सब कुछ काम में आ सकता है, किंतु इसके लिए कोई सही सिस्टम नहीं बना हुआ है। अभी त्रिपुरा सरकार ने 'अगर मिशन' बनाया था, मैंने आपके सामने भी प्रस्तुत किया था। 'अगर मिशन' बनाने के बावजूद भी, भारत सरकार के चाहने के बावजूद भी, इसमें दस महीने से समस्या खड़ी करके रखी गई है। मैं आपके सामने यह भी रखना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो अलग-अलग बोर्ड बने हुए हैं, जैसे चाय का बोर्ड है, उसका 30,000 करोड़ का टर्नओवर है, कॉफी बोर्ड है, उसका 5,000 करोड़ का टर्नओवर है, रबर बोर्ड है, उसका 12,000 करोड़ का टर्नओवर है, स्पाइस बोर्ड है, उसका 21,500 करोड़ का टर्नओवर है और जो 'अगर' है, वह अगले दो से ढाई साल में दो से तीन हजार करोड़ की इकोनॉमी हो सकती है। मैं आपके माध्यम से यह भी चाहता हूँ कि जब चाय बोर्ड हो सकता है, रबर बोर्ड हो सकता है, स्पाइस बोर्ड हो सकता है, तो 'अगर' का भी बोर्ड बनाएं। यह जो प्रॉब्लम आ रही है, इससे उसका भी बहुत जल्द समाधान हो सकता है और बहत बड़ी इकोनॉमी बन सकती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह बात भी रखना चाहता हूँ कि अगरबत्ती में भी बड़ी मात्रा में अगर को यूज़ किया जाता है, तो अगरबत्ती के लिए भी यह एक रॉ मैटीरियल हो सकता है। माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने हमारे कुटीर शिल्प को बढ़ावा देने के लिए चाइना से अगरबत्ती की जो स्टिक आती थी, उसके ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगाई, जिसके कारण हमारे जनजातीय भाई लोग, जो बैम्बू के माध्यम से अपनी जीविका-पालन करते हैं, उनके लिए एक रास्ता खुला। एक समय त्रिपुरा में अगरबत्ती के लिए चाइना से जो 29,000 मीट्रिक टन बैम्बू स्टिक आती थी, वह अब लगभग बन्द हो गयी। आज असम, त्रिपुरा और मिज़ोरम, जिस-जिस राज्य में बैम्बू बड़ी मात्रा में है, वहाँ दोबारा अगरबत्ती स्टिक बननी शुरू हुई और वहाँ इसकी फैक्टरी चालू हुई। इस प्रकार, उसमें भी बड़ी मात्रा में अगर को यूज़ किया जा सकता है और हम अगरबत्ती का एक बड़ा बाज़ार एस्टैब्लिश कर सकते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह बात भी रखना चाहता हूँ कि इस अगरवुड की जो मेडिसिनल वैल्यू है, इसकी जो इम्युनिटी पावर है, वह मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। साथ ही साथ, रबड़ प्लांटेशन से भी ज्यादा लाभदायक अगर की प्लांटेशन है। त्रिपुरा सरकार ने अभी बड़ी मात्रा में अगर की प्लांटेशन शुरू की है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन

करूँगा कि जहाँ-जहाँ भी अगर प्लांटेशन का क्लाइमेट है, वहाँ फाॅरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से विवेचना कराकर अगर के पौधे लगाए जाएँ, उसका बाज़ार बनाया जाए, तािक उसमें भारत के नौजवानों को भी रोज़गार मिले। माननीय प्रधान मंत्री जी भी चाहते हैं कि अपने देश में ही रोज़गार बढ़े और वह रोज़गार बहुत जल्दी पैदा हो। मैं बताना चाहता हूँ कि यह एक प्राइमरी सेक्टर है। जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं तो उसमें चार साल, पाँच साल, छः साल और 10 साल लगते हैं, किन्तु यह एक ऐसा प्राइमरी सेक्टर है, जो आपको अगले छः महीने के अंदर ही रोज़गार दे देगा। स्वाभाविक तौर पर हमारे नौजवानों को उस चीज़ की दिशा में जाना चाहिए, जो चीज़ हमारे पास है, जो जल्दी रोज़गार दे सकती है और अगर ऐसा ही एक सेक्टर है। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए एक बोर्ड बना दिया जाए। इसके साथ ही, इसके एक्सपोर्ट करने की नियमावली में शिथिलता लाई जाए, उसका सहजीकरण किया जाए, तािक इस सेक्टर में भारत के नौजवानों को बड़ी मात्रा में रोज़गार मिलने का रास्ता खुले। इसका लम्बे समय से जो अवैध तरीक से व्यापार किया जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगाए जाने की एक सटीक व्यवस्था की जाए। भारत सरकार को इसके माध्यम से रेवेन्यू मिले, इस हिन्ट से मैंने इस विषय को आपके सामने रखा है।

महोदय, मैं आशा करता हूँ कि इस सदन में जो भी माननीय सदस्य हैं, वे सब लोग इसके ऊपर अपनी राय रखेंगे। इसको सही ढंग से और कैसे किया जा सकता है, इसकी और भी रूपरेखा इस हाउस के माननीय सदस्यों के माध्यम से हमें मिलेगी, यह आशा करते हुए मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

#### The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Rakesh Sinha; not present. Shri Pabitra Margherita.

SHRI PABITRA MARGHERITA (Assam): Thank you, Sir. I support the Resolution moved by hon. Member Shri Biplab Kumar Deb for sustainable cultivation and promotion of Agarwood, the scientific name of which is Aquilaria Malaccensis.

## [THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) in the Chair.]

I do agree with the hon. Member that it will lead to a significant economic empowerment of the farmers, especially in the North-Eastern region of India.

Hon. Members do know it that agarwood is a very valuable tree like sandalwood tree. It can be cultivated in tropical humid climatic conditions. When insects attack a matured agar tree, it gets infected with fungus and from the fungus-infected wood, chips

and later oil can be produced. I am told that the cost of per kilo litre agar oil costs from Rs.10 lakh to Rs.40 lakh. Depending upon the source of origin and quality of oil, it costs from Rs.10 lakh to Rs.40 lakh per litre. At the same time, the chips which are produced from agarwood cost around one lakh rupees per kilogram. I am just told that this is its present market price per kilogram. I am lucky enough that, as Shri Biplab Kumar Deb has said, it is mainly produced in Assam. I very proudly say this about Assam, Tripura, Nagaland and other States of the North-Eastern Region, including Sikkim. Karnataka is also there. Let me say a few words about agar tree. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He is a new Member.

SHRI PABITRA MARGHERITA: Agar oil, agarwood chips, and perfume made out of it are in high demand in Middle East countries. These are in high demand in ASEAN countries also. Traditionally, the people in the Middle East like it. That is why these products are in high demand. Keeping this in mind, my appeal to the Government is that there should be an apex body to monitor, govern and empower the agar cultivators and its cultivation. There should be R&D in this area. We need to explore new area with proper soil testing where its cultivation is feasible. There should be grants-in-aid and subsidy to farmers. We need to encourage Self-Help Groups and cooperative societies. It needs insurance. We need to patronise agar-based industries. It needs market linkage. We have seen it in our local area that some brokers exploit cultivators. There should be proper market linkages and single-window clearance where all the documents and official work can be completed.

Lastly, I would like to thank my State Government led by Dr. Himanta Biswa Sarma. Recently, this Government has taken a path-breaking decision to empower and encourage commercial cultivation of agar and other associate woods. About Assam, I am very proud to say this. A huge population of more than one crore agar trees on nonforest land has been grown there. This is done by private individuals. There are about 1,000 agarwood-based industries in Assam. It is almost like a capital of agarwood industry. Two particular decisions have been taken by the Assam Cabinet. It cleared two game-changing rules, namely the Assam Trees Outside Forest (Sustainable Management) Rules, 2022 and Assam Wood Based Industries (Promotion and Development) Rules, 2022. This initiative of our State Government has encouraged commercial cultivation of agarwood. This is an encouragement which has been initiated

by the State Government under the guidance and cooperation of the Central Government led by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the leadership of Shri Bhupender Yadav. ... (Interruptions)... I am told CITES has limited the maximum quantum of supply of agar oil. Maybe it is a statement that I have read which says that maximum 75,000 kilo litre is permitted by CITES to export from India. So, that particular maximum limit should not be there. At last, again, appreciating the moves by our Central Government and the Government of Assam, I would say, with these initiatives, it is expected that Agarwood tree population will reach five crore in 2026 in Assam. Presently, the population of Agarwood tree is approximately one crore and by 2026, it will reach five crore. The production of Agarwood will reach two lakh kilograms and the production of Agarwood oil will reach one lakh litres. So, it is expected that there may be trade to the tune of Rs.7,500 crore to Rs.10,000 crore. As said by Shri Biplab Kumar Deb, Tea Board and Coffee Board are doing very good business; they are providing service to the stakeholders. There should be one other board which will cater services to Agarwood cultivators because only in Assam the potentiality of Agarwood cultivation is more than Rs.10,000 crore. Target set by the State Government is Rs.10,000 crore by So, for this, I think the Central Government should extend support -- it has already extended -- in a very systematic manner, making an apex body to cater to all the things which we have mentioned and my friend, Shri Biplab Kumar Deb, has mentioned. So, we appeal once again that it may be made. It may be in Tripura or Assam or Nagaland or any State where Agarwood has been commercially cultivated by people for a few decades. So, this is our appeal and I do support the Resolution moved by my respected colleague, Shri Biplab Kumar Deb. Thank you.

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री बिलप्ब देव जी ने सदन में जो संकल्प प्रस्तुत किया है, जिस विषय को उन्होंने सदन में उठाया है, वह विषय आंचलिक है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर राज्यों का यह उत्पाद है और उससे जुड़ी हुई बातें उन्होंने अपने संकल्प में प्रस्तुत की हैं। प्रमुख रूप से उनकी एक मांग है कि त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है, उस अगरतला को अगरवुड के उत्पादन व्यापार की दृष्टि से अगरवुड राजधानी घोषित किया जाए और अगरवुड के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाए, जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत हो। फिर उन्होंने इस बोर्ड के कामों के संदर्भ में चर्चा की है कि बोर्ड क्या-क्या काम करे, जिससे कि अगरवुड के व्यापार में लगे हुए सभी पक्षों को लाभ हो। उन्होंने अगरवुड की विशेषता के संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा है कि यह उत्पाद कितना महत्वपूर्ण है। इस उत्पाद के माध्यम से इस देश में लगभग पांच हज़ार करोड़ रुपये का व्यापार होता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। संयोग से इसके विनिमय के

लिए, इसके उत्पादन के लिए जो नियम प्रक्रिया की जटिलता है, उस जटिलता के कारण यह उत्पाद भारत की अर्थव्यवस्था में अपेक्षित योगदान नहीं कर पा रहा है।

#### 3.00 P.M.

इसका बहुत बड़ा हिस्सा मुम्बई के रास्ते सेन्ट्रल एशिया के देशों में अवैध रूप से जाता है, इसकी कालाबाजारी होती है, इसकी चोरी होती है। इसके कारण इस उत्पाद से जुड़े हुए जो विभिन्न स्टेकहोल्डर्स हैं, उनको तो लाभ नहीं मिलता, लेकिन जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो स्मग्लिंग करने वाले लोग हैं, वे इसकी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा हजम कर जाते हैं। उन्होंने नियम प्रक्रिया के सरलीकरण की बात की है। अगर नियम प्रक्रिया का सरलीकरण हो जाता है, उसकी जटिलता समाप्त हो जाती है, तो सच्चे और सही अर्थों में इसका लाभ त्रिपुरावासियों को मिलेगा और त्रिपुरा और असम, जिसकी चर्चा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने की है, इन सभी प्रांतों में अगरवुड के उत्पाद से जुड़े हुए जो कृषक और श्रमिक हैं, उनको उसका लाभ मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात इस संकल्प के प्रवर्तक महोदय ने कही है कि स्वयं सहायता समृह को इस उत्पाद के साथ जोडा जाए और हमारे प्रधान मंत्री जी की भी यह इच्छा है। हम लोग जब बजट पर चर्चा करते हैं, तो अकसर इस बात का उदाहरण दिया जाता है कि हमारे स्वयं सहायता समूहों का जो आर्थिक प्रदर्शन है, वह पूरे देश में बहुत उत्तम है। बड़े-बड़े लोग जिनके बड़े-बड़े नाम हैं, देश के बैंकों से बहुत बड़ी-बड़ी राशियां लेकर चले गए, हजम कर गए, लेकिन हमारी ये गरीब महिलाएं, जो गांवों में काम करती हैं, मेहनत करती हैं, वे अपना थोड़ा सा समय निकालकर स्वयं सहायता समूहों के लिए भी काम करती हैं। जब स्वयं सहायता समृह का कॉन्सेप्ट आया था, तब यह मान्यता थी कि स्वयं सहायता समृह के माध्यम से हमारी गरीब बहनों को अपनी छोटी-मोटी आवश्यकताओं के लिए कुछ अतिरिक्त काम करके नकद राशि उपलब्ध हो जाए, लेकिन हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों ने इतना अच्छा काम किया कि आज भारत की इकोनॉमी में भी उनका एक अच्छा खासा योगदान हो गया है और हर राज्य में उनकी सफलता की कहानियां हम लोग दोहराते और गाते हैं। ऐसी ही स्वयं सहायता समृह की बहनें इस अगरवुड के उत्पाद से भी जुड़ी हुई हैं और अगरवुड के उत्पाद से जुड़कर उनकी भी आर्थिक उन्नति हो रही है। अब इस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए उनको मदद की आवश्यकता है। इसके लिए उनको आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है और जो उत्पाद वे तैयार करें, उसके विपणन के लिए भी उनको मदद की आवश्यकता है। उनको इसकी मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए भी मदद की आवश्यकता है। अगर यह सिस्टम सरकार ने ठीक तरीके से बना लिया, तो इस अगरवूड के व्यापार से बडे-बडे स्मग्लर्स को जो लाभ मिल रहा है, इस लाभ का अंश सीधे उन स्वयं सहायता समृह की बहनों को प्राप्त होगा और तेजी से उनकी आर्थिक उन्नति होगी और आर्थिक समृद्धि आएगी। इसमें प्रवर्तक महोदय ने यह भी मांग की है स्वयं सहायता समूह की बहनें, जो इस कार्य में लगी हुई हैं, उनके लिए कल्याणकारी उपबंध किए जाएं। वैसे तो भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से मेरा विश्वास है कि इन बहनों को मदद मिलती होगी, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं ऐसी व्यवस्था है, कहीं ऐसी समस्या है कि बहनें उन लाभों से वंचित हैं, तो उनके बारे में निश्चित रूप से अलग से विचार करना चाहिए। मैं अपने मध्य प्रदेश की बात करता हूं। मध्य प्रदेश में जो हमारे कर्मकार मंडल के लोग हैं, जो मजदूर घर निर्माण में काम करते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है, एक कर्मकार मंडल बनाया है, उस कर्मकार मंडल के अंतर्गत उन सारे मजदूरों का पंजीयन होता है। पंजीयन होने के पश्चात अगर उस मजदूर के घर में उसकी बिटिया की शादी होनी है, तो सरकार उसकी मदद करती है, उस मजदूर के घर में अगर किसी को बीमारी हो जाती है, तो उसके इलाज के लिए सरकार मदद करती है। उस मजदूर के घर के बच्चे अगर पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो सरकार मदद करती है, अगर उस मजदूर की एक्सिडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो सरकार चार लाख रुपये उसके परिवार को देती है, अगर स्वाभाविक रूप से मृत्य हो गई, तो सरकार उसके परिवार को दो लाख रुपये की सहायता देती है। ऐसी योजना अन्य प्रांतों में भी होगी। इसी तरीके की योजना अगर त्रिपुरा राज्य में नहीं है, तो हमारे इन स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए भी प्रावधान किया जा सकता है। इससे न केवल उनके परिवार का कल्याण हो सकेगा, बल्कि उनके लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था हो सकेगी, उनके स्वास्थ्य की चिंता की जा सकेगी, उनके लिए आवास की चिंता की जा सकेगी, उनके लिए बिजली की चिंता की जा सकेगी। यह बात माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में कही है, तो इसको स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। उन्होंने अगरवृड उद्योग के एक पहलू की चर्चा की है कि अगरबत्ती में भी इसका उपयोग होता है। हम देखते हैं कि अगरबत्ती का जो अधिकांश उत्पादन होता है, उसकी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से यह एक कृटीर उद्योग है। हमारे मध्य प्रदेश में जैसे बीड़ी का उद्योग है, तेन्दु पत्ता का उद्योग है कि घर-घर में जो लोग हैं, वे अपना सब काम करने के बाद जो थोड़ा-बहुत समय बचता है, उसमें बीड़ी बनाने का काम किया करते हैं। इसी तरीके से यह जो अगरबत्ती का उद्योग है, यह भी कूटीर उद्योग है। इस कूटीर उद्योग के माध्यम से त्रिपुरा की एक बहुत बड़ी आबादी, जो गरीब है, जिनके पास शायद काम का अभाव है या काम है, तो भी वे अतिरिक्त समय लगाकर इस कूटीर उद्योग से जुड़कर अपनी अतिरिक्त आय को अर्जित कर सकते हैं। इस कूटीर उद्योग का समर्थन करने के लिए, इस कूटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। जब हम एमएसएमई की योजनाओं की चर्चा करते हैं, कूटीर उद्योगों की चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे सरकार के प्रावधान हैं। कूटीर उद्योग के प्रोत्साहन के लिए, कूटीर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें चर्चा की गई है। इसलिए यह भी बहुत स्वागत योग्य कदम है। हमारे बिप्लब कुमार देब जी ने बताया है कि यह एक निर्यात का भी उद्योग बन सकता है।

महोदय, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों के बीच में चर्चा हुई थी कि भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है और भारत का जो निर्यात बढ़ रहा है, उस निर्यात में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एमएसएमई का और कुटीर उद्योगों का है। अगर हम अगरवुड के इस व्यापार को विशेष रूप से कुछ सहयोग प्रदान करते हैं, इसकी चिंता करते हैं, तो उस निर्यात में अगरवुड के व्यापार का, अगरवुड के माध्यम से जो

कुटीर इंडस्ट्री खड़ी होगी, उसका भी योगदान होगा और उसके माध्यम से विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सहयोग करेगी।

अगरवुड के उत्पाद में जो किसान लगे हुए हैं, मेरा अनुभव है कि जो वन उत्पाद होता है, उसमें एक बड़ी समस्या होती है। उसमें एक समस्या यह होती है कि किसान पेड़ क्यों नहीं लगाता है? हम पेड़ लगाना चाहते हैं, लेकिन नियम, प्रक्रिया इतनी जिटल है कि हमने पेड़ लगाया, हमने उसका पालन-पोषण किया, पेड़ बड़ा हो गया, लेकिन जब पेड़ को काटने का नम्बर आता है, उसका फल भोगने का नम्बर आता है, उसकी लकड़ी का उपयोग करने का समय आता है, तो जंगल विभाग डंडा लेकर खड़ा हो जाता है। उस समय पचास तरीके की रिस्ट्रिक्शन्स आती हैं, पचास तरह की अनुमित लेने की जरूरत पड़ती है। कहीं परिवहन की अनुमित के लिए हमें फॉरेस्ट ऑफिसर के पीछे-पीछे दौड़ना पड़ता है, तो इस तरह की नियम, कानूनों की जो जिटलता है, इसके कारण किसान हतोत्साहित होता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वन विभाग के विभिन्न नियम-कानूनों की जो जिटलताएं हैं, इनका सरलीकरण किया जाए। आप इनका न केवल सरलीकरण करिए, बल्कि आर्थिक रूप से भी इनकी मदद करिए।

किसानों की जो अधिक से अधिक बंजर भूमि है, नाक़ाबिल भूमि है, जो काश्त के क़ाबिल नहीं है, यदि उस सारी भूमि पर इस तरीके के उत्पाद लगाएंगे, तो किसानों को भी लाभ मिलेगा और एक अच्छी-खासी इंडस्ट्री भी ग्रो होगी। जिस तरीके से हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने किसानों के लिए 'कुसुम योजना' के तहत व्यवस्था की है कि किसानों की जो बंजर भूमि है, वह बंजर भूमि खाली पड़ी रहती है, उस पर कुछ नहीं करते, इसलिए आप उसमें सौर ऊर्जा की प्लेटें स्थापित कीजिए। इसके माध्यम से आपको न केवल बिजली मिलेगी, बल्कि बिजली के साथ-साथ आपको कुछ अतिरिक्त आमदनी भी होगी। यदि आप अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली पैदा कर रहे हैं, तो सरकार आपसे वह बिजली खरीद रही है। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि आज लोगों के पास सरप्लस बिजली है। वे उससे अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, उसके बाद वह बिजली सरकार को बेच रहे हैं और इसके माध्यम से उन्हें आमदनी भी हो रही है। ठीक इसी तरीके से यदि हम अगरवुड के उत्पादन में भी प्रयोग कर सकते हैं कि जो बंजर भूमि है, नाक़ाबिल काश्त भूमि है, जो खेतों की मेंढ़ें हैं, वहाँ पर यदि इस अगरवुड का उत्पादन करें, तो उस उत्पादन के माध्यम से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और हमारा जो उद्योग है, उस उद्योग की जो व्याप्ति है, वह व्याप्ति भी बढ़ेगी, उसका आकार भी बढ़ेगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी हम जो किसान सम्मान निधि देते हैं, उस किसान सम्मान निधि में जो कृषि उत्पादक हैं, उनके लिए यह व्याख्या की गई है कि हम कौन-कौन सी फसलों के लिए किसान सम्मान निधि देंगे। जब हम किसान सम्मान निधि देते हैं, तो जो गेहूँ का उत्पादक है, हम उसको किसान सम्मान निधि देते हैं, जो धान का उत्पादक है, हम उसको भी देते हैं, जो दलहन उगाते हैं, उनको भी देते हैं, जो तिलहन उगाते हैं, हम उनको भी यह देते हैं, लेकिन जो ऐसी वनोपज पैदा करते हैं, जो पेड़ लगाते हैं, फल लगाते हैं, उनको नहीं देते हैं। महोदय, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूं कि जो पशु पालन से जुड़े हुए लोग हैं, जो डेयरी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, जो मत्स्य पालन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, वे सारे के सारे लोग अभी भी किसान सम्मान निधि से बाहर हैं। महोदय, आप मत्स्य पालन को यह निधि मत दीजिए, पशु पालन को निधि मत दीजिए - वह भी चलेगा।..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : हम अगरवुड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं।

श्री अजय प्रताप सिंह: जो वनोपज के उत्पाद से जुड़े हुए हैं, जो पेड़ों के उत्पाद से जुड़े हुए हैं, जो बाग़वानी कर रहे हैं, हमें उन सभी लोगों को किसान सम्मान निधि के दायरे में लाना चाहिए। किसान सम्मान निधि के दायरे में आने के कारण..(व्यवधान)..

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): One minute.

SHRI VAIKO: Sir, I want to appeal and make a request to the Members of the Treasury Benches to give an opportunity for Members like me who speak very, very rarely. This is a request, humble request; that is all.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): All right. ... (Interruptions)...

SHRI VAIKO: Sir, they have agreed. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Request noted. Let him finish. ...(Interruptions)... Mr. Vaiko, let him finish. Your request is noted.

श्री अजय प्रताप सिंह: किसान सम्मान निधि के दायरे में आने से भी इस व्यापार को, इस उद्योग को बल मिलेगा और वहाँ के लोगों को एक प्रोत्साहन भी मिलेगा। इस व्यापार को करने के लिए जो आवश्यक रॉ मैटीरियल है, उसकी प्रचुरता भी यहाँ पर स्थापित होगी।

महोदय, हमारे इस संकल्प के प्रवर्तक ने एक विषय और उठाया है कि बोर्ड काम क्या करेगा? महोदय, उस बोर्ड के काम करने के लिए उन्होंने जो प्रमुख रूप से बात कही है, वह यह है कि कि बोर्ड के मार्गदर्शन में, बोर्ड के तत्वावधान में अगरवुड को लेकर अनुसंधान भी किए जाएं, तो बेहतर होगा। महोदय, ये अनुसंधान बहुत आवश्यक हैं और ये आवश्यक इसलिए हैं, क्योंकि जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे हर विषय पर अनुसंधान हो रहा है एवं बेहतर से बेहतर करने के लिए भी अनुसंधानों का उपयोग होता है। यदि उन्होंने अगरवुड के लिए भी अनुसंधान की मांग की है,

इसके प्रोविज़न करने की बात कही है और उस प्रोविज़न को करने के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की मांग की है तो यह कोई अनुचित बात नहीं है, बल्कि उचित बात है। मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि यदि हमें अगरवुड के उद्योग को प्रोत्साहित करना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें इसके अनुसंधान पर निश्चित रूप से बल देना चाहिए और अनुसंधान केंद्र स्थापित करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : अजय प्रताप जी, अगर आपकी बात हो गयी है तो अन्य स्पीकर्स भी हैं।...(व्यवधान)...

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH) in the Chair.]

श्री अजय प्रताप सिंह: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यापार के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए दो-तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। वहां सड़क की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है और पानी की जरूरत होती है। इस व्यापार को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो इसके लिए जो सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी हमें बल देना चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था के साथ-साथ सिंचाई की व्यवस्था को ठीक तरह से संधारित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, उसके लिए भी हमें बल देना चाहिए। इस उत्पाद को हम ठीक तरह से मंडी तक ला सकें, मंडी में उन्हें उसका ठीक तरीके से मूल्य प्राप्त हो सके। जैसा कि हमारे असम के साथी ने बताया कि यह कितना महंगा उत्पाद है। यह 10 लाख रुपये से लेकर 40 लाख रुपये लीटर है तो आप समझ सकते हैं - सब की धारणा यह है कि सोना और हीरा सबसे महंगा होता है, लेकिन यह सोने और हीरे से भी ज्यादा महंगा है- इसलिए इस उत्पाद को केवल मंडी लाने तक ही नहीं, इसके विपणन की, इसकी सुरक्षा के सारे पहलुओं पर भी ध्यान देने के लिए इस संकल्प में अपेक्षा व्यक्त की गई है और मैं समझता हूं कि यह संकल्प बिल्कुल सामयिक है, मौज़ू है और वहां के लोगों के हित में है।

महोदय, मैं इस संकल्प के समर्थन में हूं और मैं इस संकल्प का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you. Now, the next speaker is Shri Sandosh Kumar P.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I don't want to take part in this discussion, I just want to point out one thing. The mover of this Resolution was the Chief Minister of Tripura, a young man and an eminent politician. He could have submitted a memorandum to the Ministry concerned and this should have been easily made available. So, instead of doing that, I think... ... (Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): As a Member, it is his right. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please, let him express his opinion. ... (Interruptions)... We will take a call. ... (Interruptions)...

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): No, no. The point is... ... (Interruptions)... It is my right to speak now. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please, let him express his opinion. ... (Interruptions)...

SHRI SANDOSH KUMAR P: No, no. I am just trying to make an appeal. The point is that he could have submitted a memorandum and that way, this was very easily made available. ...(Interruptions)... No, whatever you say, I am not going to stop. ...(Interruptions)... I am coming to the point, please. The point is that the... ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Shri Sandosh Kumar, if you don't want to speak on this Bill, please...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, don't take it that way. I just want to point out one thing. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Listen to him. Then, I will take a call.

SHRI SANDOSH KUMAR P: In fact, nobody is opposing these kind of boards. We have created a wonderful Spice Board once upon a time. And, what is the fate of this Spice Board of India? The farmers in Kerala are suffering like anything and this Government is insensitive towards the problems of farmers in Kerala and everyone. So, these people are... ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): He is expressing his opinion. ... (Interruptions)... Let him come to the subject. ... (Interruptions)...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Let me complete by saying this that they don't want to take up that issue, one of the most serious burning issues the country is facing with, that is, the federal structure of the country. So, this is just a delayed tactics. I request you not to allow these things.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Okay. That is your opinion. Please be seated. Thank you. Now, I request Mr. Rakesh Sinha to speak.

SHRI VAIKO: Sir, again I am making a small request to my friends from the Treasury Benches to allow me to put my Resolution. This is a very, very rare opportunity I get. Therefore, this is just a humble request. If you want, you can accommodate me.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Vaikoji, you have already made your request. Let us check with the Members. Then we will go for that. Now, I request Shri Rakesh Sinha to go ahead.

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, बिप्लब देब जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे बुनियादी मुद्दे पर सदन का और राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया है, जो अब तक उपेक्षित था। हमारे जैसे अनेक लोग, जो राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए हैं, ऐसे विषय से अनिभन्न थे। साधारणतया डिवाइसिव इश्यू पर बहस करने की हमारी आदत हो गई है, जिसका निष्कर्ष इस राष्ट्र के लिए कुछ नहीं निकलता है, लेकिन जब रचनात्मक मुद्दे को उठाया जाता है, जिसमें हमारे भारत के सुदूर क्षेत्र में कृषि उत्पाद, किसान और सामान्य लोगों का हित होता है, तो हम उससे कतराना चाहते हैं, यह दुर्भाग्य की स्थिति है। अच्छा होता कि आज विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीरता से बहस करता। पूरा देश आज इस मुद्दे को जानना चाहता है, सुनना चाहता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अगरवुड का क्या महत्व है, इस महत्व को हमारे मार्क्सवादी साथी ने, जब त्रिपुरा में उनकी सरकार थी, समझ लिया होता, तो आज बिप्लब देब जी को यह विषय राज्य सभा में नहीं लाना पड़ता। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि वे मुख्य मंत्री थे और इसका मेमोरेंडम अब पूर्व मुख्य मंत्री के रूप में, सदस्य के रूप में दे सकते थे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब वे वहाँ मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने 2021 में अगरवुड पॉलिसी लाने का काम किया था, जिसके लिए मैं त्रिपुरा की उस सरकार का और अपने पूर्व मुख्य मंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूँ। वाइको साहब, इस अगरवुड पॉलिसी को लाने के पीछे सरकार ने 100 करोड़ रुपए निर्गत किए थे, एलॉट किए थे। ये 100

करोड़ रुपए शहर में रहने वाले लोगों, महानगरों के लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन ट्राइबल्स के लिए निर्गत हुए थे, जो सदियों से, हजारों साल से अगरवृड से जुड़े हुए थे। इससे पहले कि मैं विषय पर आऊँ, मैं अगरवूड का एक महत्व बताना चाहता हूँ। भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, वेद में इसका उल्लेख मिलता है। नॉर्थ-ईस्ट की एक खासियत है। चाहे आप मेघालय चले जाएँ या नागालैंड चले जाएँ या त्रिपुरा चले जाएँ, वृक्षों के साथ उनका संबंध सिर्फ भौतिक नहीं है, बल्कि उनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। वहाँ के ट्राइबल्स अगरवृड को इसी सांस्कृतिक-आध्यात्मिक दायरे में देखते हैं। हम जितना भी भौतिकता से जुड़े रहे हों, लेकिन मैं उस ट्राइबल सेंटिमेंट की बात करना चाहता हूँ, जिसने सैकड़ों साल के औपनिवेशिक शासन के बावजूद इसी विकेन्द्रीकृत सांस्कृतिक-आध्यात्मिक अवधारणा के कारण औपनिवेशिक आक्रमण का सामना किया और अपनी संस्कृति को बचा कर रखा। अगरवुड उसका एक प्रमाण है। इस सांस्कृतिक-आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हुए इस वृक्ष का एक आर्थिक महत्व है। महोदय, जब मैं इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की बात करता हूँ, तो जो लोग मेघालय गए होंगे, वे जानते होंगे कि मेघालय के फॉरेस्ट में सैक्रेड फॉरेस्ट की अवधारणा है। जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स या खासी हिल्स, जहां-जहां भी यह सैक्रेड फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा वह वहीं पर सुरक्षित और संवर्धित है। लेकिन आज किस तरह से इन वृक्षों को काटा जा रहा है! माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया को यह बताया कि भारत पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहा है, वह अपनी परम्परा, अपनी सांस्कृतिक अवधारणा से कर रहा है। आज बिप्लब देब जी जो संकल्प लाए हैं, मैं उसके आर्थिक पक्ष को बताना चाहता हं।...(व्यवधान)... अगरवुड 5 लाख रुपये किलो बिकता है। इस वृक्ष की एक और खासियत है, जिसको हम सभी को जानना चाहिए। ...(व्यवधान)... इसको व्यंग्य और उलाहना देकर, हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सदन में बैठ कर यदि अगरवूड का मखौल उड़ा रहे हैं, इस विषय का मखील उडा रहे हैं, तो हम नॉर्थ-ईस्ट के लोगों का मखील उडा रहे हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान सिर्फ नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम का नहीं है, हिन्दुस्तान खासी हिल्स का भी है और हिन्दुस्तान त्रिपुरा के उन ट्राइबल्स का भी है। लोग मार्क्सवाद का नाम लेते हैं और ट्राइबल्स के मुद्दे पर इस तरह की बातें करते हैं! त्रिपुरा को उन्होंने किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था! मैं जो बात कहना चाहता हूं...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): No crosstalk please.

श्री राकेश सिन्हा: मैं अगरवुड के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि उसमें एक बहुत बड़ी खासियत है। जो सामान्य वृक्ष होते हैं, उनमें हम नॉन-इन्फेक्टेड वृक्ष को चाहते हैं, हम ऐसे प्लांट्स चाहते हैं, जिनमें इन्फेक्शन नहीं हो, लेकिन अगरवुड जब तक नॉन-इन्फेक्टेड रहता है, तब तक वह हल्के पीले रंग का होता है और कम महत्व का होता है। लेकिन जब इस वृक्ष में इन्फेक्शन होता है, तो जैसे-जैसे वह इन्फेक्शन बढ़ता है, वैसे-वैसे अगरवुड में ब्लैक कलर आना शुरू हो जाता है और उसका वेट बढ़ने लगता है। ऐसी इन्फेक्टेड अगरवुड ही स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए अपना प्रोडक्ट

हमें देती है। दुनिया में यह ऐसा पहला वृक्ष है, जो इन्फेक्टेड होने के बाद अपने आर्थिक तत्व में पूरी तरह से उभर कर आता है, तब इसकी वुड 5 लाख रुपये किलो बिकती है। ...(व्यवधान)... मैं जानता हूं कि सरकारिया कमीशन से लेकर पुंछी कमीशन तक हम इस पर बहस करते रहे हैं और बहस करते रहेंगे, लेकिन जीवन से जुड़े हुए जो बुनियादी मुद्दे हैं...(व्यवधान)... हिन्दुस्तान का एक भी ट्राइबल अगर उपेक्षित या वंचित है और उसकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, तो कम से कम इस तरह हास्य की बात करने वाले लोग, सिर्फ नारेबाज़ी ही न करें, आप उनके जीवन मूल्यों से जुड़ें, उनके आर्थिक पक्ष से जुड़ें, उनकी बातों पर बहस करें, तभी इस सदन की महत्ता है, तभी इस सदन का गौरव है। ...(व्यवधान)... हल्की और राजनीतिक बातों पर बहस करना आसान होता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अगरवुड पर आना चाहता हूं, त्रिपुरा सरकार ने 2025 तक अगरवुड के प्रोडक्शन को ठीक दोगुना करने का प्रस्ताव रखा था। हम इस अगरवुड के एक्सपोर्ट से 2,000 करोड़ रुपये का व्यापार करने वाले हैं। ...(व्यवधान)... मुझे प्रसन्नता है कि आपकी पार्टी के श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और इस बात के महत्व को समझ रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा आर्थिक पक्ष इन्वॉल्वड है। आप इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गम्भीरता से यह बात कहना चाहता हूं कि अगर एक भी ट्राइबल, जो इस अभियान से जुड़ा हुआ है, आज इस सदन की बहस को देख रहा होगा, तो उसके मन पर क्या बीत रही होगी? वह सोच रहा होगा कि यह सदन उनको रीप्रेज़ेंट करता है या सिर्फ महानगरों में रहने वाले लोगों को रीप्रेज़ेंट करता है? आज सदन को इस पर निर्णय करना पड़ेगा, इन बातों को आप हल्के में मत लीजिए, इस पर बहस कीजिए। अगर आप बहस नहीं कर सकते, तो जो लोग बोल रहे हैं, कम से कम उनको ध्यान से सुनिए। मैं भी विषय से डायवर्ट होकर उन सब बातों को बोल सकता हूं, जिन बातों की ओर आप इशारा कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अगरवुड की बात कर रहा था, असम के बाद त्रिपुरा ने इस पर कदम उठाया। पूरी दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनसे परफ्यूम बनती है, अगरबित्तयां बनती हैं, उनमें से अगरवुड दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट है। आप इस हिंदुस्तान की हालत देखिये, 2014 से पूर्व जो चीजें हमारे पास उपलब्ध थीं, जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों से जुड़ी हुई थीं, वे हमारी नजरों के सामने नहीं थीं। त्रिपुरा में यदि मार्क्सवादी सरकार थी, तो अगरवुड पेपर पॉलिसी 2011-12 में भी आ सकती थी।...(व्यवधान)... हम 2021 में यह पॉलिसी लाये और इस पॉलिसी को सुनने की क्षमता आप में नहीं है, आप आम आदमी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, आप नारेबाजी में इस सदन का समय बिताना चाहते हैं, जिसे देश स्वीकार नहीं कर सकता है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please address the Chair, Rakeshji....(Interruptions)... Please address the Chair.

श्री राकेश सिन्हा: महोदय, 75 हजार किलोग्राम चिप्स और लगभग 1,500 किलोग्राम अगर ऑयल, जो त्रिपुरा में पैदा हो रहा है, यदि यह डबल हो जाता है ...(व्यवधान)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, time allotted to the BJP is over.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Under which rule?

DR. JOHN BRITTAS: Do you want rule for that?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Under which rule?

DR. JOHN BRITTAS: Do you want rule for that? Do you want rule for that?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please, any point of order should be under some rule. Now, he is speaking on a Private Member's Resolution. ...(Interruptions)... It is allowed. It is allowed. You please be seated. Your chance will come next. Then, you can speak. ...(Interruptions)... Please continue, Mr. Sinha. ...(Interruptions)... Brittasji, please, be silent. Mr. Sinhaji, please conclude. ...(Interruptions)...

श्री राकेश सिन्हा: मुझे यह मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सदन के सभी सदस्य नॉर्थ-ईस्ट के ट्राइबल एरियाज़ में गये होंगे। राज्य सभा में आने के बाद मैं कम से कम 30 से 40 बार वहां के ट्राइबल एरियाज़ में गया हूं। मैं अपने मित्रों को एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि ट्राइबल्स की स्थिति पिछले 70 सालों में क्या रही है और आप उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैंने कांगथांग गांव को गोद लिया, और उसके बाद मामांग नामक दूसरे गांव को गोद लिया। कांगथांग से मामांग जाने के लिए 45 मिनट का रास्ता था, मुझे स्थानीय प्रशासन ने कहा कि आप वहां नहीं जा सकते हैं, चूंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वहां पैदल जाना पड़ेगा। पहाड़ी रास्ता है, संकटपूर्ण रास्ता है, लेकिन हम मामांग गये, वहां के लोगों से मिले, वहां के स्कूलों को देखा, वहां के ट्राइबल्स से बात की। इसलिए नॉर्थ-ईस्ट के ट्राइबल्स के बारे में आधिकारिक रूप से और निश्चित रूप से बोलने का मेरा नैतिक अधिकार है।

महोदय, मैंने मेघालय के पांच गांवों को गोद लिया है और मेघालय के उन गांवों को देखा है, त्रिपुरा जाकर वहां के ट्राइबल्स को देखा है, मिणपुर जाकर वहां के ट्राइबल्स को देखा है, इसलिए आज जो मैं बोल रहा हूं, मैं अपने मन से, हृदय से इस प्रस्ताव के बारे में बोल रहा हूं, इस बात पर आपको नैतिक रूप से अधिकार नहीं है। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के शासन काल में

नॉर्थ-ईस्ट जाना, लॉंगेस्ट ट्रैवल करने के लिए जो एलटीसी मिलता था, यह उसका विषय था, जबिक यह हमारे लिए एलटीसी का विषय नहीं है, हमारे लिए यह एक इमोश्नल विषय है, हमारे लिए मुख्य धारा का विषय है।

महोदय, जो श्री बिप्लब कुमार देब जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूं कि इसके लिए बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। आखिर इस प्रस्ताव के पीछे तर्क क्या है? जिस उत्पाद को हम स्थानीयता के दायरे में देखते हैं, उत्पादकों को हम स्थानीय रूप से देखते हैं, उसमें अखिल भारतीयता लाई जाए। इस प्रोडक्ट का प्रसार भारत की जिस-जिस जलवायु, जिस-जिस क्लाइमेट में हो सकता है, इस प्रोडक्ट को वहां रखा जाए। देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आप सोचिये, यदि हम दो हजार किलोग्राम अगरवुड का एक स्टेट से एक्सपोर्ट करते हैं, यदि हम एक लाख किलोग्राम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी आय कितनी बढ़ेगी। जिस प्रकार से चावल और गेहूं से हम अपनी आय पैदा करते हैं, उसी तरह से अगरवुड से जो आय पैदा होगी, यह उन किसानों के पास जाएगी, जिन्हें आपने 70 सालों से वॉइसलैस बनाकर रखा है। उनके पास न सड़क है, न पैदावार के साधन हैं और न घर है। इसलिए ट्राइबल एरियाज़ के बारे में जब विषय आता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि वे वंचित लोग हैं, उन्हें वंचित बनाकर रखा गया है। प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्राथमिकता का विषय नॉर्थ-ईस्ट है, प्राथमिकता का विषय नॉर्थ-ईस्ट का लाइवलिहुड है, प्राथमिकता का विषय नॉर्थ-ईस्ट का ऑर्गेनिक फूड है।

महोदय, मैं अगरवुड के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं - बीटल नट, जिसे सुपारी बोलते हैं, खासी में उसको काँय बोलते हैं, गारो में उसे क्वाई बोलते हैं असम और नागालैंड में इसे तमूल बोलते हैं।...(व्यवधान)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)... It is under Rule 161. It says, "No speech on a resolution, except with the permission of the Chairman, shall exceed fifteen minutes in duration". Fifteen minutes हो गये हैं। He has to sit down. ...(Interruptions)... It is Rule 161. ...(Interruptions)... मैंने बता दिया। ...(व्यवधान)... No; no. He is the Chairman now. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Mr. John Brittas, Rule 161 says, "No speech on a resolution, except with the permission of the Chairman, shall exceed fifteen minutes in duration". ...(Interruptions)... It very clearly says, 'Except with the permission of the Chairman'. Since the Chairman has permitted him, he is speaking. That's all. ...(Interruptions)... There are five more speakers from your party. So, please conclude. ...(Interruptions)...

श्री राकेश सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी सबसे अधिक मित्रता वामपंथी साथियों से है। ...(व्यवधान)... लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह एक अवसर था, जब अगरवुड के माध्यम से ...(व्यवधान)... अगरवुड के माध्यम से वे त्रिपुरा में, जहाँ उन्होंने लम्बे समय तक शासन किया है ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Silence, please.

श्री राकेश सिन्हा: वे वहाँ के ट्राइबल्स के बारे में, वहाँ के ट्राइबल्स के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी ऑर्गेनिक खेती के बारे में, उनकी जीविका के बारे में बोल सकते थे। आज मुझे समझ में आ रहा है कि त्रिपुरा की जनता ने इन्हें क्यों उखाड़ कर फेंका है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जिस सुपारी की बात कर रहा था - इसलिए मैंने कहा कि अगरवुड हो या बीटल नट हो, मेघालय के खासी हिल्स में सुपारी पैदा होती है। उस सुपारी के पत्ते से जो भोज का पत्तल या खाने का बर्तन बनता है, वह पहला ऐसा बर्तन है, जो रीयूज़ेबल है, जिसका आप बार-बार उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका उपयोग करना बहुत लाज़िम है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि वह सुपारी का पत्ता खासी हिल्स में पैदा होता है और असम के रूट से गारो हिल्स पहुँचता है। वह पत्तल बन कर दिल्ली में बिकता है। दिल्ली में जो पत्तल 15 रुपये से लेकर 25 रुपये तक का बिकता है, एक ट्राइबल को उस पत्तल की कीमत एक रुपये भी नहीं मिलती। इसलिए जब ऐसे प्रोडक्ट्स की बात की जाती है, जो प्रोडक्ट्स उन हाशिए के लोगों के हैं, जो लम्बे समय से वनवासी की तरह पहाडों पर और फॉरेस्ट एरियाज़ में रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी जीविका चलायी है, लेकिन जब आधूनिकता के दौर में कृषि का विकास हो रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि कोई ट्राइबल कम्युनिटी जिस हालत में आज से 70 साल पहले रह रही हो, 100 साल पहले रह रही हो, आज भी उसी हालत में उसको रखा जाए? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक बोर्ड का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए और उस बोर्ड को तीन-चार महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने चाहिए कि वह पूरे देश में उन क्षेत्रों को चिन्हित करे, जिन क्षेत्रों में इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार से कभी केरल और कोलकाता में नारियल का उत्पादन होता था, उसका अन्य क्षेत्रों में उत्पादन होने लगा, उसी तरह से ट्राइबल बेल्ट के इस उत्पाद को, अगरवृड के उत्पादन को देश के उन सभी हिस्सों में लाया जाए, चाहे वह वाइको साहब का क्षेत्र हो या मनोज झा जी का क्षेत्र हो या जॉन ब्रिटास जी का क्षेत्र हो। वहाँ अगरवुड पहुँचे। इससे आपको भी अच्छे परफ्यूम्स मिलेंगे, अच्छी अगरबत्तियाँ मिलेंगी, आपके राज्य के किसानों की आय बढ़ेगी। इस बोर्ड के सामने दूसरा ...(व्यवधान)... इस बोर्ड के सामने दूसरा महत्वपूर्ण ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य यह होता है कि क्यों बुनियादी बातों को विपक्ष पसन्द नहीं करता है, यह मैं आज तक समझ नहीं पाया। ...(व्यवधान)... सदन से बाहर निकलते ही ये हाशिए की बात करते हैं, जन सापेक्ष की बात करते हैं, लेकिन सदन में आते ही इनको सिर्फ साम्प्रदायिकता पर बहस चाहिए, संघवाद पर बहस चाहिए, जिस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकले,

लेकिन तू-तू, मैं-मैं हो। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर बिना तू-तू, मैं-मैं किये हुए हम किसानों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, नॉर्थ-ईस्ट के लिए, हाशिए के लोगों के लिए, बॉर्डर पर रहने वाले वनवासियों के लिए एक ठोस विकल्प दे सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you, Mr. Rakesh Sinha. ...(Interruptions)... Thank you. ...(Interruptions)...

श्री राकेश सिन्हा: आप महसूस कीजिए कि त्रिपुरा और असम के ट्राइबल को, मणिपुर के ट्राइबल को आज क्या महसूस हो रहा होगा कि इस सदन में उनके मुद्दे को आज वहाँ के एक सदस्य ने उठाया और पूरा सदन उस पर बहस कर रहा है! मैं अपनी बात ...(व्यवधान)... मैं इस बोर्ड के बारे में ...(व्यवधान)...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PIYUSH GOYAL): It is a two-hour debate. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): He has already spoken for nineteen minutes. ... (Interruptions)...

SHRI PIYUSH GOYAL: It is exact two-hour debate. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): No, no. There are another four speakers from your party. So, I am asking as to how much time you require further. It would be better if you tell me and then conclude.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, in this House, on Private Members' Bills and Resolutions, irrespective of the party, every Member has been allowed to express his or her views, whatever time they have taken. That has been the practice in the previous Resolutions and Bills.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): No, no.

SHRI V. MURALEEDHARAN: So, why should we be selective on a particular Bill?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): See, the Chair has given sufficient time to Rakeshji. We have given him sufficient time. There is no issue in that. ..(Interruptions).. No, no. One by one.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, the rule has already been quoted. \* So, when the rule is quoted, I think, the Chair should go by the rules.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): It is according to the rule. I have already read it. Nothing to worry about that. Yes, tell me the rule.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, it is Rule 259. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Hon. Members, please be seated.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Hon. Vice-Chairman, Sir, there has been a precedence in this House. On the discussion of Private Members' Resolution as well as Private Members' Bill, the BJP also have stuck to the time allotted to them. Today, wholeheartedly, we supported the Resolution of Biplabji, because we have another important resolution by our senior colleague Vaikoji, which is about fundamental issues of Centre-State relationship.

SHRI PIYUSH GOYAL: Mr. Vice-Chairman, Sir... (Interruptions)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have not finished. ...(Interruptions).. Mr. Vice-Chairman, Sir, I have not finished. ...(Interruptions)..

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, he has disrupted a Member of Parliament. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Manojji. ... (Interruptions)...

SHRI PIYUSH GOYAL: He is just disrupting the proceedings of the House.

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Manojji, one minute. ... (Interruptions).. Let the Leader of the House express his opinion. We will answer to him. ... (Interruptions).. No, no. Let him express his opinion. One minute.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Let me finish.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Tell me.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Respected Leader of the House, I will go by your wisdom. But when I invoked the Rule 259, it was in the context of preserving order, which was lost. My only concern is, Mr. Vaiko's Resolution talks about fundamental issues of Centre State relationship. ..(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): I am for that. ...(Interruptions).. The Leader of the House is speaking. Please be seated. Let us hear him. Then, we will take a call.

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Vice-Chairman, Sir, I think it is a very, very unfortunate incident that certain Members of Parliament are resorting to the Rules Book with absolutely unconnected issues, which are not connected with the debate at all. If at all our esteemed colleague is so much concerned about Rule 259, and requesting the Chairman to preserve order and enforce decisions, I would urge him, for the last so many Sessions that he has been a Member of this House, why he did not remember this Rule when he was disturbing the proceedings of this House.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: We do.

SHRI PIYUSH GOYAL: Why do you not remember this Rule when the Opposition is every day disrupting the proceedings of the House? ... (Interruptions)..

PROF. MANOJ KUMAR JHA: No, Sir. We do not misquote the Rule. .. (Interruptions)..

SHRI PIYUSH GOYAL: Well, Sir. the hon. Member is not going to allow me to speak. ... (Interruptions)... I sat down when you wanted to speak. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Manoj ji, let him finish.

SHRI PIYUSH GOYAL: It says, "The Chairman shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions." I would like to know what relevance this Rule has to the subject under discussion.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Because the House was not in order.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I am talking to you; I am not talking to him.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Manoj ji, one minute. You can sit down.

SHRI PIYUSH GOYAL: No. I want to further say something. Mr. Vice-Chairman, you see from the comments that he is making. He is not at all concerned that a senior Member, who has been the Chief Minister of Tripura has pain and angst about a certain subject, which he is trying to promote for the tribals of Tripura. Their concern is more that the issue of Mr. Biplab, the hon. Member of Parliament, may be glossed over, just because some other issue, that they think is more important, should be brought up on the floor of the House first. I do not think this is how Private Members' Resolutions or Bills historically have been taken up in the House. We have always kept a friendly atmosphere. We have always allowed everybody to participate. I have had occasions when on an hon. Member, Shri Tiruchi Siva's particular Bill, the debate went on for hours and hours, for days, in fact. And we still pursued it. Everybody got a chance to speak, and then this House actually passed that Bill, the Private Member Bill also. So, I think, it is very important that the Chair should rule that 'you cannot misuse the rules and cannot quote irrelevant rules for a subject where the intention is only to close this debate and not allow Mr. Biplab ........(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): No, no, you have expressed your opinion. ...(Interruptions)... I will take a call on that. I will do that. ...(Interruptions)... Manojji, one minute. ...(Interruptions)... Please be seated. Let me complete. He has quoted a rule which you have also read. I have taken notice of it. This is number one. Number two, every Member in this House has the liberty to express his opinion without

fear or favour. Without any fear, they can express their opinion. That is their liberty, and it is their right. There is no doubt about it. So, the Chair now has allowed Shri Biplab Deb's Resolution to be discussed in sufficient time. We have not curtailed it. Whatever is requested by Mr. Vaiko that 'I have rarely got a Resolution to have discussion in this House. So, let me get an opportunity', that is only a request. He is not forcing any anybody to stop your 'Resolution discussion' and come back. He has not done that. The other Members are only supplementing him that a chance should be a given to a senior Member since he has not got this kind of Resolution earlier and now he has got it. It is only a request again. So, let us not go by that kind of a request. So, I wanted to tell all the Members, let us complete this Resolution, and then go to the other Resolution. So, you please conclude Rakesh Sinhaji. You have taken almost 21 minutes. Now it is time to conclude, and I want to tell you, you have four more Members; and it is almost 4 o'clock. ... (Interruptions)... Please. Please. ... (Interruptions)...

श्री राकेश सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

SHRI VAIKO: Sir, ...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Piyushji, Vaikoji is addressing you.

SHRI VAIKO: It is a very rare opportunity for small parties like us to get opportunity like this. Therefore, I made a request, sincere request, so that I can put my Resolution in the House and participate.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Vaikoji, your request has been taken seriously. The Chairman will look into that, and it will be taken up. Please don't worry. So, please conclude, Rakeshji. You have almost taken 21 minutes. ...(Interruptions)... Please, please.

श्री राकेश सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि जिस संघीय व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, उस संघीय व्यवस्था के दायरे में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिज़ोरम का ट्राइबल आता है या नहीं? मैं यह जानना चाहता हूँ कि हम बिप्लब देब जी के जिस रिज़ॉल्यूशन पर बहस कर रहे हैं, क्या उस रिज़ॉल्यूशन पर गंभीरता से विचार करके नॉर्थ- ईस्ट के ट्राइबल्स के तमाम प्रोडक्ट्स की चर्चा नहीं होनी चाहिए? जब मैंने बीटल नट्स की बात

कही, आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वैसे ट्राइबल्स, जिनके यहाँ सड़क नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं हैं, उनका सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए? सर, बीटल नट्स के पत्ते दिल्ली में 25 रुपये में बिकते हैं और उन ट्राइबल को एक रुपया भी नहीं मिलता है। आप खासी हिल्स जाइए, आप गारो हिल्स जाइए, आपको उस रिमोट एरिया में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और 20-20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि गारो, खासी और जयंतिया हिल्स के ट्राइबल्स किस हाल में रहते हैं। जिस बोर्ड की इन्होंने संकल्पना दी है, उसमें मैंने पहला बिंदु रखा था, अब मैं दो और बिंदु रखना चाहता हूँ। उन क्षेत्रों को चिन्हित करने के बाद, चयनित करने के बाद वह बोर्ड इस बात को निर्धारित करे कि उनके प्रोडक्शन को हम किस प्रकार से एक्सपोर्ट से जोड़ सकते हैं। सदन को यह बात जानकर प्रसन्नता होगी कि कोरिया, जापान, ओईसीडी कंट्रीज़, जिनमें नीदरलेंड है, नॉर्वे है, एस्टोनिया है, इन देशों के द्वारा अगरवुड की डिमांड हो रही है। उस माँग की पूर्ति करने में भारत सक्षम नहीं है, क्योंकि हमने वह सक्षमता पैदा नहीं की है, जबिक प्रकृति ने हमें संसाधन दिया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब राज्य नहीं थे, जब सरकारें नहीं थीं, तब भी विकास होता था। जब अग्नि का आविष्कार हुआ, तब राज्य और सरकारें नहीं थीं। राज्य और सरकार का काम होता है कि प्रकृति के संसाधनों का व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से जनभागीदारी के द्वारा विकास किया जाए और उस विकास के द्वारा किसानों का सशक्तिकरण किया जाए। जब किसानों के सशक्तिकरण की बात आती है तो मैं किसानों की तरफदारी करने वालों से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या त्रिपुरा के किसान किसान नहीं हैं? क्या मेघालय के किसान किसान नहीं हैं? उस प्रोडक्ट को व्यापार में लाने के लिए, उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए इस बोर्ड को एक अहम जिम्मेदारी दी जाए। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): He is concluding.

श्री राकेश सिन्हा: महोदय, मैं इस सदन के मार्फत तीसरा बिन्दु यह रखना चाहता हूँ कि अगरवुड का प्रोडक्शन अभी मुख्यत: असम और त्रिपुरा तक सीमित है, लेकिन आज अगरवुड के लगभग 50,000 वृक्ष त्रिपुरा में हैं। त्रिपुरा ने 2,000 हेक्टेयर लैंड 2021 की नीति के तहत अगरवुड के प्रोडक्शन के लिए अलॉट की थी। आज यदि त्रिपुरा का ठीक से सर्वेक्षण किया जाए और त्रिपुरा सरकार की अगरवुड पॉलिसी, 2021 को डिकोडिफाई किया जाए तो त्रिपुरा में लगभग 4,000 हेक्टेयर लैंड अगरवुड के प्रोडक्शन के लिए एडिशनल दी जा सकती है। यही स्थिति असम में है। अगरवुड का प्रोडक्शन सिर्फ त्रिपुरा और असम ही नहीं, बल्कि मेघालय के जयंतिया हिल्स में भी संभव है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी सैकरेड फॉरेस्ट की बात कही थी। आप जब मेघालय की पहाड़ियों से गुजरेंगे तो उन फॉरेस्ट्स को देखेंगे, जिनकी आध्यात्मिक-सांस्कृतिक कारणों से रक्षा की जा रही है। मैं जब चेरापूँजी से सोहरा गया, -- सोहरा कहाँ है, यह शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा -- मैं जब वहाँ वर्ष 2019 में गया था, तो वहाँ वृक्ष थे और जब 2020-21 में गया तो देखा कि

कोविड के दौरान उन वृक्षों को काट दिया गया। एक पहाड़ पर वृक्षों को विकसित होने के लिए 20 साल का समय लगता है। आज यदि जयंतिया, गारो और खासी हिल्स में फॉरेस्ट बचा हुआ है, तो वह यही सांस्कृतिक-आध्यात्मिक कारण से बचा हुआ है। इसी अगरवुड को त्रिपुरा के ट्राइबल्स ने, असम के लोगों ने सांस्कृतिक-आध्यात्मिक कारण से बचाया था, जबिक उन्हें पता भी नहीं था कि कोरिया, जापान और ओईसीडी की कंट्रीज़ में आगे इसकी डिमांड होगी, इसकी कीमत पाँच लाख रुपये प्रति किलोग्राम होगी। उनके मस्तिष्क में इसका आर्थिक पक्ष नहीं था, वे तो बस अपनी जीविका चला रहे थे। मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अगरवुड बोर्ड के द्वारा...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Rakesh Sinhaji, please conclude. There are four more speakers.

SHRI RAKESH SINHA: Sir, I would be concluding now. राष्ट्रीय अगरवुड बोर्ड में उन लोगों को शामिल किया जाए, जो भले ही औपचारिक शिक्षा से युक्त नहीं हैं, लेकिन वे अगरवुड के प्रोडक्शन में पीढ़ी-दर-पीढ़ी रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक नई परम्परा और प्रवृत्ति को स्थापित करने की कोशिश की है, उसके तहत यदि आपमें औपचारिक शिक्षा नहीं भी है और यदि आपमें विशेषज्ञता है तो आपकी सेवा का उपयोग राष्ट्रीय रूप में लिया जा सकता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के मार्फत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे ट्राइबल्स, जो अगरवुड के प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, जिनका सेंटिमेंट इससे जुड़ा हुआ है, उन ट्राइबल विशेषज्ञों को इस अगरवुड बोर्ड में रखा जाए। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं दो छोटे बिन्दुओं को बताकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you very much. Let me call the next speaker.

श्री राकेश सिन्हा: सर, मैं दो छोटी बातों को बताकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): You have already spoken for 27 minutes.

श्री राकेश सिन्हाः सर, हमारी क्लास 55 मिनट की होती है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please take your seat. ... (Interruptions)...

श्री राकेश सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो लोग सेमिनार में और सड़क पर जनपक्षधरता की बात करते हैं, जब सदन में जनपक्षधरता की बात होती है तो वे क्यों उसे...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): You require one hour actually. You are a professor. ...(Interruptions)... But, in Parliament, we cannot give one hour to all professors. That is the problem. ...(Interruptions)...

SHRI RAKESH SINHA: Let me conclude. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Prof. Manoj Jha is there. He also needs one hour. ... (Interruptions)... But that is not possible. So, I request you to please conclude. I will call the next speaker.

SHRI RAKESH SINHA: I am concluding in one minute. ...(Interruptions)... सर, आधा समय तो टोकाटोकी में चला गया है। महोदय, मैंने कन्कलूड नहीं किया है। मैं एक मिनट में कन्कलूड करता हूं, अदरवाइज़ इतिहास में ऐसे ही स्पीच जाएगी। मैं अंत मे कन्क्लूड करना चाहता हूं कि माननीय बिप्लब देब जी की इस संकल्पना को ...(व्यवधान)...

प्रो. मनोज कुमार झा : हम सब समर्थन करते हैं।

श्री राकेश सिन्हा : आप सिर्फ समर्थन ही मत कीजिए। ...(व्यवधान)... नारेबाज़ी से देश नहीं चलता है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you, Rakeshji.

श्री राकेश सिन्हा: महोदय, देश बुनियादी मुद्दों पर बुनियादी तरीके से चलता है। आम लोगों के ...(व्यवधान)... 70 साल से देश में विपक्ष ने ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): The next speaker is Dr. John Brittas. ...(Interruptions)... Rakeshji, I have already called the next speaker. ...(Interruptions)...

SHRI PIYUSH GOYAL: He has not yet completed. It is a Private Member's Resolution. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): The Leader of the House, I have given more than the required time to the hon. Member. ... (Interruptions)...

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, in Private Member's Resolution ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): In Private Member's Bill and Resolution, the time limit is two hours. ...(Interruptions)... We have to give time to others also. ...(Interruptions)... There are another four Members from your Party. ...(Interruptions)...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; THE MINISTER OF COAL; AND THE MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): We can discuss it next week. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): That can be done. ...(Interruptions)... But there are another four Members from your Party. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)... Rakeshji, please sit down. ...(Interruptions)...

SHRI PRALHAD JOSHI: Let him conclude it. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): It is on the Chair. ... (Interruptions)... Please sit down. ... (Interruptions)...

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, he should be given more time. ...(Interruptions)... Let him, at least, complete his subject. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): I understand the subject and I also understand what Rakesh Sinhaji has spoken as well as what you have understood. ...(Interruptions)... He has spoken about all the subjects regarding the Resolution which is being discussed. ...(Interruptions)... So, I request him to conclude it. I have called the next speaker. ...(Interruptions)... Please be seated. ...(Interruptions)... That is not correct. ...(Interruptions)...

SHRI PRALHAD JOSHI: Let him conclude it. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): He has concluded. ...(Interruptions)...

SHRI PIYUSH GOYAL: He has not concluded. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): He has concluded. ... (Interruptions)... I told him to conclude and he has concluded. ... (Interruptions)...

SHRI PIYUSH GOYAL: He has a right to conclude his subject. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): All of you, please, sit down. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)... प्लीज़, बैठ जाइए।

श्री हरद्वार दुबे (उत्तर प्रदेश): सर, ये लोग ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): You please sit down. ...(Interruptions)... First, you sit down, then I will allow you. ...(Interruptions)...

श्री हरद्वार दुवे : सर, मैं आपसे कह रहा हूं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please sit down. ... (Interruptions)... I have asked Sinhaji to conclude. ... (Interruptions)... Listen to me. ... (Interruptions)... Please, sit down. ... (Interruptions)...

श्री हरद्वार दुवे : सर, मैं आपसे कह रहा हूं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): You cannot shout like this. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)... I am telling you, please sit down. ...(Interruptions)...

### 4.00 P.M.

You can't do this. I have requested the Member. He has said that he can conclude within one minute. Let him conclude. I will allow him to conclude, and, afterwards, Dr.

John Brittas will speak. And, others should not shout like this. This is not correct. Yes, Shri Rakesh Sinha.

श्री राकेश सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी संवेदनशीलता को जानता हूं।...(व्यवधान)... आप स्वयं गरीबों और ट्राइबल्स के पक्षधर रहे हैं और ऐसे अवसर पर जब ट्राइबल की बात चल रही है, तो \*...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please conclude.

श्री राकेश सिन्हा: सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

# [उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) पीठासीन हुए।]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please continue.

श्री राकेश सिन्हा: सर, बिप्लब देब जी ने अपनी संकल्पना में चार महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया है। पहला बिंदु अगरवुड के प्रोडक्शन में एक राष्ट्रीय नीति के निर्माण का है। आपको शायद पता नहीं होगा कि मिथिला के लोग पान बहुत खाते हैं। पान के पत्ते का प्रोडक्शन नॉर्थ-ईस्ट में होता है। मैं सच कह रहा हूं कि यदि उसको व्यवस्थित कर दिया जाए, तो उन ट्राइबल्स को बाहर से किसी अनुदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर्वहारा की बात करने वाले लोग, कम से कम उन लोगों के बारे में जब बात होती है, तो ऐसा व्यवधान पैदा न करें, जैसे वे कुछ हैं ही नहीं। ऐसा तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। वहां पर भी उनकी खैर ली जाती थी, आप तो उससे नीचे जा रहे हैं। जब भी गरीबों की बात होती है, आप गरीबों की बात में हस्तक्षेप करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, बहस नहीं चाहते हैं। बिप्लब देब जी ने अन्य तीन बातें कही हैं। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर अनुदान देकर उसकी कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाए, यह प्रस्ताव सीधा स्थानीयता से न जुड़कर अखिल भारतीयता से जुड़ जाए और तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष उन्होंने जो रखा है, वह यह है कि जो किसान उसका उत्पादन कर रहे हैं, उन किसानों को ...(व्यवधान)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I have a point of order. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It is a Private Member's Resolution. ...(Interruptions)... Dr. Brittas, you are the next speaker. So, you can speak. When his time is over, you can speak. You can raise your point at that time.

\_

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair.

Now, Shri Rakesh Sinha, please continue. ... (Interruptions)... You will have your time. ... (Interruptions)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, this is the strategy. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Dr. Brittas, you will have your time. Rakesh*ji*, please continue. ...(Interruptions)...

श्री हरद्वार दुबे: ये लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। हर बार प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Dr. Brittas, you are the next speaker. So, you will have your time. Whatever you want to say, you can say at that time. ... (Interruptions)... Now, let him continue. Let him finish. ... (Interruptions)...

श्री राकेश सिन्हा : सर, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि इनके लिए भारत का तात्पर्य क्या है?...(व्यवधान)...

DR. JOHN BRITTAS: Mr. Vice-Chairman, Sir,...(Interruptions)... Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have a point of order. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Prof. Jha, you know it very well. In your own Bill, how much time did you take? ...(Interruptions)... You know about the Private Members' Business. You know how much the Members can speak. ...(Interruptions)... This House has the precedent of a speaker speaking for one-and-a-half hours on a Private Member's Bill. ...(Interruptions)... You yourself are an example. ...(Interruptions)... So, let him continue and let him finish. Don't disturb the speaker. If you disturb him so much, how will he be able to finish? ...(Interruptions)... So, be kind and allow him to speak.

श्री राकेश सिन्हा : मैं जब भी कन्क्लूड करने लगता हूं, तो इन्टरप्शन शुरू हो जाती है। ...(व्यवधान)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, this is my right. You have to allow the point of order. ... (Interruptions)...

श्री राकेश सिन्हा: मेरे कन्क्लूज़न पर ही प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्यों होता है, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं।...(व्यवधान)...

श्री सैयद नासिर हुसैन : सर, इनके पास केवल एक मिनट का समय था।...(व्यवधान)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, please allow my point of order. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your point of order has been heard by the Vice-Chairman earlier and he has given his ruling. No more ruling now. You will have your say. I will give you time. You can speak then, not now. Don't disturb him. This is not the way. ... (Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, this is my right. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will give you time later. ...(Interruptions)... Let the hon. Member finish his speech. ...(Interruptions)... Mr. Rakesh Sinha, please continue.

श्री राकेश सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात को गंभीरता से कहना चाहता हूं, इस पर जो मेरे मित्र बार-बार आपित व्यक्त कर रहे हैं, उन्होंने लंबे समय तक त्रिपुरा में शासन किया है। वे अपने साथियों से, अपने कॉमरेड्स से पूछ सकते हैं कि अगरवुड के महत्व पर, उसके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बिप्लब देव जी जो प्रस्ताव लाए हैं, उसका प्रभाव वहां के स्थानीय लोगों पर कैसा पड़ रहा है। मैं कोई समय काटने के लिए नहीं बोल रहा हूं। विपक्ष इस पर गंभीरता से विचार करे। क्या भारत का तात्पर्य महानगर होगा, भारत का तात्पर्य उच्च मध्यम वर्ग होगा? भारत के तात्पर्य में वह ट्राइबल भी आता है, जिसके बदन पर पूरे कपड़े नहीं हैं, जिसके पास घर नहीं है, जो किसानों के दर्जे में नहीं पहुंच पाया है। आज प्रधान मंत्री जी की योजनाएं वहां पहुंच रही हैं, जिससे सुदूर क्षेत्रों में ट्राइबल्स के लिए घर बन रहे हैं। यदि आप यह मांग करते, यह सूची लेकर आते कि मणिपुर के क्वाथा और मेघालय के कोंगथोंग में उन ट्राइबल्स की क्या हालत है, उस क्वाथा गांव में जाकर देखिए, उस कोंगथोंग गांव में जाकर देखिए ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Hon. Member, please address the Chair. ... (Interruptions)...

श्री राकेश सिन्हा: महोदय, अगरवुड बोर्ड में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय, तीनों की सहायता ली जाए। ...(व्यवधान)...

श्री सैयद नासिर हुसैन: सर, यह बात ये पहले भी बोल चुके हैं। एक ही बात तीन-तीन बार बोल रहे हैं।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please do not make running commentary. ...(Interruptions)... Please do not make running commentary. ...(Interruptions)...

श्री सैयद नासिर हुसैन: सर, ये एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): If you disturb him like this, then, what will he do? ...(Interruptions)... What will he do if you disturb him so much?

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, he said that he will conclude in one minute. ...(Interruptions)... One extra minute was given, and, now... ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He has the right to speak. ... (Interruptions)...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, the Chair also has a right. ...(Interruptions)...

श्री राकेश सिन्हा: यह तो एक ऐसी ही बात है कि जो सूक्ष्म मुद्दे होते हैं और सूक्ष्म समाज से जुड़े होते हैं। उन सूक्ष्म मुद्दों पर ...(व्यवधान)...

SHRI VAIKO: Sir, we seek justice for smaller parties. ...(Interruptions)... I think, you should consider this. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Vaiko, I know that you have to raise an important issue but this issue is equally important. ... (Interruptions)... Please let him speak.

श्री राकेश सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जिस प्रांत से आते हैं, यदि उस प्रांत में 2015-16 से पहले अगरवूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया होता, तो क्या असम का जीडीपी नहीं बढ़ता? क्या असम, त्रिपुरा और मेघालय का जीडीपी बढ़ाने की चिंता आप सबको नहीं है? जो राज्य 85 मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट भेजेंगे, क्या उन्हीं की बात होगी? जिन राज्यों से एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, क्या उनकी बात नहीं होगी? क्या नागालैंड की बात नहीं होगी? हमारी पार्टी ने नागालैंड से राज्य सभा में एक सदस्य को अप्वाइंट किया है, क्या यह आपके लिए खुशी की बात नहीं है? राष्ट्रीय एकता का प्रश्न जातीय नहीं है। राष्ट्रीय एकता का प्रश्न और राष्ट्र के आर्थिक विकास का प्रश्न कोई एक समूह विशेष का प्रश्न नहीं है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, जिनसे हाशिए के लोग आज मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, उन्हें भारतीय होने का, भारत में रहने का और भारत के गणतंत्र का एहसास हो रहा है। आज अगर लक्ष्मीकृट्टी को पद्मश्री मिल रहा है, आज अगर ट्राइबल बेल्ट की तुलसी गौडा को पद्मश्री मिल रहा है, आज अगर मेघालय की ट्रिनिटी साइओ को पद्मश्री मिल रहा है, तो आज हम ट्राइबल बेल्ट में सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पहुंच रहे हैं। क्या यह आपको दर्द पैदा कर रहा है? ...(व्यवधान)... उनके दर्द में सहभागी बनिए। आप जिस संघवाद की बात कर रहे हैं, उस संघवाद पर संविधान सभा से लेकर अब तक हज़ारों बार बहस हो चुकी है। तब तो आपको दर्द नहीं होता है, लेकिन ट्राइबल्स के बारे में अगर डेढ़ घंटे बहस हो जाए, तो विपक्ष को दर्द होता है। ...(व्यवधान)... हमने तो एक चिराग मांगा है और आप आशियाना ही जलाने लगे! मैं तो सिर्फ इतना कर रहा हूं कि ट्राइबल बेल्ट की स्थिति को जानने और समझने के लिए उन्होंने एक विषय दिया है, ...(व्यवधान)... उन्होंने यह नहीं कहा है कि आप अगरवुड तक सीमित रहिए। जब हम किसी मुद्दे को उठाते हैं, तो उसे व्यापकता के दायरे में देखना चाहिए। उसके बड़े फलक पर हमें बहस करनी चाहिए और हमारा बड़ा फलक उत्तर-पूर्व के राज्य हैं। उत्तर-पूर्व के राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो बहुत अच्छा है, उत्तर-पूर्व के राज्यों में यदि हेलिकॉप्टर और हवाई जहाज पहुंचने की बात हो, तो बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तर-पूर्व के राज्यों की बुनियाद में जो ट्रायबल्स हैं, यदि उनकी बात हो, तो ये बेकार की बातें हैं, सदन का समय जा रहा है, यह मुझे कम से कम डा. जॉन ब्रिटास जैसे अपने मित्र से अपेक्षा नहीं थी, जो कि हमेशा मार्क्सवादी होने के कारण गरीबों की बात करते हैं। उनसे ज्यादा गरीब कौन हो सकता है? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से यह जानना चाहता हूं ...(व्यवधान)... मैं सदन के मार्फत एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वह ऐसी जगहों पर जाये, वहां के किसानों से मिले, उनकी हकीकत को और यथार्थ को जाने। बिना देश के यथार्थ को जाने, आप देश के विकास की बात नहीं कर सकते हैं ...(व्यवधान)... और यथार्थ को जानने के लिए गूगल और पुस्तकों में नहीं, भारत की यात्रा करनी पड़ेगी, भारत की यात्रा का मतलब पर्यटन नहीं, भारत की यात्रा का मतलब

सुपारी पैदा करने वाले किसानों, पान पैदा करने वाले किसानों, अगरवुड पैदा करने वाले किसानों से जाकर मिलना, उनके साथ वार्तालाप करना, उनकी कित्नाइयों को जानना है। सूक्ष्म बातों में ही स्थूल बातें होती हैं। ...(व्यवधान)... जब तक सूक्ष्म बातों की ओर सदन अपना ध्यान आकृष्ट नहीं करेगा, जब तक इन बातों पर गंभीरता से विचार नहीं होगा -- मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ही मुद्दों पर सदन में बहस की जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम राज्य सभा के सदस्य से अपेक्षा होती है कि हम उन बातों पर बहस करें, जिन बातों पर साधारणतया जन प्रतिनिधि बहस नहीं करते हैं। हमेशा अपेक्षा की जाती है कि हम उन क्षेत्रों में जायें, जो क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं। असम और त्रिपुरा के विकास के साथ-साथ मेरा एक अनुमान है, जो मैंने सीमित अध्ययन से लगाया है, यदि ट्रायबल बेल्ट के 100 ऐसे उत्पादकों की सूची बनाकर, इनको व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाये, तो नॉर्थ-ईस्ट की जीडीपी में चार से पांच प्रतिशत का उछाल आ सकता है। इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूं कि सदन बिप्लब देब जी के इस प्रस्ताव को सहमति ही न दे, बल्कि भावनात्मक रूप से इससे अपने आपको जोड़े। ...(व्यवधान)... आप नॉर्थ-ईस्ट में जाकर उन किसानों से भी मिलें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह मेरा दर्द इसलिए है, क्योंकि मैं नॉर्थ-ईस्ट की बेल्ट में 30 बार किसानों के बीच में गया हूं।...(व्यवधान)...

प्रो. मनोज कुमार झा : आपको इतना किसानों के लिए दर्द है, तो ...(व्यवधान)...

श्री राकेश सिन्हा: जो लोग नॉर्थ-ईस्ट में सिर्फ शहरों को देखने के लिए गये, शिलॉंग और गुवाहाटी को देखने गये, मैं उनसे कहता हूं कि शिलॉंग और गुवाहाटी से दूर पैदल यात्रा कीजिए। ...(व्यवधान)... आप पैदल यात्रा कीजिए, विलासिता के जीवन से निकलकर उन ट्रायबल्स से, जो हजारों साल से कष्ट में रह रहे हैं, उनसे अपने आपको जोड़िये। देखिए, कैसे हिन्दुस्तान बदलता है। अब नरेन्द्र मोदी जी का हिन्दुस्तान बदल रहा है, जिसमें ट्रायबल की वही महत्ता है, जो शहरों में रहने वाले लोगों की है। हम बिना समाजवाद का नाम लिये, बिना समाजवाद शब्द का प्रयोग किये हुये, समाज के हर हाशिए के व्यक्ति को अपने विकास के केन्द्र में रख रहे हैं। इसे दुनिया देख रही है। ...(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you, Rakesh Sinha ji. The next speaker is Dr. John Brittas.

SHRI VAIKO: Sir, there is no democracy in this House. ...(Interruptions)... They have got the majority. ...(Interruptions)... During Private Members' Business, small parties like us are accommodated. This is the only chance, that is, on Private Members' days, the small parties get a chance. So, the Chairman has to protect us. They may laugh; they may ridicule but ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Yes, Dr. John Brittas. ...(Interruptions)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have a point of order. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your colleague is speaking.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: This is important for the Chair. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He has the passage. Now he will be speaking. ...(Interruptions)... No; you cannot interrupt. ...(Interruptions)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Give me just one minute. ...(Interruptions)... Sir, it is a very important point of order. ...(Interruptions)... Please allow me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your point has already been made. ...(Interruptions)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: No, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): And the previous Vice-Chairman has already given a ruling. ...(Interruptions)... He has already given a ruling. ...(Interruptions)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, you have not heard me. Hear me out, Sir, just for 30 seconds.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Okay. ...(Interruptions)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I am quoting ...(Interruptions)... एक मिनट ..(व्यवधान).. मैं हाथ जोड़कर रूल 161 के तहत कहता हूं। महोदय, मुझे रूल के लिए कहा गया। मैं अप्रैल 2018 में आया था। मैंने पहला काम यह किया कि मैं एक हफ्ते के अंदर रूल बुक पढ़ गया था। सर, रूल 161 में there have been instances today, sorry to say this, maybe inadvertently, when motives were attributed to the Chair. Expunge that, Sir. One Member who was

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will look into it. Dr. John Brittas.

DR. JOHN BRITTAS: Thank you, Sir. सर, आप सुनिए। हमने राकेश जी को 40-50 मिनट सुना है। Sir, at the outset, let me express my profound sense of gratitude towards Biplab babu for bringing this Resolution on the floor of the House. He was the Chief Minister of Tripura. He could have brought this, I am sure, because he understands the agony of the agarwood farmers. I understand the multiple levels of agony he is sharing. \* The second agony is that ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Don't make personal remarks. ...(Interruptions)... No. ...(Interruptions)... This will be expunged from the proceedings. ...(Interruptions)... Don't make personal comments. ...(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I didn't say anything. Please listen to the speech of Rakesh Sinha ji. He has gone everywhere. श्रीलंका गए, मलेशिया गए, कहाँ नहीं गए? Sir, the second agony is this. And it is a very, very important thing. I have been patiently listening to the speech of my friend Pabitra ji from the BJP. Generally, they were speaking about the hardships of the farmers and in particular of the agarwood farmers. Even the Ruling Party Members are concerned about the plight of our farmers in this country. That is something which needs to be appreciated because, at least, they have the honesty to say that farmers are finding it extremely difficult to survive in this country. I fully appreciate it. कहाँ हैं बिप्लब बाबू? देखिए, चुपचाप बैठे हैं। See the agony on his face.

-

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Dr. John Brittas, you concentrate on the subject. You are going out of the subject. I understand your agony. ..(Interruptions)...

श्री जॉन ब्रिटास: मैडम, क्रिसमस का टाइम है। ..(Interruptions)... Sir, agony is not an unparliamentary word. The Resolution is absolutely the manifestation of the agony which Mr. Biplab Kumar Deb shares, not the agony which I said in the first part. It is the agony of the plight of the farmers of this country. The Resolution has been very elaborate. I appreciate it. He has meticulously drafted this Resolution. Because he understands that if at all he takes up the matter bilaterally with the Minister or the Government there won't be any result. That is why, he thought it appropriate and befitting to draft his demand as a Resolution so that he gets the support of the Opposition for it. I have no hesitation. ...(Interruptions)... I will tell you one thing. I am sure why he framed this Resolution is because his faith in this House and this Opposition is overwhelming, more than his faith in the Government. That is the point. ...(Interruptions)... Otherwise, Biplab Babu is supposed to have so much clout in the Government.

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, I have a point of order under Rule 238, that is, rules to be observed while speaking. It is about making a personal charge against a Member.

डा. जॉन ब्रिटास : यह चार्ज है क्या? What is this, Sir? ...(Interruptions)...

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, the hon. Member has made a personal charge against the mover of the Resolution and on the motive of moving of the Resolution. ...(Interruptions)... He is saying that the \* So, such words should be removed from the proceedings. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will look into the record. ... (Interruptions)... You carry on.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, my hon. friend, Mr. V. Muraleedharan, has always been helpful to me. ...(Interruptions)...

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You don't have to respond to him. ...(Interruptions)... You address me. I have already said that I will look into the record. If something is unparliamentary, it will be removed. Please carry on.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am looking at you while speaking whereas my counterparts in the Treasury Benches were looking at our side. ...(Interruptions)... Since they found us to be more palatable, let them look here. I have no issue at all. Let them look at us. What I am saying about this Resolution is this. I have gone through different paragraphs of this Resolution which go up to (g). I appreciate one of the very important aspects which he has mentioned because he has written, "Provide adequate welfare measures for Agarwood cultivators".\* - मैं बताता हं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Again, this is personal. ... (Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, Agarwood is used for religious purpose, for perfumes, medicinal purpose, spiritual purpose, etc. I mean, this is very important for all facets of our lives -- spiritual side, material side and even the ambience. We need to have such perfumes. When there is so much of.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It is used as an aromatic ingredient. ...(Interruptions)... I just clarified it.

DR. JOHN BRITTAS: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very thankful to you. I am sure about the fact that you must be knowing about this product much more than any one of us. But, I just want to give a piece of information to my friend, Mr. Rakesh Sinha, because he spoke about this Resolution \* मैंने बात की है, मैंने सुना है।

Sir, paragraph (g) is very important. ...(Interruptions)... My friend, Biplab Babu, has been absolutely correct when he brought in something about MSME units. It is very important. This Resolution has got a direction and a purpose. Why do we support Biplab Babu's Resolution wholeheartedly? It is because farmers can survive only if their products are turned into value added products and if that can be instrumental in giving jobs to people. Sir, in our country, maximum number of people work in MSME

-

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair.

sector. नीरज जी, सही है न! सही है। The one sector; why is he saying that? I told you it MSME sector is developed on this front, that would help to give more jobs to people also, tribal people. We have to help them. That is why, we are wholeheartedly supporting. The biggest issue of the MSME sector is that they do not have skill. We do not impart skill to the MSME sector and there is a deficit for the credit. They do not get bank loans unless they have collaterals. Two death blows happened to the MSME sector in this country. Do you know which those two death blows are? The two death blows for the MSME sector, first was demonetization and the second was Covid. ...(Interruptions)... These were the two death blows. Thousands of MSMEs plunged into crisis. Thousands of MSMEs wound up. They were closed down. Lakhs of people lost their jobs because of the MSME closure. So, the Resolution which harps on the imperative of the MSMEs, that is something very important.

Coming to agriculture, our Members were underlining the importance of agriculture. Can we think about India if we ignore the agriculture sector? Biplab Babu was the Chief Minister there. Actually, agriculture used to come in the State subject but now he understands that everything is being monitored and done from the Centre. That is why, despite agriculture being the State subject, the farm bills were pressed upon the States, and you know what happened to them. So, he understands that there needs to be a strategy, and he needs to get the support of the Centre, and Vaikoji's Resolution also has a relevance to this point. Do you know what is it? Unless the States are empowered, unless the States' finances are helped or enriched, how can they help the Agarwood farmers? About Biplab Babu, I would tell you. The biggest sorrow he has is that despite the fact he was the Chief Minister ruling Tripura and, for me, he was ruling well but, still, his friends found it otherwise; I mean, that's why it happened to him. Anyway, none of the States can take care of the needs of... ... (Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, there is a point of order. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Under which rule? ...(Interruptions)...

डा. जॉन ब्रिटास : 'बिप्लब बाबू' अनपार्लियामेंटरी है क्या?

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, it is under rule 240. ... (Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, you promised me one hour for my speech. ... (Interruptions)...
I would speak. ... (Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, it is about 'Irrelevance or repetition.' ... (Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: What repetition? ... (Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: "The Chairman, after having called the attention of the Council to the conduct of a member..."

DR. JOHN BRITTAS: Is 'farmers' a repetition to you? ... (Interruptions)... Do you not like farmers? ... (Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: "...who persists in irrelevance or in tedious repetition..."

...(Interruptions)... So, he is repeatedly mentioning the same false allegations.

...(Interruptions)... Sir, he should be asked to discontinue as per Rule 240.

...(Interruptions)... Sir, as per Rule 240, you can ask him to discontinue.

...(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I want protection. ... (Interruptions)... I want your protection. ... (Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, you should ask him to discontinue the speech. ...(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: \* ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): One minute. ...(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, he is indirectly ..... (Interruptions)...

-

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The point of order under rule says about 'Irrelevance and repetition.' ...(Interruptions)... So, I would have a look into it. ...(Interruptions)...

डा. जॉन ब्रिटास: राव साहब, आप यह क्यों कर रहे हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please continue now. ... (Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Okay, Sir. ... (Interruptions)... Thank you. ... (Interruptions)... Even if my friend Rao Saheb disowns Shri Rakesh Sinha, I would not disown him. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You need not reply to him. ... (Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I will tell you. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He had addressed the Chair. He has raised a point. I have already said that I will have a look into that. Please continue.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the issue is, as I said, Agarwood farmers, agriculture, MSMEs, everything is included in this elaborate Resolution. ...(Interruptions)... Sir, they are disturbing me. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You continue. ... (Interruptions)... I have allowed you. ... (Interruptions)... Please continue. ... (Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: How can I speak when they are disturbing? ...(Interruptions)... I want your protection. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You continue. ....(Interruptions)... You have to address to me. ...(Interruptions)... I am listening to you. ...(Interruptions)... You do not worry about that. ...(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I will tell you. ...(Interruptions)... आप बताइए, मैंने बता दिया है।...(व्यवधान)... आप बेठिए।...(व्यवधान)... Sir, actually, I was patiently listening to Shri Biplab Babu. Tripura's economy, tribal's lives and livelihood is very important to us. It is very important to us. ...(Interruptions)... Sir, tribals are all over the country. ...(Interruptions)... One thing is that in order to help the farmers of Tripura, we took it on ourselves to make sure that they start rubber cultivation. ...(Interruptions)... वहां रबर कल्टिवेशन शुरू हो गया है। Sir, is this the way they have to behave? ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I am listening to you. ...(Interruptions)... You please continue....(Interruptions)...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, you tell them also how to behave.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I will tell you one thing. ...(Interruptions)... In order to help the farmers of Tripura, the tribals of northeast, we imparted the skill and knowledge of rubber cultivation to them in a big way. ...(Interruptions)... Biplab Babu knows that. ...(Interruptions)... The Tripura farmers ventured into rubber cultivation. Sir, what happened? The import policy of the Government of India ditched rubber cultivators in Tripura, North East and Kerala. ...(Interruptions)... Yes. ...(Interruptions)... Sir, what has happened? ...(Interruptions)... राकेश सिन्हा जी, क्या आप अगरवुड के बारे में बोले थे?...(व्यवधान)... Sir, I will tell you one thing. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You address the Chair. ...(Interruptions)... The Chair is listening to you and it is going on record. ...(Interruptions)... So.....(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I want to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Yes, please.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I want twenty minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Rakeshji ... (Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, my only submission is because I feel that my friends from the Treasury Benches will facilitate Vaikoji to move his resolution on that condition. ...(Interruptions)...

श्री राकेश सिन्हा : आप बताइए अगरवुड क्या होती है?

डा. जॉन ब्रिटास: सर, यह क्या है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No, no. Mr. John Brittas, don't put a motive. ... (Interruptions)... Don't put a motive. ... (Interruptions)...

श्री राकेश सिन्हा: आप सदन के ऊपर एस्पर्शन कास्ट कर रहे हैं। This is wrong. आप सर्वहारा वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं। ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Brittas, you did the same thing when he was speaking. ...(Interruptions)... So, you address the Chair. ...(Interruptions)... I am listening to you. ...(Interruptions)... I am listening to you. ...(Interruptions)...

**डा**. **जॉन ब्रिटास** : सर, यह क्या है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You don't have to reply to him. ... (Interruptions)...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, how can he question? He can address you but he cannot dictate it. ...(Interruptions)... Sir, he has to address the Chair. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, I have allowed Shri John Brittas to address to me and not anybody else. ... (Interruptions)...

श्री सैयद नासिर हुसैन : सर, इन्होंने रिज़ॉल्यूशन का मज़ाक बना दिया है।

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I don't take note because when I speak.... (Interruptions)...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir,....(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Nasir*ji*, just a minute. ...(Interruptions)... Sir, when I speak about the farmers of this country, they don't like it. ...(Interruptions)... \* ...(Interruptions)... Sir, 700 farmers had lost their lives because of their lopsided policies. ...(Interruptions)... Sir, Tripura farmers. Tripura farmers. ...(Interruptions)... They were speaking about the Tripura farmers. ...(Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, I have a point of order.

डा. जॉन ब्रिटास : यह प्वॉइंट ऑफ डिसऑर्डर है।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, these are offensive expressions. Use of offensive expressions is not accepted while speaking in the House under Rule 238. ...(Interruptions)... He has used very objectionable and offensive words regarding farmers. ...(Interruptions)... Have some concern and sensitivity for the farmers.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, what is this?...(Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: He used very offensive words while speaking in the House....(Interruptions)...

डा. जॉन ब्रिटास: फार्मर्स के बारे में बोलने में क्या दिक्कत है?

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: He made allegations.

डा. जाँन ब्रिटास : किसान पर बोलना डेरोगेटरी है क्या ?

-

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Under Rule 235, you cannot make allegations which you cannot substantiate. Sir, he said something in relation to farmers. ... (Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, what is this?

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: I am saying that under Rule 238 (A). Sir, those allegations must be expunged from the record. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will look into the record.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am so agitated by the fact that the Members of the Treasury Benches do not want to listen to the agonies of our farmers. How can they be like this? How can they be impatient? I am talking about the hardships being faced by the farmers, especially, in Tripura, not only agarwood farmers, the rubber farmers. ...(Interruptions)... Yes; that is why the price of the rubber has plummeted to Rs.120. ...(Interruptions)... You have imported 5 lakh tonnes of rubber from Malaysia and Vietnam. You have imported. The price of the rubber in Kerala was Rs.200. It has come down to Rs.120 because of their import policy. ...(Interruptions)...And the Government of Kerala...(Interruptions)... Sir, the Government of Kerala ...(Interruptions)... Rakeshji, ...(Interruptions)...

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)... He is continuously asking questions directly from him. ...(Interruptions)... Not that he is asking question through the Vice-Chairman. ...(Interruptions)... This is a wrong thing. ...(Interruptions)... This is Rule 239; question to be asked from Chairman. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It is good sense of the hon. Member to address the Chair on any issue. ...(Interruptions)... Now I have allowed Dr. John Brittas. ...(Interruptions)... Dr. John Brittas is speaking. You are also interrupting him. ...(Interruptions)...

DR. V. SIVADASAN: It says, "When, for the purposes of explanation during discussion ... (Interruptions)...or for any other sufficient reason, any member has occasion to ask a

question of another member on any matter then under the consideration of the Council, he shall ask the question through the Chairman." ...(Interruptions)... But, here, Shri Rakesh Sinha is continuously violating this principle, violating the rule. So, you please control him and allow Dr. John Brittas to speak. ...(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Thank you, Sir. There was a question which was raised from this side: What were we doing? ...(Interruptions)... Sir, I can submit, since it is a genuine question, I feel that I need to respond to the genuine question. Sir, in Kerala, with the limited resources we have, we made it a point that the rubber cultivators get minimum Rs.170 for one kilogram. ...(Interruptions)...

SHRI VAIKO: That is why, today, I made a request, even to the Leader of the House, to kindly allow us to put our views, to place our views. That is democracy. But what has happened today, it is a \* the way in which the Ruling Party Members took the time. They took the time. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Vaiko, I think the Chair has permitted the Opposition and the Ruling Party equally. ...(Interruptions)... Ruling Party has spoken, Opposition speaker also has spoken. Now one Opposition Member is speaking, and you are interrupting. ...(Interruptions)... Please.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I want protection. ...(Interruptions)... I will tell you, Sir. ...(Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, he said very objectionable words about the...(Interruptions)...proceedings of the Council and this must be expunged...(Interruptions)... This is Rule 238(iii)....(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Rao saheb, you expunge it. ... (Interruptions)...

-

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, Mr. Vaiko called the proceedings \* ...(Interruptions)... I object to this word. ...(Interruptions)... This must be expunged. ...(Interruptions)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: What is \* is \* ... (Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Vaiko *saheb* withdrew it. ...(Interruptions)...On behalf of Vaikoji, I am withdrawing that shameful word. ...(Interruptions)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: No, that Chair will decide. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will look into the record. ...(Interruptions)... If something is unparliamentary or against the rule, it will be expunged. Please. ...(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, why I appreciate my hon. friend, Shri Biplab Deb is that, mostly, Ruling Party Members used to come with Bills and Resolutions which are intended to create polarization of society. But for a change, Biplab*ji* has been very progressive enough to come up with a Resolution which has to have an impact on the lives of so many millions of people. So I find him an oasis in the midst of so much of cloudy people.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Brittas, he is the mover of the Resolution. He will have enough time to speak on his Resolution in his reply. If you do not have anything concrete, please conclude.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I will just conclude. ...(Interruptions)... The cardinal points on which this House has to debate: Can we leave the plight of farmers like this? The second thing is that we have to protect our farmers. For that, what we need to do, Sir, is that we have to give them remunerative price. Sir, you also know what crisis the farm sector is facing now. First of all, there is no insurance; there is no comprehensive insurance for their crops. Second thing is that assuming that there is yield; there is no

-

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair.

remunerative price for the production of the farmers. That is the biggest crisis there. The basic parameter on which we need to deliberate this issue is the policy of this Government towards the farmers and agriculture. The lopsided policies of this Government has provoked an hon. Member of this House to bring such a Resolution. So, I sympathise with him and I fully support him that despite being a Member of the Treasure Benches, he had to resort to this means of a resolution to get justice and his faith in the Opposition. We are reciprocating by wholeheartedly supporting this Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you.

DR. JOHN BRITTAS: We are wholeheartedly supporting this Resolution. And, I would urge upon the Treasury Benches to support Biplab *babu* as we are supporting. Please extend that much support.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you.

DR. JOHN BRITTAS: Unless the House stands in unison; yes, unless the House is unified to support such Resolutions, the farmers cannot be saved. They are suffering because of the lopsided policies of this Government. And, I earnestly hope that in the light of the Resolution moved by Biplab Deb, the Government of India will seriously contemplate and withdraw their anti-farmer policies to help the farmers of this country including the agarwood farmers. I fully support and salute Biplab Deb.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, next speaker is Dr. Amee Yajnik.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Thank you, Sir, for this opportunity. First of all, I would like to congratulate hon. colleague, Mr. Deb for coming up with a Resolution that speaks of some kind of a sustainable cultivation of a product which is called agarwood. Sir, this Resolution that is moved speaks of bringing about cultivation and empowering the farmers of a particular region. ... (Interruptions)... Sir, if I am not audible...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please continue, I am hearing. I am listening. You address to me. Everything is going on record.

DR. AMEE YAJNIK: Sir, the sustainable cultivation will empower the farmers of that particular region. It is a very, very laudable and an ambitious way to bring about this Resolution and I fully support it.

There is only one thing I would like to say, and would concentrate on a few points as far as this particular Resolution is concerned. The Resolution speaks of it that it will bring out potential of the farmers and thereby it will create an economic revolution within that region. Today, when we talk about meeting our Sustainable Development Goals, where sustainable agriculture and empowering farmers is one of the issues in the country, here, we are trying to see that the farmers promote their products and they come out and get empowered in a way that the agriculture sector has not done so far in that particular region. I, certainly, feel that bringing about this Resolution and talking about empowering a certain section of the society, that is, the agriculture sector and the farmers within, they may come up with innovative suggestions. They may come up with different patterns of farming. I think, it is a wonderful idea. But the prayer made is that the House urges the Government to come up with Agarwood Board of India. That Board should be empowered. Sir, 3-4 important points come out of this particular Resolution. The first is that you empower the farmers; secondly, the Resolution Mover has sought some kind of promotion of these products with the MSME. MSME is the backbone of our economy. If this backbone of economy is not strengthened, specially in the backdrop of demonetization and Covid--and right now they are struggling to survive at this point of time; if Agarwood Board makes it one of its objectives to promote this Agarwood farmers and sees that the counterpart MSMEs, on the other hand, buy their products, then it would shift the burden from wherever they are; they will come up. You will also see that the MSME sector also gets a boost by this measure. That is one point.

The second point, which nobody has touched, is the prayer that has been made by the Resolution Mover is that the Self Help Groups are one of the other backbones, which are coming up in the Indian economy. The Self Help Groups and cooperatives today are looking for some kind of credit facilities, some kind of hand-holding, some kind of support. If this Board is created, it would give a boost to these cooperatives and Self Help Groups in order to see that the products that come up are bought from the farmers

after the farming; it would go a long way. Maybe, it would take some time, but definitely it would build the economy in that particular sector.

The third thing which is most required is the one that is required of any Board, apart from the Agarwood Board. Sir, research and development takes a back seat in our country. I wish, when the Government thinks of forming this Agarwood Board, the Government will give sufficient investment and funds for research and development. Apart from that, it should give chance to young entrepreneurs whether they are StartUps or small companies. If these youngsters are given some kind of a role in the MSMEs or with the Self Help Groups or cooperatives, especially the women cooperatives, then it would go a long way. Then this Board would be able to do wonders.

I also would like to add to the Resolution of the hon. Member here. The Board composition should also be thought about. There should be experts because this is a new kind of a Board. There should be technical experts, more experts in order to see that the Board meets with the objects for which this is formed. The ultimate goal of empowering the farmers in that particular area will go a long way if the counterparts buy them and support them. When the farmers come up with their products, if there is nobody on the other side to promote their products, then we can't go a long way in the economic uplift of that particular area.

The fourth important point is that we are talking of innovation every day. The Government today has got many schemes that promote innovation. Who are the people who would promote these innovations? The farmers don't have the wherewithal or the knowledge, right now, of the upcoming projects or programmes which the Government have. I think, there should be some awareness programmes which the Board should conduct.

So, I am totally with the Resolution. I fully support the Resolution. This is one way of economic empowerment of a certain section of the people. Here, there are farmers. We should not forget that 50 per cent of India is totally dependant on agriculture. The other day I was talking about the global warming and I was talking about cropping patterns that need to be changed in the agricultural sector. Here, the word that is used is 'inter-cropping' by the Resolution Mover. It is one of the innovative ideas which will go a long way in fighting the global warming and going further in our goals for the sustainable development goals which are set internationally. There are too many multiple issues in this. It is not a simple Resolution.

I would, once again, congratulate the Resolution Mover for bringing this kind of a Resolution where there are multi-pronged approaches to a particular sector, empowering that sector which should be provided by the counterpart, the Government, whether State Governments or the Union Government or the Local Government. Sir, this Government should look into this when it comes before it. When the Board is formed, it should be manned by technical experts. They should know the knowhow. They should know what the region is about. They should know what the product is; how the product is going to be at the international market, if it is submitted so, and it should also try to find out whether such boards, where there are local products like this in the country, can be formed. We cannot just take examples of one or two successful boards, but we need to promote such boards wherever in India in order to see that these different sections of people get empowered economically. Economical empowerment goes along with educational empowerment and so the board should also have some kind of an awareness teaching programmes where education or knowhow or some kind of knowledge can be imparted to these people because we can't imagine that one farmer who just cultivates wheat would also know something about rice as well or something about agarwood as well. So, these kinds of specialized knowledge banks should be formed by the board and the board should be having a lot of investments, fund facilities and this would go a long way. Sir, often we miss out on making rules for these boards and that is why we somewhere crumble. Whatever regime or reign we have, whatever products we have in a particular area should be cashed in specifically by way of bringing knowledge, experience, technical knowhow into the sector. It is very easy to form a board, but unless and until the objectives are not met with, if there is no human power and if there is no human resources there, it will fail. Hence, I completely support the Resolution and I think the Government will come up with a proper formation of this board. We will see that the pharmas in that particular area, in the North-East region, are empowered both technically and economically and they have the knowhow in order to see that they function and they get economically empowered. This would be one of the wonderful steps if the Government takes up this Resolution positively and comes up with a Board. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. These were very good suggestions. Shri Kamakhya Prasad Tasa.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सर, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : आप आगे बोल लीजिएगा। ...(व्यवधान)... यह इन्हीं के प्रांत का है। ...(व्यवधान)...

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (असम) : सर, मैं आपको और हमारे चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया।। ...(व्यवधान)... मैं बिप्लब देब जी को धन्यवाद देता हूँ कि वे अगरवुड के विषय पर ऐसी चर्चा लेकर आए कि पूरा विरोधी पक्ष वहाँ पर लगा रहा। ...(व्यवधान)... इस अगरवूड को लेकर कम से कम हमारे विपक्ष के मेम्बर बहुत व्यस्त रहे। मैंने देखा कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं बिप्लब देब जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यह सिर्फ त्रिपुरा का ही मामला नहीं है, यह पूरे नॉर्थ-ईस्ट का मामला है, जहाँ पर यह अगरवुड एनडेन्जर्ड पोज़िशन में थी, अब ठीक हुई है। राकेश सिन्हा जी भी काफी लंबा बोले। ये काँस्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। इन लोगों को काँस्टिट्यूशन की बात करने का मौका मिल जाएगा। मैं हमारें मेम्बर माननीय मनोज कुमार झा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बाद में कभी काँस्टिट्यूशन की बात कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बार-बार अगरवुड की बात करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको काँस्टिट्यूशन की बात करने का मौका मिल जाएगा। वाइको जी तो किसी भी समय उठते रहते हैं, इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन अगरवुड की बात नहीं उठेगी। आपको पता है कि अगरवूड के पीछे एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है, जो दुबई तक फैला हुआ है। अगर दुबई, अरब में जाएंगे, तो वहाँ असम और पूरे नॉर्थ-ईस्ट के अगरवुड के तेल की बात उठती है। इसकी महंगाई के बारे में बिप्लब देब जी ने सही बताया है। पबित्र मार्गेरिटा जी, राकेश सिन्हा जी, सभी ने इसके बारे में ज़िक्र किया है। मैं चाहता हूँ कि एक तो इसका रेग्युलेटरी बोर्ड बने। बिप्लब जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें पता है कि यह सिर्फ त्रिपुरा में ही नहीं है, बल्कि पूरे असम में फैली हुई है। आप लोग जानते हैं कि पूरी रूरल इकोनॉमी इस पर टिकी हुई है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि असम में जो किताब लिखी गई थी, वह अगरवूड पेड़ की स्किन से लिखी गई थी। उसे Hasi Pator puthi बोलते हैं। वह अभी भी हमारे असम में मौजूद है। उसमें जो लिखा है, वह 500, 600 या 700 साल से अभी तक प्रोटेक्टेड है। जो अगरवृड का तेल है, इसका साइलेंटली बिज़नेस करने वाला एक ग्रुप है, जो असम में बड़े-बड़े पेड़ों को कम दाम में काटकर उनसे तेल निकालता है और फिर उसको बाहर लेकर जाता है। उसका नाम शायद ...(व्यवधान)... यह सही बात है। हमारे असम में वे लोग इसका पेड काटकर ले जाते थे, जिसको रेगूलेट करने के लिए असम गवर्नमेंट और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने देरगांव में इंटरनेशल अगरवुड मार्केट बनाया है, जिसमें इसके पौधे लगाने से लेकर इसका तेल निकालने तक की व्यवस्था की गई है।

सर, आप शायद यह जानते होंगे कि जिन एरियाज़ में इसका नैचुरल इन्क्यूबेशन नहीं होता है, उसके लिए रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट में एक रिसर्च हुई है और डा. राजीव वोरा नामक साइंटिस्ट के नेतृत्व में उसको आर्टिफिशियली इन्क्यूबेशन करने के लिए, जो फंगस है उसको डालने की व्यवस्था भी की गई है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, वे भी अगरवुड लगाएँ, क्योंकि यह एन्डेंजर्ड पोज़िशन में है और इसकी संख्या जितनी होनी चाहिए, उतनी नहीं है। लेकिन इसकी मार्केट काफी विस्तृत है और इसकी मार्केट को इंटिग्रेट किया जाए। यहाँ पीयूष गोयल जी

और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी, दोनों बैठे हुए हैं। मैं पंचायती राज मंत्री एवं उनके डिपार्टमेंट से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके पौधे को लगाने का जिम्मा पंचायत को देना चाहिए, ताकि हर जगह पर इसके पौधे लगें।

आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो टी गार्डन है, उसमें हमने 5 परसेंट लैंड डायवर्सिफिकेशन के लिए दी है। ऐसा ही बिप्लब जी के त्रिपुरा में भी है। अगर 5 परसेंट लैंड डायवर्सिफाई हो जाती है और उस 5 परसेंट लैंड में अगरवुड के पौधे लगाए जाते हैं, तो it will be more precious than chandan. चन्दन की तो तस्करी भी होती है, लेकिन कम से कम इसकी तस्करी नहीं होगी, क्योंकि इसके तेल निकालने की जो व्यवस्था है, वह बहुत सिस्टेमैटिक है और इसका तेल कोई भी इमीडिएटली नहीं निकाल सकता है। आप लोगों को चन्दन की तस्करी के बारे में पता है, लेकिन अगरवुड के तेल की तस्करी करने के लिए पहले इसकी मैन्युफेक्चरिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए एमएसएमई सेक्टर में इसकी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ भी लगाई सकती हैं। मैं इसके लिए बिप्लब जी को धन्यवाद देता हूँ।

जैसा कि कहा गया, यह बहुत ही पुराना पेड़ है, जिसको उगाने के लिए और उसे बड़ा करने के लिए ज्यादा लैंड नहीं चाहिए। मैं गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको विशेषकर पंचायती राज मंत्रालय और कृषि मंत्रालय एक मिशन मोड पर ले जाएँ। मुझे इस बात को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग गवर्नमेंट में नहीं थे, तब इसकी तस्करी ज्यादा होती थी, लेकिन अब इसके लिए धरपकड़ शुरू हो गई है। जो फॉरेस्ट सम्पदा है, इसको संरक्षण देने के लिए हमारी गवर्नमेंट और डा. हिमंत बिस्वा सरमा ने व्यवस्था की है।

वाइस चेयरमैन सर, इसके ऊपर एक रिसर्च भी होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर रिसर्च होगी, तो हम लोगों को यह पता चलेगा कि इसके क्या-क्या यूजेज़ हैं। अगर आप दुबई या अरब जाएँ, तो पता चलेगा कि वहाँ के लोग इसके तेल के लिए कितने चिन्तित हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि इसके ऊपर जो रिज़ॉल्यूशन लाया गया है, वह ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं कि रिज़ॉल्यूशन क्यों लाना चाहिए, लेकिन ऐसे ही जब बिल्स बनते हैं, तो आप लोग हल्ला करते हैं और जब रिज़ॉल्यूशन पर चर्चा होती है, तब भी आप लोगों को आपित है। ...(यवधान)... इसके लिए असम के सिबसागर, जोरहाट, नगाँव और पूरे त्रिपुरा में इसकी व्यवस्था है। वहाँ की लैंड इसके लिए स्यूटेबल है। सरकार को भविष्य में इसे रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट (आरएफआरआई) को देकर इस पर रिसर्च करानी चाहिए तथा एमएसएमई सेक्टर में इससे जुड़ी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ भी स्थापित करनी चाहिए। सर, यहाँ ऑनरेबल पीयूष गोयल जी बैठे हैं। इनको भी पता है कि इसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिज़ॉल्यूशन की बातों को ठीक से लागू करे और इसकी जो संख्या है, इसको बढ़ाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

वाइस चेयरमैन सर, आप जिस एरिया से आते हैं, वहाँ नैचुरल इन्क्यूबेशन नहीं होता है। नैचुरल इन्क्यूबेशन के लिए रिसर्च सिस्टम जो एक नया तरीका लाया है, वह साइंटिफिक इन्क्यूबेशन है। साइंटिफिक इन्क्यूबेशन में उसको बाहर से आर्टिफिशियली इन्क्यूबेट किया जाता है और फंगस डाला जाता है। उसके बाद जब इसका तेल निकाला जाता है, तो उस तेल का दाम भी महँगा ही होता है। यहाँ से बहुत कम दाम में तेल लेकर उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। असम में हम लोगों ने बहुत सी जगहों पर देखा है कि इस तेल के पैसे को फंडामेंटलिस्ट्स भी थोड़ा यूज़ करते हैं। वे कौन फंडामेन्टलिस्ट्स हैं, हम इसको डेफिनेट्ली बताएंगे। सबको पता है कि जो रिलीजियस फंडामेन्टलिस्ट सिस्टम है, वह उसको भी कभी-कभी चला रहा है। इसको सीरियसली देखना चाहिए और मैं होम मिनिस्ट्री से भी आग्रह करूंगा कि जहां से तेल का पैसा आता है, उसको देखना चाहिए।

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Hon. Tasaji, it is 5 o'clock now.

Hon. Members, I have an important announcement to make.

#### RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held today i.e., on the 16<sup>th</sup> of December, 2022, has allotted time for Government Legislative Business as follows:

1. Consideration and passing of the Repealing and Amending Bill, 2022, after its introduction, consideration and passing by Lok Sabha.

**Two Hours** 

- 2. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to following Demands, as passed by Lok Sabha:-
- (i) First Batch of Supplementary Demand for Grants for 2022-23; and
- (ii) Excess Demands for Grants for the year 2019-20

Eight Hours (to be discussed together)

#### **SPECIAL MENTIONS**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Hon. Members, the Private Member's Resolution remains inconclusive. Now, we will take up Special Mentions.

Shri Satish Chandra Dubey — not present; Shri Derek O'Brien — not present. Next, Shri Pabitra Margherita.

#### Need to declare Assamese language as a classical language of India

SHRI PABITRA MARGHERITA (Assam): Thank you, Vice-Chairman Sir. With your permission, I would like to speak in Assamese. I also thank this august House for having the facility of Assamese to English interpretation.

My subject pertains to an appeal to declare Assamese language as a classical language of India. \*"Among the languages included in the larger Indo-European linguistic family, Assamese is an ancient language that is recognized by the Indian Constitution and spoken by about 23 million people.

Multiple States in the North-Eastern India have been using Assamese as the *lingua franca*. This language has continuous history of about 2,000 years. Along with the development of the language, examples of literary work in Assamese have been found since the eighty-ninth century BC. The most important aspect is Ramayana was translated into Assamese language — the first translation of the epic in any language in the Northern part of India — way back in 14<sup>th</sup> century by Madhav Kandali.

Considering the glorious history of the language and its literature, Assamese is eligible for being recognized as a classical Indian language alongside the six already-recognized classical languages because Assamese language fulfils all the criteria required for this recognition. Under the leadership of hon. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, academic measures have already been initiated for this. Therefore, I appeal for steps from the Central Government to recognize Assamese as a classical language."

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (असम) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

<sup>\*</sup> English translation of the original speech delivered in Assamese.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

# Need to establish a Central Tribal University at Rairangpur in Mayurbhanj District of Odisha

श्रीमती ममता मोहंता (ओडिशा): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर ओड़िया में बोलना चाहती हूं। आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। \*"महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओडिशा के जंगल पहाड़ घेरा प्राकृतिक संपदा परिपूर्ण तथा आदिवासी अंचल के हिसाब से मयूरभंज जिला को जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले में 25 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस जिले की शिक्षा हार 85.89 प्रतिशत है जिसमें 90.77 पुरुष और 80.82 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं। इस जिले में आदिवासी समुदाय के शांताल, कोल्हा, बथुडी, भूमिज, हो, भूइयां, माहली, मूंडा, गोंड, मनकीडिया, खडिया समेत समेत आदिवासी मांग करने वाले कुर्मी, पुराण, तमुरिया, भांज पुरान और कुम्भार जाति के लोग रहते हैं। इस संप्रदाय के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिश्रुतिबढ़ है। शिक्षा क्षेत्र के विकास बिना सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं हो सकता। इसीलिए इसी जिले के 60 परसेंट आदिवासियों के सामृहिक विकास के लिए मयुरभंज जिला के रायरंगपुर में केंद्र सरकार की तरफ से एक केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यायल प्रतिष्ठा करना पदक्षेप लिया जाए। यहां विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा होने से मयूरभंज जिला सहित केन्द्रझर, संदरगढ, देवगढ बालेश्वर और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के छात्र-छात्राओं को विभिन्न आदिवासी भाषा अध्ययन सहित आदिवासी भाषा के गवेषणा भी हो पाएगा और राज्य के आदिवासी संस्कृति की सुरक्षा सहित शिक्षा क्षेत्र में आदिवासी भाषा का प्रचार-प्रसार हो पाएगा, धन्यवाद।"

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

<sup>\*</sup> Hindi translation of the original speech delivered in Odia.

# Need to strengthen the Pre-Legislative Consultation Policy

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, the Pre-Legislative Consultation Policy was adopted in 2014 to ensure public consultation for all legislations. However, the policy has failed to achieve its objective. One, there is no official database on Bills put up for public consultation. Two, according to independent research, only 74 out of 301 Bills introduced in Parliament were circulated for consultation between 2014 and 2021. Of these 74 Bills, at least 40 were not circulated for 30 days, as specified in the Policy. The 2014 Policy stated that the Manual for Parliamentary Procedures, and the instructions on writing Cabinet Notes would be modified to enable public consultation. This has not been done.

Sir, through you, I want to request the Government, through this Special Mention, that there is an immediate need to take steps to strengthen the 2014 Policy. The Ministry of Law and Justice must create a public dashboard reflecting the Bills that have been sent for public consultation and also the details of such consultations such as dates, links to draft Bills, etc. Each Minister, while introducing a Bill, should lay a copy of the summary of the Public Consultations, done for 30 days, in the Parliament. If, for some reason, the Bill has not been circulated for comment, the Minister should lay a reason for it. It must be ensured that the Bills that are circulated for comments adhere to the 30-days time limit provided in the Policy. To make public consultation binding on all Ministries, the Manual for Parliamentary Procedures in the Government of India and the instructions issued by the Cabinet Secretariat on writing Cabinet Notes should be modified to incorporate the procedures for this crucial part of legislation, which is public consultation. Thank you, Sir.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

# Need for sympathetic consideration to allow an extra attempt to UPSC aspirants in relaxation of rules

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, my Special Mention today is a on a very important issue on the youth of this country, 'Relaxation of an attempt to UPSC aspirants.'

Sir, the students who wanted to write the examination of UPSC have been denied it during Covid pandemic. Many youth who were eligible did not get the chance of writing the examination. On account of it, their future is at stake.

Sir, they have requested the Government of India to give relaxation under special condition for those who have completed the age and attempt to write the examination. But the Government has taken a decision that it is not possible.

Sir, in other cases, the Government has taken a decision of relaxing the age-limit for categories of candidates in the recruitment of Army, Delhi Judicial Services, UGC and CAA examinations. Many States have also given the age relaxation as one-time measure due to Covid pandemic. This has been done by 17 States in the country.

Sir, during the same situation, the relaxation was given by UPSC in 1979, 1990, 1992, 2014 and 2015. The students in the interest of their future have gone to the court requesting for the relaxation. Sir the court in the judgement has said that this has to be looked into sympathetically. There are many students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and marginalized communities who have no ceiling on the attempts but age restriction is debarring them from writing the examination. Sir, this is another important issue. The Government has to look into it sympathetically.

So, Sir, I demand the Government to consider this issue in the interest of the youth of this country who are eligible and missed the opportunity for no fault of them. Thank you very much, Sir.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I would like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I would also like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I would also like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I would also like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I would also like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Sir, I would also like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI IMRAN PRATAPGARHI (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

#### Air pollution in Ramgarh district of Jharkhand

श्री खीरू महतो (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं पहली बार बोलने जा रहा हूं। महोदय, झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिला हजारीबाग क्षेत्र के अंतर्गत कोतरे, बसंतपुर, पचमो - केबीपी प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें सीबीए

एक्ट, 1957 के तहत सन् 1981 में 3,070 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी। यह भूमि कोल इंडिया लिमिटेड, सी.सी.एल. के लिए की गई है। 43 वर्ष बीत गए हैं, परन्तु सी.सी.एल. ने आज तक कार्य शुरू नहीं किया है, जो 1,140 एकड़ रैयती भूमि है, बाकी 1,931 एकड़ वन विभाग की भूमि है। महोदय, उसके बाद अभी 1,057 एकड़ रिज़र्व फॉरेस्ट की भूमि की भी मांग की गई है, जिसमें पांच गांवों के लोग शामिल हैं, जिसमें बसंतपुर, पचण्डा, हुरदाग, पचमो, रहावन आदि शामिल हैं। अगर 1,931 एकड़ भूमि और ली जायेगी, तो वन्य जीव के रहने के लिए स्थल समाप्त हो जायेगा तथा पर्यावरण संतुलन खत्म हो जाएगा, इसलिए वन को बचाया जाए और वन भूमि को इतनी अधिक मात्रा में नहीं दिया जाए। \*

महोदय, झारखंड में बड़े-बड़े कारखाने एवं विद्युत पावर स्टेशन्स हैं, हैं जैसे रामगढ़ जिला में पतरातू, बोकारो थर्मल पावर, भंडारीदाह, बोकारो स्टील सिटी, पूर्वी सिंहभूम जिला में सैकड़ों लौह अयस्क फैक्ट्रियां हैं। कोयले की भी सैकड़ों कोयला खदानें संचालित हैं। अन्य प्रदेशों में भी कोयले की खानें हैं, जैसे - वैस्ट बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागपुर, महाराष्ट्र आदि। कोयला खान के चलते कोयला खनन प्रदेशों में बड़े-बड़े डम्पयार्ड्स में आग लगी हुई है, जैसे झारखंड का धनबाद जिला है, रामगढ़ जिला है एवं अन्य स्थान हैं। इसके कारण पूरा वायु प्रदूषण हो रहा है तथा कोयला खान के चलते वन भूमि को भी बचाना मुश्किल हो गया है। वहां अगल-बगल में फैक्ट्रियां हैं। \*

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपको सिर्फ लिखा हुआ ही पढ़ना है।

श्री खीरू महतो : महोदय, वन भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए। जनहित में जितना आवश्यक हो, उतनी ही भूमि का अधिग्रहण किया जाए। \*

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपने जो लिखकर दिया है, केवल उसी तक सीमित रहिए।

श्री खीरू महतो : हम सरकार से मांग करते हैं कि वन भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए और वन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाए, धन्यवाद।

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

.

<sup>\*</sup> Not recorded.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

### Need to start Oral History Project in the Universities in the country

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत एक प्राचीन सभ्यता है और इसकी संस्कृति में प्रयोगधर्मिता एवं विविधता अवर्णनीय है। देश में सूक्ष्म संस्कृतियों के रूप में स्थानीयता आधारित अनेक परम्पराएं, जीवनमूल्य हजारों वर्षों से उपस्थित हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में कला, नृत्य, चित्रकला सिहत बहुतायत स्वरूप में सांस्कृतिक चेतना पाई जाती है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या जनजातियों का क्षेत्र हो, अनेक प्रकार की सूक्ष्म संस्कृतियों का आधार आध्यात्मिक और पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित अनुभव है। साथ ही देश में ज्ञान का उपार्जन निरन्तर होता रहा है। यहां तक कि आक्रमण काल और औपनिवेशिक काल में भी ज्ञान उपार्जन, रचनात्मक लेखन का दौर नहीं रुका। जब हम पर्यटन के लिए किसी क्षेत्र में जाते हैं, तब वहां की सूक्ष्म संस्कृतियों, वहां की ज्ञान की परम्पराओं की जानकारी मिलती है।

एक प्राचीन सभ्यता जिसका इतिहास दस हजार वर्षों का है, उसकी धरोहरों, ज्ञान की परम्पराओं, सूक्ष्म संस्कृतियों को लेखन में नहीं समेटा जा सका है। वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित करना, जानकारियों का इन्साइक्लोपीडिया बनाना हमारा दायित्व है। यह कार्य आजादी के बाद से उपेक्षित रहा है। नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परम्परा पर बल दिया गया है। देश में अपनी धरोहरों के प्रति उत्सुकता बढ़ी है।

अतः ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट आरम्भ करने की आवश्यकता है। इसके तहत श्रुतियों में और अलिखित रूप से उपस्थित जानकारियों को एकत्रित किया जाए। आज यूरोप के अधिकांश देशों के विश्वविद्यालयों में यह प्रोजेक्ट प्रमुखता से चल रहा है। भारतीय संदर्भ में इसकी आवश्यकता और भी अधिक है। अतः मेरा अनुरोध है कि भारत के विश्वविद्यालयों में इस प्रोजेक्ट को आरम्भ किया जाये, धन्यवाद।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): श्रीमती दर्शना सिंह।

## Need to set up Agro-industries related to paddy in Chandauli district of Uttar Pradesh

श्रीमती दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले की निवासी हूं, जहां धान की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है, जिसके कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसलिए यहां कृषि आधारित उद्योग की अनन्त सम्भावनाएं हैं। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने आत्मिनर्भर भारत अभियान की घोषणा की है और यह प्रेरणा दी है कि किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अनंत सम्भावनाओं को तलाशा जाए। माननीय प्रधान मंत्री जी ने फसल कटाई के बाद फसलों की साज-संभाल, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आम तौर पर चावल की भूसी बरबाद हो जाती है, जबिक चावल की भूसी का तेल एक खाद्य तेल है, जिसे राइस ब्रान तेल के रूप में जाना जाता है, इसलिए चंदौली में चावल की भूसी के तेल के लिए औद्योगिक इकाइयों की अच्छी संभावना है। महोदय, इतना ही नहीं धान के कचरे से इथेनॉल का उत्पादन भी किया जा सकता है, जो जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इससे किसानों के लिए आर्थिक लाभ के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे और माननीय प्रधान मंत्री जी की 'वोकल फॉर लोकल' नीति को भी बढ़ावा मिलेगा, अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि चंदौली जनपद में धान से संबंधित औद्योगिक इकाई लगाने पर विचार किया जाए, धन्यवाद।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, the 19<sup>th</sup> December, 2022.

The House then adjourned at twenty-one minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 19<sup>th</sup> December, 2022.

